खण्ड-301, अंक-1
बुधवार, 20 पौष, शक संवत् 1894
(10 जनवरी, 1973 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 301 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1973

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 10 जनवरी, 1973

विधान सभा की बैठक, सभा मन्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—365

अजब सिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमर नाथ दूबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अहमवलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदयप्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेंद्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकांत बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री

ए0सी0 ग्राइस, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकांत अवस्थी, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ अग्रवाल, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के0एस0 मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री

गिरधारी लाल, चौधरी
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रप्रताप नारायण सिंह कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कांत सिंह 'जूदेव', श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगशीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० भन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगरनाथ, श्री
जगबीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेंद्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी०पी० बोरा, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेंद्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमाई लाल, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)

बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्साराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन, खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल बेहलबी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेंद्र किशोरी, श्रीमती
राजेंद्र कुमार शर्मा, श्री
राजेंद्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेंद्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण द्विवेदी, श्री
राम गोपाल संड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री

राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़ रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम बिलास पांडेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
राम लाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दूबे, श्री
रामसागर, श्री
राम सिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीरबहादुर सिंह, श्री
वीरेंद्र कुमार, चौधरी
वीरेंद्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शांती चरण पिंड़ारा, श्री
शांति देवी, श्रीमती
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव महेंद्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेरअली खां, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर,
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्री कृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
संतोष कुमारी, श्रीमती
सैयद मुर्तजा, श्री

सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द, श्री
सत्तार अहमद अंसारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखबीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेंद्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज लाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरी सिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट--सामुदायिक विकास मंत्री श्री बलदेव सिंह आर्य, भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 10 जनवरी, 1973

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जौनपुर में रजत जयंती विकास ग्राम सभा चुनने हेतु गठित समिति

**1--श्री यादवेंद्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पहली अक्तूबर से 10 अक्तूबर सन् 1972 तक जौनपुर जिले में कोई समिति रजत जयंती विकास ग्राम सभा चुनने के लिये निर्माण की गई थी । यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन थे और उनकी बैठक कब हुई थी तथा किस आधार पर जयन्ती विकास के लिये ग्राम सभा भिन्न-भिन्न ब्लाकों में चुनी गई थी ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)--

जिला स्तर पर रजत जयंती सहकार समिति सम्पूर्ण व्यवस्था को निर्धारित करने के लिये दिनांक 5 अगस्त, 1972 को गठित हुई थी । इस समिति के सदस्यों की सूची परिशिष्ट "क" पर है । इस समिति की बैठक दिनांक 9 अक्तूबर, 1972 को जयन्ती ग्रामों का चुनाव करने के लिये की गई थी। जयन्ती ग्रामों का चुनाव राज्यादेश (सामुदायिक विकास) अनुभाग (1) संख्या 5475/38-1-1972, दिनांक 12 सितम्बर, 1972 के आधार पर किया गया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 100 पर)

हरदुआगंज तथा पनकी के बिजलीघर की मशीन

**2—श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदुआगंज तथा पनकी बिजलीघर की मशीन समय से मरम्मत न होने के कारण बन्द पड़ी है और इनके बन्द होने के कारण प्रदेश में त्राहि-त्राहि मची हुई है ? यदि हां, तो इसको पुनः चलाने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा इसकी जिम्मेदारी किन अधिकारियों की है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

विद्युत राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

हरदुआगंज व पनकी बिजली घर में सभी मशीनें वार्षिक मरम्मत के पश्चात् चल रही हैं केवल हरदुआगंज में एक 55 मेगावाट की नई मशीन जो कुछ समय पूर्व कमीशन हुई थी बियरिंग में खराबी होने के कारण बन्द है और मरम्मत कार्य चल रहा है। मशीन की खराबी किसी अधिकारी के कारण नहीं है अतः जिम्मेदारी का प्रश्न नहीं उठता।

श्री विश्वनाथ कपूर—

यह नयी मशीन कब कमीशन्ड की गयी थी और कब इसमें खराबी आयी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

एक नवम्बर, 72 से यह कमीशन्ड हुई और बेयरिंग में 15 नवम्बर को डिफेक्ट आया। तभी से इसको ठीक कराने के लिये कार्यवाही हो रही है। इसको हैदराबाद भेज दिया गया है।

श्री विश्वनाथ कपूर—

15 नवम्बर से अब तक कितनी बिजली का नुकसान हुआ ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इसकी उत्पादन शक्ति 55 मेगावाट की थी, इतना ही नुकसान हुआ।

श्री निश्चानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या इस तरह की अन्य मशीनों के बारे में भी शिकायतें आयी हैं क्योंकि वे भी इसी फैक्टरी की बनी हुई हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

डी0 एच0 एल0 अपने देश की ही संस्था है, किन्तु संयोग से जो सामान बिजली का इनसे खरीदा गया वह ज्यादा ठीक नहीं निकला। और मशीनों के खराब होने की भी शिकायत मिली है। उसके बारे में भी जांच हो रही है और खराबी दूर करने के लिये प्रयास हो रहा है।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

इस बिजली की खराबी के कारण कितने रुपये की हानि हुई ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

प्रदेश में बिजली का संकट वैसे ही चल रहा है, इसके खराब हो जाने से और संकट बढ़ गया। हमारे यहां इस समय 400 मे0वा0 की कमी है। इसकी क्षति का प्रभाव समान रूप से सभी पर पड़ रहा है।

श्री रामगोपाल संड—

मैंने पूछा था कि कितने रुपये का नुकसान हुआ?

(उत्तर के लिये नहीं पुकारा गया)

श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब बेयरिंग खराब थी तो उसको नयी क्यों नहीं बदली गयी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

उसकी मरम्मत का प्रयास जारी है । बेयरिंग भी मंगाकर फिर से लगाया गया । हवाई जहाज से उसको ठीक करने के लिये हैदराबाद भी भेजा गया । सारी कार्यवाही हो रही है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या इस संबंध में केंद्रीय सरकार ने प्रदेश की सरकार को कोई पत्र लिखा है जिसमें यह शिकायत की है कि हमारे यहां मशीनों को ठीक प्रकार से मेंटेन नहीं किया जा रहा है ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

यह जो मशीन खराब हुई है तो इसकी क्या किसी एक्सपर्ट ने जांच की है ? और भविष्य में ऐसी खराबी पैदा न हो इसके लिये किसी एक्सपर्ट से इसकी जांच कराई गई है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

बी0एच0 एल0 के एक्सपर्ट्स ने उसकी जांच की और वही उसको ठीक करने के प्रयत्न में लगे हुए हैं ।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

प्रायः हर साल मशीन के लिये फिटनेस सार्टिफिकेट विभाग द्वारा दिया जाता है, तो इसके लिये अंतिम सार्टिफिकेट किस तारीख को प्राप्त हुआ था और वह किस तारीख तक के लिए है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है अगस्त, 72 से यह ट्रायल-रन पर थी, 1 नवम्बर, 72 को कमीशन हुई और 15 नवम्बर, 72 को इसमें डिफेक्ट आया । उसके बाद से उसकी मरम्मत के लिये कार्यवाही हो रही है और इस संबंध में बाद में कार्यवाही की जाएगी ।

श्री राजमंगल पांडेय (जिरा देवरिया)—

यह देखते हुए कि यही केस नहीं है, उसके पहले भी ऐसा हो चुका है, ऐसा मालूम होता है कि जो वहां के टेक्निकल आदमी हैं उनके ही क्षमता में कोई खराबी है, तो इसके लिए क्या मंत्री जी ने कोई जांच आदि की व्यवस्था की है, जिससे कि जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ जांच की कार्यवाही की जाये ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

माननीय, मशीनरियों के मामले में इस तरह की घटना होना कोई असंभव बात नहीं है मशीन आती है, कमीशन होती है, उसमें खराबी आती है, उसका एक ट्रायल पीरियड होता है जिसमें वह ठीक होती है । इस संबंध में अभी कोई ऐसी बात नहीं आई है कि इस तरह की किसी कार्यवाही की जरूरत पड़े ।

श्री गोबिन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

बी0 एच0 एल0 के जो एक्सपर्ट आये हैं, कब उन्होंने इसकी जांच की?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

15 नवम्बर, 72को जब इसका ब्रेक-डाउन हुआतो हरदुआगंज के इंजीनियरोंने इसे देखा फिर बी0 एच0 एल0 के एक्सपर्ट 27–28 को आये, इसके बाद वह थोड़ा ठीक हुई,किन्तु जब वह दुबारा प्रापर्ली नहीं चली तो अंतिम रूप में बी0 एच0 एल0 को भेजने का निर्णयलिया गया और वह वहां भेज दी गई।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

प्रदेश में बिजली की खराबी है और बोर्ड उसे ठीक करने में सक्षम नहीं है, तो क्या यह मसला तथा ऐसे ही और मसले के लिये कोई इंक्वायरी कमेटी बैठाएंगे जोयह देखे कि वह खराबी थी या यह खराबी बनाई गई ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

यह मशीनें अभी नई-नई कमीशन हुई थीं, प्रारम्भ में ऐसा होना कोई विशेष बात नहीं है, इसलिये इसकी आवश्यकता नहीं है ।

श्री ए0 सी0 ग्राइस (नामनिर्देशित)—

यह मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, या कोई पुर्जे में खराबी थी क्या इसकी खराबी का ठीक कारण था?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, इतने डिटेल की सूचना तो मेरे पास नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि बैयरिंग टूटा नहीं था टेढ़ा हुआ था जो प्रापर्ली काम नहीं कर रहा था । उसी को ठीक कराने का प्रयास किया गया ।

सुल्तानपुर की रोहतक खण्ड हिसार डिस्ट्रिक्ट इलेक्टिक सप्लाई कम्पनी

**3—श्री जगदीश प्रसाद (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या विद्युत मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला सुल्तानपुर की रोहतक खण्ड हिसार डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड सरकार अपने हाथ में ले रही है? यदि हां, तो कब तक यह कार्य पूरा होगा ? क्या कम्पनी ने अपना लाइसेन्स सरकार को समर्पित (सरेन्डर) कर दिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

मामला विचाराधीन है ।

जी नहीं ।

श्री अयोध्या में विश्वविद्यालय की मांग

**4—श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद),श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी), श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी) तथा श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि क्या यह बात सही है कि श्री अयोध्या के बाबा बनवारी दास उनसे 21 अक्तूबर, 1972 को मिले थे और मुख्य मन्त्री जी ने उन्हें श्री अयोध्या जी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना का आश्वासन दिया था? यदि हां, तो उसके संबंध में कार्य कब से प्रारम्भ हो जायगा?

कृषि राज्य मन्त्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)---

जी हां ।

कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के विषय में विचार हो रहा है ।

श्री जयराम वर्मा---

प्रश्न के पहले भाग में दो सूचनायें मांगी गई थीं, तो क्या दोनों का 'उत्तर जी हां' है ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय---

अयोध्या के बाबा जी मिले थे या नहीं? मिले थे माननीय मुख्य मन्त्री जी से । विश्व-विद्यालय की स्थापना के बारे में माननीय मुख्य मन्त्री ने आश्वासन भी दिया था। दोनों का जवाब "जी हां" है ।

श्री जयराम वर्मा---

क्या माननीय मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि उन्होंने बाबा जी को विश्वविद्यालय की स्थापना का आश्वासन दिया था न कि कृषि विश्वविद्यालय का ?

मुख्यमन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

कृषि विश्वविद्यालय वहां बनने वाला है । बाबा जी आये थे । मैंने उनसे यह कहा कि आप अनशन वगैरह न करें । यह सरकार इस बात की चेष्टा करेगी जैसे उसमें कार्य होगा वह कृषि विश्वविद्यालय ही न रहे, बल्कि उसके साथ और विश्वविद्यालय की रूप रेखा, फैकल्टीज वगैरह उसमें रहें । यही हमने कहा था उनसे ।

श्री जयराम वर्मा---

क्या माननीय मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि जिस तरह का आश्वासन था कि कृषि के अलावा पूर्ण रूप से यह विश्वविद्यालय की स्थापना की जायगी, तो उसके सम्बन्ध में काम कब प्रारंभ हो जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

काम कब प्रारम्भ होगा, मैं नहीं कह सकता । चेष्टा है कि कार्य जल्दी प्रारंभ हो जाय, शीघ्रता से काम हो । बात भी कर रहे हैं, फुल फ्लेज्ड, पूर्णतया एक विश्वविद्यालय बनाने की कृपा करे भारत सरकार ।

श्री रामगोपाल संड---

क्या माननीय मुख्य मन्त्री सदन को आश्वासन देंगे कि अगले बजट में, मार्च में, विश्वविद्यालय खोलने के लिये धन का प्रचुर मात्रा में प्राविधान करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

अब प्राविधान की बात यह है, अगर कभी नहीं हो पाता है, तो आपसे सप्लीमेंटरी में पैसा ले लेता हूं ।

श्री विश्वनाथ कपूर---

क्या माननीय मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्ण विश्वविद्यालय की कार्य-वाही के बाद कोई अयोध्या में कार्य प्रारम्भ होगा या पहले कृषि विश्वविद्यालय होने के बाद सम्पूर्ण विश्वविद्यालय की कार्यवाही प्रारम्भ करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इसमें तो स्पष्ट कहना सम्भव नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि जब कार्य प्रारम्भ हो तो चेष्टा की जाय कि पूर्णतया विश्वविद्यालय का कार्य प्रारम्भ हो, आधा तिहाई क्यों हों ?

श्री जयराम वर्मा—

क्या यह बात सही है कि बाबा जी के मिलने के बाद पहले ही कृषि विश्वविद्यालय की वहां स्थापना करने की घोषणा हो चुकी थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह बात सही है। कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा बाबा जी जब मिले थे उसके पहले हो गयी थी।

श्री रामधारी शास्त्री—

माननीय मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार से स्वीकृति लेनी पड़ेगी ? यदि हां, तो उसमें किस हद तक प्रगति हुई है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

कृषि विश्वविद्यालय की घोषणा पहले हो चुकी थी, शायद इस सदन में, यदि मैं भूल नहीं करता, उस समय भी मैंने कहा था, वहां एक विश्वविद्यालय की स्थापना की चेष्ठा की जाय। कृषि विश्वविद्यालय का सम्बन्ध केन्द्र के कृषि विभाग से है और पूरा विश्वविद्यालय बनाने का काम एजूकेशन डिपार्टमेन्ट, यू० जी० सी० करता है। तो उसमें लिखापढ़ी हो रही है।

श्री गोविन्दसिंह नेगी—

क्या सरकार की यह नीति है कि प्रत्येक मंडल में विश्वविद्यालय खुले तो क्या गढ़वाल मण्डल में विश्वविद्यालय खोलने का इरादा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इरादे की बात तो हो सकती है। पर कोई योजना नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

हमारा सवाल था। आपने एक भी सवाल पूछने का मौका नहीं दिया।

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न पूछने की अनुमति देने पर)

क्या सरकार बाबा बनवारी दास से कमिटेड है कि श्री अयोध्या में एक फुलफ्लेज्ड यूनिवर्सिटी खोली जायगी जिसमें कृषि का भी एक विभाग होगा ? अगर यह बात सही है तो मुख्य मन्त्री कब तक वहां यूनिवर्सिटी कायम करवा देंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

कमिटमेंट के क्या मानी हैं यह मैं नहीं समझ सका। यह आश्वासन जरूर मैंने दिया था कि इस बात का प्रयास मैं करूंगा कि यह विश्वविद्यालय केवल कृषि का विश्वविद्यालय न रहे बल्कि एक सम्पूर्ण विश्वविद्यालय बन सके और उसका प्रयास चल रहा है। कब तक यह काम शुरू हो जायगा यह इस समय बतलाना संभव नहीं है जब तक कि भारत सरकार से पूरी इसकी सफाई न हो जाय।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

बुलन्दशहर में काले आम के चौराहे पर अनियमित रूप से निर्मित अलका रेस्टोरेंट का भवन

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—

*1—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर नगर में कालेआम के चौराहे पर अलका रेस्टोरेन्ट का भवन सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर नाजायज कब्जा करके बना हुआ है उसको अब तक हटाये जाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई? जिससे अनेक गम्भीर दुर्घटनायें हो चुकी हैं ? क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री इस ओर तुरन्त ध्यान देकर इस नाजायज कब्जे को अविलम्ब हटाने का आदेश देने का कष्ट करेंगे ताकि चौराहे पर किसी दुर्घटना का खतरा न रहे ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)—

जी हां, प्रश्नगत अतिक्रमण हटाने की कानूनी कार्यवाही बराबर की जा रही है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

सरकारी कोटे के कार एवं स्कूटर का आवंटन

श्री राम सिंह खन्ना (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—

*1—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अप्रैल, 1969 से जुलाई, 1970 तक और मार्च, 1971 से जुलाई, 1972 तक कितने-कितने स्कूटर और कार सरकारी कोटे से सरकारी अफसरों एवं सदस्य विधान सभा, विधान परिषद् एवं संसद सदस्यों को दिये गये हैं ।

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री देवकी नन्दन विभव)—

सूचना निम्नवत् है:—

अप्रैल, 1969 से जुलाई, 1970 तक

आवंटी	कार	स्कूटर
सरकारी अधिकारी	56	42
सदस्य विधान सभा	18	96
सदस्य विधान परिषद्	3	16
संसद सदस्य	..	..

मार्च, 1971 से जुलाई, 1972 तक

सरकारी अधिकारी	58	57
सदस्य विधान सभा	21	132
सदस्य विधान परिषद्	7	22
संसद सदस्य	..	..

[दिनांक 10 जनवरी, 1973 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

हंडिया (इलाहाबाद) के गवायन ताल से क्षति से फसल की सुरक्षा

* 1—श्री रामगोपाल संड—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि जनपद इलाहाबाद, तहसील हंडिया के गवायन ताल से लाखों एकड़ जमीन डूब जाती है और सारी फसल प्रतिवर्ष नष्ट हो जाया करती है ? यदि हां, तो सरकार बाढ़ से सुरक्षा तथा फसल नष्ट होने से बचाव के क्या उपाय कर रही है ?

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री राज बिहारी सिंह)—

जी हां, कई गांवों के कृषि क्षेत्र को क्षति होती है । परन्तु अभी बचाव हेतु कोई योजना नहीं बनी है ।

श्री रामगोपाल संड—

कई गांव जब गवायन ताल के पानी से डूब जाते हैं और पचीसों लाख रुपये की फसल को क्षति होती है तो मन्त्री जी कब तक ऐसी योजना बनायेंगे जिससे इस तालाब में पानी न भरे और जिससे किसान खेती ठीक तरह से कर सकें ?

श्री राजबिहारी सिंह—

500 एकड़ के बीच यह ताल बना हुआ है और जब अधिक पानी भर जाता है तो अगल-बगल के गांवों को नुक्सान होता है । यह तालाब का पानी कहां निकाला जाय यह विचाराधीन है । कुदरती नाले के जरिये से 5, 7 मील पर मौरवां नदी में ले जाकर पानी गिराया जाय लेकिन किसान वहां अपनी जमीन पर नाला खोदने देने को तैयार नहीं हैं । जो नाला पहले था उसे किसानों ने पाट दिया । दूसरे वहां पर बौड़ा नदी है । मौरवां नदी में पानी ले जाकर गिराने में खर्चा भी ज्यादा होगा लिहाजा बौड़ा नदी में पानी गिराने की बात सोची जा रही है जिसके लिये जमीन किसानों से ली जायगी और वह जमीन ताल के पास के किसानों की न होकर दूसरे किसानों की होगी जिस पर उनको एतराज है । इसलिये कोशिश यह है कि गांव वालों को राजी कराया जाय और राजी हो जायेंगे तो ग्रिड बना दी जायेगी ।

श्री रामगोपाल संड—

500 एकड़ जमीन ताल से अफेक्टेड है । अगर पानी निकालने के लिये किसान जमीन देने को तैयार नहीं है तो क्या अन्य साधनों से नहर निकालने पर सरकार विचार करेगी ताकि 500 एकड़ जमीन हरी भरी हो सके ?

श्री राजबिहारी सिंह—

माननीय सदस्य को मालूम होगा कि यह ताल सिंचाई के साधन होते हैं । जब नहरें और टयूबवेल नहीं थे तो सिंचाई इन तालों से होती थी और अगल बगल के किसान इन तालों से लाभ उठाते थे । अब यह प्रयास हो रहा है कि यह पानी नहर द्वारा निकाला जा सके ताकि अधिक से अधिक सिंचाई हो सके ।

श्री रामकिशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—

ताल से जो नेचुरल ड्रेन जाती थी मौरवां नदी में जिसको किसानों ने काट दिया है उसको फिर से क्यों नहीं बना दिया जाता ?

श्री राजबिहारी सिंह—

किसानों को समझा बुझा कर ही ऐसा किया जा सकता है उनसे जबरदस्ती नहीं की जा सकती ।

पंचायती राज विभाग के स्थायी कर्मचारियों का सिंचाई परियोजना में विलयन

*2—श्री रामगोपाल संड—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग परियोजना के अन्तर्गत पंचायती राज विभाग के छटनी शुदा कितने स्थायी कर्मचारियों की सेवाओं का विलियन हुआ है? उन समस्त स्थायी कर्मचारियों की ज्येष्ठता निर्धारण करने का क्या आधार रहा और कब हुआ? यदि नहीं हुआ, तो इसका क्या कारण है?

श्री राजबिहारी सिंह—

तेरह स्थायी कर्मचारियों की सेवाओं का बिलयन हुआ है। इन कर्मचारियों की ज्येष्ठता निर्धारण का मामला प्रमुख अभियन्ता के विचाराधीन है।

श्री रामगोपाल संड—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतानें की कृपा करेंगे कि कितने कर्मचारी पंचायत राज विभाग के निकाले गये थे और उनमें से केवल 13 कर्मचारी ही क्यों लिये गये? अन्य लोगों के बारे में विभाग न क्या किया?

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, इस प्रश्न का जवाब देना मुश्किल है कि कितने निकाले गये थे। आपने पूछा था कि सिंचाई विभाग में कितने कर्मचारी रखे गये, उसका जवाब दिया गया कि 13 आदमी रखे गये।

श्री रामगोपाल संड—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 13 आदमी तो आपने इस वर्ष के निकाले हुये कर्मचारियों में से किया और बाकी निकाले हुये कर्मचारियों को नहीं लिया और अन्य लोगों की भरती की, ऐसे कितने लोग किस विभाग में हैं?

श्री राजबिहारी सिंह—

यह तो हर विभाग में हुआ है कि विभाग से छंटनीशुदा जितने लोग होते हैं उनको तरजीह दी जाती है।

श्री रामगोपाल संड—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि ज्येष्ठता सूची के बारे में मंत्री जी ने बताया कि उनका मामला बिचाराधीन है तो क्या वे सदन को यह आश्वासन देंगे कि महीने के अन्दर वे ऐसी सूची बना देंगे?

श्री राज बिहारी सिंह—

मान्यवर, नियम यह है कि छंटनीशुदा कर्मचारियों को दूसरे विभाग में रखने पर उनको तरजीह दी जाय और उसी के अनुसार उनको परमानेन्ट भी किया जाता है। तो नियमों के अनुसार ही उनका स्थायीकरण वहां पर होगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन, मैं यह जानना चाहता हूं कि स्थायी कर्मचारियों की छटनी के क्या कारण थे? क्योंकि उनकी छटनी बड़ी विशेष परिस्थितियों में ही होती है। तो क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि स्थायी कर्मचारियों की छंटनी नहीं होगी और उनको प्राथमिकता दी जायेगी?

श्री राजबिहारी सिंह—

ऐसा आदेश तो सरकार का पहले से ही है और उसी के अनुसार पंचायत राज विभाग से सिंचाई विभाग में लोग रखे गये।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि पंचायत राज विभाग से छंटनीसुदा कर्मचारियों को सिंचाई विभाग में नियुक्त किया गया है। क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पंचायत राज विभाग में छंटनी किये हुये लोगों की सूची बन गई है? यदि हां, तो ऐसे कितने लोग हैं?

श्री राज बिहारी सिंह—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

*3— श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

सरकार द्वारा क्रीत वातानुकूलित कारें

*4—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार ने वर्ष 1971–72 में कुछ वातानुकूलित कार खरीदी है? यदि हां, तो कब कितने रुपये की और इस कार का प्रयोग कौन कर रहा है?

श्री राज बिहारी सिंह—

जी हां, दो वातानुकूलित गाड़ियां क्रय की गई हैं—एक राज्य विद्युत परिषद से दिनांक 1 अगस्त, 1971 को जिसका मूल्य परिषद से मालूम किया जा रहा है। दूसरी स्टेट ट्रेनिंग कारपोरेशन से दिनांक 6 नवम्बर, 1971 को 30,918/-रूपये में। इन गाड़ियों का प्रयोग सामान्य तौर से राज्य सरकार के अतिथियों तथा मंत्रियों द्वारा किया जाता है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 1971 के पहले किसी भी सरकार ने कभी भी वातानुकूलित कारें नहीं खरीदीं। कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी कि सरकार को वातानुकूलित कारें खरीदनी पड़ीं?

श्री राज बिहारी सिंह—

मान्यवर, ऐसी बात नहीं है। सन् 1971 के पहले भी सन् 65 में एक वातानुकूलित कार खरीदी गई थी। यह इसलिये खरीदी गई थी कि बाहर से अतिथि लोग आते हैं उनकी सुविधा के लिये यह खरीदी गई थी।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन कारों का उपयोग सरकार और उसके अतिथि कर रहे हैं? इसी तरह की एक कार राज्य विद्युत परिषद् द्वारा खरीदी गई थी

और उसका उपयोग परिषद् न करके सरकार और मंत्री लोग कर रहे हैं? जब राज्य विद्युत परिषद् के उपयोग में वह गाड़ी नहीं आ रही है तो उसे राज्य विद्युत परिषद् ने किसलिये खरीदा ?

श्री अध्यक्ष---

राज्य विद्युत परिषद् से सरकार ने खरीदा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

राज्य विद्युत परिषद् से सरकार ने आज से 1 वर्ष 3 माह पहले जब इस गाड़ी को खरीदा तो उसकी कीमत बतलाने में सरकार को देर क्यों हो रही है ?

श्री राजबिहारी सिंह---

इसका कारण यह है कि जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से गाड़ी खरीदता है तो उसका दाम कितना है, लिख कर देता है। जब विद्युत परिषद् लिख कर दे देगा तो उसे कीमत दे दी जायेगी तुरन्त ही तथा उसकी कीमत आपको बतला दी जायेगी।

(व्यवधान)

श्री रामधारी शास्त्री---

यह तो बड़ी अन्धेर गर्दी है। बिना दाम जाने हुए ही क्या जरूरत पड़ गयी थी माननीय मंत्री जी को कि वह गाड़ी खरीद लो कि वह कितने हजार या कितने लाख रुपये की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

जरूरत पड़ गयी थी आपके मुख्य मंत्री के लिये, दिल्ली में गाड़ी रखनी थी। विद्युत परिषद् की गाड़ी वहां रहती थी जिस पर विद्युत परिषद् के आफिसर लोग चढ़ कर घूमते थे। विद्युत परिषद् ने उसे एस० टी० ए० सी० से खरीदी थी। जिस कीमत पर खरीदी गयी होगी, विद्युत परिषद् को उसकी कीमत दे दी जायेगी। दिल्ली में बहुत छोटे-छोटे प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों के पास जहां बड़ी-बड़ी गाड़ियां रहती हैं वहां आपके मुख्य मंत्री के पास जरा सी अच्छी गाड़ी रहे तो इसमें आपको गुरेज काहे का ?

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

माननीय मुख्य मंत्री के जवाब से ही यह साबित हो गया कि वह खरीदी नहीं गयी है बल्कि उसको अपने इस्तेमाल के लिये रख ली गयी है। अगर खरीदी जाती तो उसका मूल्य तय हो जाता और वह उसे दे दिया जाता ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

ऐसा कभी नहीं होता। जब एक डिपार्टमेंट से कोई चीज दूसरे डिपार्टमेंट को दी जाती है तो उसकी कीमत तुरन्त अदा की जाती है और वह कीमत विद्युत् परिषद् को अदा की जायेगी जब वह बतला देगी कि उसकी कितनी कीमत है। वह तो बुक ट्रांजेक्शन होता है और वह हो जायगा।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

प्रदेश के आकार को देखते हुए क्या सरकार अन्य गाड़ियां भी बाहर से इम्पोर्ट करने पर विचार कर रही है ?

श्री राजबिहारी सिंह---

जरूरत पड़ने पर विचार कर सकती है। इस समय एसा कोई विचार नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या माननीय मंत्री जी सभी मंत्रियों और उपमंत्रियों के लिये भी ऐसी गाड़ियां खरीदने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जब आपको मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा तो इस पर विचार किया जायेगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य विद्युत परिषद् ने कितने वर्ष तक इस गाड़ी का उपयोग किया है और उसने कब यह गाड़ी खरीदी थी ?

श्री राजबिहारी सिंह--

इसके लिये सूचना की जरूरत होगी।

सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ताओं के लिये घुड़सवारी की अनिवार्यता

*5--श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि विभाग में सीधे नियुक्ति पाने वाले सहायक अभियन्ताओं को घोड़ा सवारी सीखना अनिवार्य है जब कि विभागीय पदोन्नति से नियुक्त होने वाले सहायक अभियन्ताओं पर यह पाबन्दी नहीं है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश भर में कितने सहायक अभियन्ताओं के पास घोड़े हैं ? क्या सरकार वर्तमानकाल की आवश्यकताओं को देखते हुये घोड़े की सवारी सीखने की अनिवार्यता को समाप्त करने पर विचार करेगी ?

श्री राजबिहारी सिंह--

जी हां।

दो।

जी हां, यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि जो ओवरसियर से असिस्टेंट इंजीनियर बनते हैं उनको घोड़े की सवारी नहीं सीखनी पड़ती है और मंत्री जी ने कहा है कि दो के पास घोड़े हैं, अब काम करने का ढंग बदल गया है तो क्या सरकार निर्णय लेगी कि यह जो घोड़े की सवारी सीखना अनिवार्य है उसको समाप्त कर देगी ?

श्री राजबिहारी सिंह--

मान्यवर, इस प्रश्न पर विचार हो रहा है और जल्दी ही निर्णय ले लिया जायेगा और वह हां में होना चाहिये।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या सरकार ने इस पर प्रारम्भिक रूप से कोई बात विचार कर ली है और उनका मत है कि वह अनिवार्य नहीं होना चाहिये और कब तक निर्णय हो जायेगा ?

श्री राजबिहारी सिंह--

मैंने निवेदन किया कि जल्दी ही निर्णय हो जायेगा।

*6--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

डेरापुर (कानपुर) में सेंगुर और रिन्द नदियों से लिफ्ट सिंचाई की योजना

*7—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील में सिंचाई के साधनों की अपर्याप्तता को ध्यान में रखते हुए इस तहसील के बीच से गुजरने वाली सेंगुर और रिन्द नदियों से लिफ्ट सिंचाई की योजना को स्थान-स्थान पर चलाये जाने का सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक यह कार्य पूरा हो जाने की आशा है ?

सिंचाई मंत्री (श्री महमूद अली खां)—

सेंगुर और रिन्द नदियों पर लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के लिये अभी सर्वेक्षण किया जा रहा है।

इलाहाबाद में देवरा लिफ्ट नहर का निर्माण-कार्य

*8—श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में टोंस नदी के किनारे देवरा नामक स्थान पर जो लिफ्ट द्वारा सिंचाई की योजना चल रही है और उसे एक वृहत्त रूप देने की बात सरकार के विचाराधीन है ? वर्तमान समय में इसके द्वारा कितनी भूमि की सिंचाई हो रही है ? क्या इस पड़ोस के लगभग चालीस गांवों को असिंचित मानकर सरकार शीघ्रातिशीघ्र इस लिफ्ट योजना को व्यापक बनाने की कृपा करेगी ?

श्री राज बिहारी सिंह—

देवरा लिफ्ट नहर पर निर्माण-कार्य अभी चल रहा है। इसका कमाण्ड क्षेत्र 1,217 एकड़ है। इस नहर को वृहत्त रूप देने की योजना अभी विचाराधीन नहीं है।

श्री सर्वसुख सिंह—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस नहर को वृहत् रूप देने का सवाल विचाराधीन क्यों नहीं है, जब कि शासन के ज्ञान में हैं कि इस नहर से मिले हुये 40-50 गांव ऐसे हैं जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं तो क्या यह इस बात का परिचायक नहीं है कि शासन सिंचाई योजना के प्रति जागरूक नहीं है ?

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, इस मामले में सरकार बहुत जागरूक है और उसका फैसला है कि हर खेत को पानी मिलना चाहिये और पैसा उपलब्ध होने पर सिंचाई के साधन बढ़ाने का प्रयास करते हैं । यह नहर पहले डीजल से चलती थी। अब इसको बढ़ाने का विचार हो रहा है। जिन 40 गांवों का जिक्र किया गया है उसके लिये सर्वे हो रहा है कि इनकी सिंचाई इससे हो सकेगी या नहीं।

श्री सर्वसुख सिंह—

यह योजना टोंस नदी पर चल रही है और एक गांव की इससे सिंचाई होती है। इस नदी के पास ब्योरा गांव है जहां मशीन लगाई गई है, उसकी पावर बढ़ाने में उनको क्या आपत्ति है ?

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, डीजल से 2.5 क्यूसेक पानी उठाया जाता था अब बिजली पहुंच गई है इसका सर्वे कराया जा रहा है। रिपोर्ट से मालूम होता है कि 15 क्यूसेक पानी उपलब्ध होगा 5 क्यूसेक पानी के लिये पम्प बिठा दिया गया है और आगे भी कोशिश की जायेगी ।

श्री सर्वसुखसिंह--

मंत्री जी ने कहा कि वहां कुछ निर्माण-कार्य चल रहा है, वह कृपया बतायें कि वहां क्या कार्य चल रहा है ?

श्री राजबिहारी सिंह--

वहां बिजली के पम्प बिठाने का काम हो रहा है, जहां पम्प बिठाये जायेंगे वहां पर खुदाई का और नींव के निर्माण का कार्य हो रहा है।

श्री सर्वसुख सिंह--

क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि स्पष्ट रूप से कि वह इस योजना को कब तक बढ़ाने की कृपा करेंगे ताकि आसपास के गांव सिंचाई की सुविधा पा सकें ?

श्री राजबिहारी सिंह--

मैंने निवेदन किया कि पहले 2.5 क्यूजेक्स पानी का प्रबन्ध था, अब 5 क्यूजेक्स का इंतजाम हुआ है और 15 क्यूजेक्स के पम्प बिठाने का इंतजाम किया जा रहा है और आप जानते हैं कि सारी देरी बिजली की कमी की वजह से है।

*9--श्री चन्द्र भान शर्मा--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

मेरठ में सड़कों के लिये भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही

*10--श्री चन्द्रभान शर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछली दो पंच-साला योजना में स्वीकृत हुई किस-किस सड़क के कागज एक्वीजिशन आफिसर, मेरठ के यहां पड़े हुये हैं ? और वे कब से पड़े हुये हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री बीर बहादुर सिंह)--

पिछली दो पंच वर्षीय योजनाओं (द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना में) शासन द्वारा स्वीकृत किसी भी सड़क के भूमि अध्याप्ति के कागज विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, मेरठ के स्तर पर अनिस्तारित नहीं पड़े हैं।

श्री चन्द्रभान शर्मा--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तीतरबाड़ा-केराना के कागजात अभी तक नहीं निकले हैं, क्या मेरी बात मानकर वह इसकी सही जानकारी करायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

तीतरबाड़ा-केराना के कागजात बनकर तैयार हो रहे हैं और यह कार्यवाही हो रही है।

श्री चन्द्रभान शर्मा--

कौन सी बात सही है, उत्तर में मंत्री जी ने दूसरी बात पढ़ी और अब दूसरी बात कह रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में कोई नहीं बढ़ी है, यह तो बाद में मंजूर हुई है, नवम्बर, 1971 में मंजूर हुई है और उसके बाद यह अध्याप्ति की कार्यवाही हो रही है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सामान्यतः सड़क मंजूर होने के कितने दिन बाद मुआवजा दिया जाता है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

अध्याप्ति की कार्यवाही होते ही और पूरे कागजात वगैरह की कार्यवाही पूरे होते ही मुआवजा दे दिया जाता है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा---

कार्यवाही हो रही है, तो वह क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

कार्यवाही भूमि अध्याप्ति की हो रही है ।

मुरादाबाद के पुलिस अस्पताल एवं हाउसिंग स्कीम बिल्डिग के ठेकेदारों की अर्नेस्ट मनी

*11---श्री रियासत हुसैन---

क्या यह सही है कि मुरादाबाद में जो पुलिस का अस्पताल और हाउसिंग स्कीम की बिल्डिंग बनी उनको बिला अर्नेस्ट मनी के टेन्डर मंजूर किये गये और 70-70 हजार रुपया ठेकेदार को एडवान्स भी दिया गया ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

इलाहाबाद में पुलिस के अस्पताल और हाउसिंग स्कीम की बिल्डिंग के लिए ठेकेदारों से वांछित अर्नेस्ट मनी जमा कराकर टेन्डर मंजूर किये गये। तथा पुलिस अस्पताल के बिल्डिग के विंग 1 के ठेकेदार को 22,050 रु०, विंग 11 के ठकेदार को 37,800 रु० तथा हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत 12 क्वार्टर टाइप 4 के अन्तर्गत निर्माण के लिए 67,875 रु० एडवांस दिया गया। एडवांस नियमानुसार ठेकेदारों को निर्माण-स्थल पर माल जमा करन के पश्चात् माल की लागत पर दिया गया जो रिकवर हो चुका है ।

श्री रियासत हुसैन---

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन इमारतों को बनाने वाली ठेकेदारों की पार्टीज कौन-कौन हैं और किन-किन तारीखों को अर्नेस्ट मनी उनके द्वारा जमा किया गया और किन-किन तारीखों को टेंडर मंजूर किये गये ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

यह ठेकेदार हैं। जनरल कांस्ट्रेक्शन कम्पनी, बरेली, हाजी; वजीर अहमद, बरेली; हाजी वजीर अहमद राधेश्याम गुप्ता, बरेली और मेसर्स जनरल सप्लाई कारपोरेशन, चन्दौसी।

श्री रियासत हुसैन---

मैंने यह भी पूछा था कि किस तारीख को अर्नेस्ट मनी जमा किया गया और किस-किस तारीख को टेंडर मंजूर किये गये, इसका उत्तर नहीं आया ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

यह टेन्डर जब आये और जब यह स्वीकार किये गये उसके पहले ही अर्नेस्ट मनी जमा कर ली गई ।

श्री रियासत हुसैन--

किस तारीख को अर्नेस्ट मनी जमा की गई और किस तारीख को टेंडर मंजूर हुये यह बतायें ? विना अर्नेस्ट मनी लिये हुये यह टेंडर मंजूर किये गये, निश्चित बतायें कि किस तारीख को टेंडर मंजूर हुये और उससे पहले किस तारीख को अर्नेस्ट मनी जमा कराई गई ?

श्री बीर बहादुर सिंह---

इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 1,27,720 रु० जो ठेकेदारों को एडवान्स के रूप में दिया तो किन-किन अधिकारियों ने औन दि स्पौट जाकर देखा और वे कौन-कौन सी चीजें थीं, जिनके अगेन्सट में वह रुपया एडवान्स किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

श्रीमन्, इस डिटेल के लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, जैसा कि माननीय मन्त्री जी के उत्तर से स्पष्ट है इसमें कुछ गड़बड़ घोटाला है । तो क्या इन सारी चीजों की जांच के लिए मंत्री जी सदन को आश्वासन देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्रीमन्, जो एडवान्स मनी दी गई थी, वह सारी रिकवर हो चुकी है । इसलिए अब जांच की, कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

कोई भी टेंडर बिना अर्नेस्ट मनी जमा किये हुए मंजूर नहीं हो सकता है । तो क्या सरकार उन अधिकारियों को सजा देगी जिन्होंने बिना अर्नेस्ट मनी लिए टेन्डर स्वीकार कर लिए ?

श्री वीर बहादुर सिंह

अर्नेस्ट मनी जमा की गयी थी और नियमों के अनुसार वही एडवान्स दिया गया जो दिया जाता है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

आपने जो कहा था कि सूचना की आवश्यकता है वह बताने में कि पहले जमा हुयी या बाद में जमा हुयी । यदि टेंडर के स्वीकृत करने के वक्त अर्नेस्ट मनी जमा नहीं करायी गयी तो टेंडर क्यों स्वीकृत किया गया ?

श्री अध्यक्ष---

क्या आप इसकी एन्क्वायरी करायेंगे कि अर्नेस्ट मनी जमा होने के पहले आपने टेन्डर क्यों मंजूर कर लिया ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

निश्चित तारीख बताने के लिये तो नोटिस की आवश्यकता है । इस समय निश्चित तारीख मालूम नहीं है लेकिन अगर कायदे के खिलाफ हुआ है तो जरूर कार्यवाही होगी ।

श्री रियासत हुसैन—]

जब तक अर्नेस्ट मनी जमा नहीं होती है, कानून के मुताबिक कोई टेन्डर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस में सब चीजों का गड़बड़ घोटाला है। तो क्या माननीय मंत्री जी इस विषय में अपने किसी उच्चाधिकारी से जांच कराने का सदन को आश्वासन देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो इन्होंने कहा है कि जांच करवा लेंगे।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, केवल टेन्डर का ही प्रश्न नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी अधिकारी ने सर्टीफाई भी किया कि जो एडवान्स ठेकेदारों को दिया गया वह सही दिया गया या नहीं ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव

जी हां, जांच करवा लूंगा।

*12—श्री रामनिहोर राय—

[4थे मंगलवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मुरादाबाद नलकूप डिवीजन में नलकूपों का बोरिंग व्यय

*13—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सिंचाई मन्त्री को पता है कि मुरादाबाद नलकूप डिवीजन में 1971-72 में विभाग द्वारा 180 नलकूपों का निर्माण कराया गया जिसका बोरिंग खर्चा 15 रुपया प्रति फिट दिनांक 29 मार्च, 1972 तक स्वीकृत था किन्तु अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद ने दिनांक 30 मार्च, 1972 को एक आदेश भेजकर 18 रुपया प्रति फिट खर्च वसूल किया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राजबिहारी सिंह—

जी हां।

18रु० प्रति फुट का रेट वास्तविक खर्चे और नलकूपों के छिद्रण की लम्बाई का परीक्षण कर निकाला गया जो मार्च, 1972 में उचित था।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि 29 तरीख तक 15 रुपया प्रति फुट तक स्वीकृत था लेकिन 30 मार्च को ही 18 रुपया फुट रेट निकालने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री राजबिहारी सिंह—

अधीक्षण अभियन्ता ने जब यह देखा कि यह रेट जो कि ट्यूबवैल डायरेक्टर द्वारा भी स्वीकृत था 18 रुपया उचित है तो इसे 18 रुपया प्रति फुट कर दिया।

भी सुरेन्द्र विक्रम—

इस दौरान में कितने फुट बोरिंग हुआ ?

श्री राजबिहारी सिंह—

यह बताना मुश्किल है, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी। लेकिन साल में कितना-कितना हुआ था वह रेट है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

29 तारीख तक 15 रूपये छै फिट के हिसाब से जो बोरिंग चार्जेज थे उसको एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने मुनासिब समझा था और वही रेट देने की बात की थी। सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर साहब को कौन सा ऐसा अहलाम हुआ कि उन्होंने 18 रुपये की स्वीकृति दे दी। किस तरह की जांच से यह बात पैदा हुयी और इसको कैसे जस्टिफाई किया गया था ?

श्री राजबिहारी सिंह—

सु० इन्जीनियर का कर्तव्य है कि वह एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर के काम को देखे। उस सिलसिले में जांच की और मालूम हुआ कि 1.40 हजार रुपये और पेमेन्ट करने बाकी हैं। इसलिये उसका दाम बढ़ा दिया।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, काम कराने की जिम्मेदारी तो एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर की है। अगर एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने यह मामला रेफर किया होता एस० ई० के पास और उन्होंने स्वीकृति दी होती तो बात पैदा होती। बकाया का सवाल कैसे पैदा हुआ, इसके पूर्व ?

श्री राज बिहारी सिंह—

इस समय जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक कागज-पत्र देखे गये हैं। मुआइने में यह उनकी जांच पड़ताल में सवाल आया। यह कैसे पैदा हुआ इसके लिये तो जानकारी करके ही बता सकता हूं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि इस अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध प्रश्न कर्ता ने स्वयं तथा अन्य सदस्यों ने भ्रष्टाचार के आरोप लिखित रूप में दिये हैं ?

श्री राजबिहारी सिंह—

इसकी तो सूचना की आवश्यकता है कि कोई कागजात इस बाबत में दिये गये हैं मुझे याद नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)

क्या मानमीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 15 रुपये फिट के बजाय 18 रुपये फिट का पेमेंट किया गया। 180 नलकूपों का पेमेंट हुआ है अथवा कुछ का। क्या टैन्डर्स काल किये गये थे। यदि नहीं, तो किस आधार पर और किस सिफारिश के आधार पर 18 रु० पेमेंट किया गया ?

श्री राजबिहारी सिंह—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है। अधिशासी अभियंता के मुआइने के बाद यह सवाल पैदा हुआ और दाम बढ़ाये गये ।

श्री वीरेंन्द्र वर्मा—

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि क्या तमाम 180 नलकूपों का 15 या 18 रुपये फिट के हिसाब से पेमेंट हुआ है ।

श्री राजबिहारी सिंह—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

एक हफ्ता पहले माननीय मन्त्री जी ने उपर्युक्त अधिशासी अभियन्ता का ट्रांसफर कर दिया था, क्या यह सही है ?

श्री राज बिहारी सिंह---

मान्यवर, ट्रांसफर तो होते रहते हैं । ठीक नाम पूछें कि किस व्यक्ति की बात है तो बताया जाय ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि मुआयने के वक्त क्या बात पैदा हो गयी थी जिसकी वजह से रेट बढ़ाना पड़ा ?

श्री राजबिहारी सिंह---

मान्यवर, अधीक्षण अभियन्ता ने कागजों को देखा औरउनसे यह मालूम हुआ कि 1 लाख 40 हजार रुपया.....

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

दोनों के बांटने के लिये । दोनों ने तय किया कि बढ़ा लो और खा लो ।

श्री अध्यक्ष---

आप इंक्वायरी करके जवाब दे सकते हैं । सवालों से जो शक व्यक्त हुए उनकी आप इंक्वायरी करा लें ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

इस मामले को और देख लिया जाय । कई नये प्रश्न हो गये हैं जिनका डिटेल में उत्तर देना सम्भव नहीं है । 180 में कितनों को 15 रुपया दिया और कितनों को 18 रु० दिया तो जब तक जांच न करलें तब तक 180 नलकूपों के बारे में उत्तर देना मुश्किल है । असरार अहमद और कल्पनाथ सिंह जी ने भी सवाल उठाये हैं तो उनको भी देख लिया जाय कि 15 रु० की जगह 18 रूपया क्यों किया गया ।

श्री अध्यक्ष---

इसकी जांच कर लें और किसी दिन सदन में सूचना दे.दें । या मेरे पास भेज दें तो सदन को इंफार्मेशन दे दूंगा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

इसको मुल्तवी कर दें ।

श्री अध्यक्ष---

इसका यही मतलब है ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो कहा मैं उससे सहमत हूं । एक निवेदन और था कि ऐसे लोग जिनके ऊपर प्राइमाफेसी केस बनता हो, जैसा कि मुख्य मन्त्री जी भी समझते हैं कि जांच की जरूरत है, तो ऐसे अभियन्ता को वहां से हटा कर उसकी जांच करायें ।

श्री अध्यक्ष---

यह चीज इससे पैदा नहीं होती । पहले फैक्ट जान लेने चाहिये ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

फैक्ट तो यह था कि पहले 15 रुपया दिया जा रहा था।

श्री अध्यक्ष —

पहले यह जांच करलें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह सप्लीमेंटरी जवाब कब तक आ जायगा। अगर 14 दिन के बाद यह आया तो क्या लाभ होगा ?

श्री अध्यक्ष—

जानकारी करके मेरे पास भेज देंगे। जितनी जल्दी हो यह इसकी जानकारी कर लें।

*14—श्री सर्वसुख सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त किया गया]

सहायक प्रसार निरीक्षकों में हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के लोग

*15—श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य स्तर पर कुल कितने सहायक प्रसार निरीक्षक जिलेवार नियुक्त किये गये हैं और उसमें अलग-अलग हरिजन तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोग सेवा में लिये गये हैं ? उनका वेतन क्रम क्या है ?

श्री राजबिहारी सिंह—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 101 पर)

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान उत्तर की तरफ खींचना चाहूंगा। सदन को इन्होंने गुमराह किया है। हमारा प्रश्न आप देख लें। उसमें था कि जिलेवार संख्या क्या है। दूसरा था कि हरिजनों और पिछड़े वर्ग की संख्या क्या है। मान्यवर, यह उत्तर सही नहीं आया है। इस प्रश्न को स्थगित किया जाय और कल उत्तर दिलाया जाय। यह हमेशा टालमटोल करते हैं।

श्री अध्यक्ष—

क्या बात है, क्यों नहीं उत्तर दिया ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

इन्होंने खाली लिख दिया है कि सामान्य वर्ग 861 और हरिजन वर्ग 189। जिलेवार सूची नहीं दी।

श्री अध्यक्ष—

आपने प्रश्न में पूछा है कि क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य स्तर पर कुल कितने सहायक प्रसार निरीक्षक जिलेवार नियुक्त किये गये हैं और उसमें अलग-अलग

हरिजन तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोग सेवा में लिये गये हैं । उनका वेतन क्रम क्या है । इन्होंने दिया है कि मेरठ, बरेली, मैनपुरी, वाराणसी.....।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

इनका उत्तर है कि राज्य स्तर पर 1050 सहायक कृषि प्रसार निरीक्षक नियुक्त किये गये हैं जिनमें 861 सामान्य वर्ग एवं 189 हरिजन वर्ग के अभ्यर्थी हैं । इनमें पिछड़े वर्ग की संख्या नहीं है । इससे साफ मालूम होता है कि उन्होंने पिछड़े लोगों की उपेक्षा की है ।

श्री अध्यक्ष---

यह मण्डलवार दिया है । अगर इसमें पिछड़े वर्ग को नहीं लिया है तो यह त्रुटि की है ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

इसको कल के लिये कर दिया जाय ।

श्री राजबिहारी सिंह---

यह तो बहुत स्पष्ट है। सिंचाई विभाग में जिलेवार नियुक्तियां नहीं होती हैं । मण्डल में अधीक्षण अभियन्ता नियुक्तियां करता है । सूचना में मंडलवार नियुक्तियों की सूची दे दी है । हरिजन 189 लिये गये हैं । उनके वेतन क्रम भी साफ दिये हैं । प्रश्न यह है कि अन्य लोग कितने हैं इसका पता लगाने से कठिनाई पड़ती है ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

मेरा स्पेसिफिक सवाल था ।

श्री राजबिहारी सिंह---

मैं बैकवर्ड की लिस्ट मांग रहा हूं क्योंकि जो लिस्ट आई है उससे हरिजनों का पता तो लग जाता है लेकिन बैकवर्ड के बारे में पता नहीं लग सका है । मैं लिस्ट आने पर देखकर बतला दूंगा ।

श्री अध्यक्ष---

मैं इसको पोस्टपोन किये देता हूं । पिछड़े वर्ग के लिये आप यह कह सकते हैं कि लिस्ट नहीं रहती है । अगर आप समझते हैं कि छांट नहीं सकते हैं तो आप कह सकते हैं कि लिस्ट नहीं रहती है ।

श्री राजबिहारी सिंह---

मैं छटवा सकता हूं लेकिन जितने लोग हैं उनके कागज को देखने से पता लगा है कि 189 हरिजनों की संख्या है और 861 अन्य लोग रक्खे गये हैं । इसमें 117 बैकवर्ड की संख्या है ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

इसको स्थगित करके सही उत्तर दिलवा दिया जाय । सरकार का 53 से आदेश है कि बैकवर्ड को वरीयता दी जायगी । उसकी लिस्ट मौजूद है । तो जब सरकार मान्यता देती है तो इसको ठीक से किया जाना चाहिये । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने एक और जवाब दिया है । प्रश्न 13 में सिंचाई मन्त्री ने अन्य जातियों के बारे में ब्योरा दिया है । इसमें ब्योरा नहीं दिया है ।

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने कहा है कि 117 पिछड़े वर्ग के लिये गये हैं । यह उनको जानकारी है लेकिन उनको निश्चित जानकारी नहीं है । वह जानकारी हासिल करके दे देंगे ।

श्री राजबिहारी सिंह---

मुझे श्रीमन्, 117 की संख्या निश्चित मालूम है। जिलेवार संख्या देने में मुश्किल होगी। मण्डलवार भर्ती की जाती है। जब बैकवर्ड के बारे में जानकारी हो जावेगी तो दे दूंगा।

[तारांकित प्रश्न संख्या 15 स्थगित किया गया।]

सिंचाई वर्कशाप, मवाना रोड (मेरठ) के मजदूरों की क्रमिक भूख-हड़ताल

*16---श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई वर्कशाप, मवाना रोड, मेरठ के मजदूरों ने 22 अक्टूबर, 1972 से क्रमिक भूख-हड़ताल की थी ? यदि हां, तो वर्कशाप के मजदूरों की मांगें क्या थीं ? सरकार इन्हें कब तक पूर्ण कर रही है ?

श्री महमूद अली खां---

जी हां। उनकी मांग आदि के सम्बन्ध में सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 102 पर)

*17---श्री मोहन लाल कपूर---

[सरकार से असम्बद्ध---निरस्त]

फतेहाबाद (आगरा) की सिंचाई लिफ्ट योजना एवं नलकूपों का निर्माण

*18---श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा फतेहाबाद)---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश भर में जो सिंचाई के लिये लिफ्ट योजना चलाई जा रही है उसे आगरा की तहसील फतेहाबाद में भी लागू किया जायगा ? अगर हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री महमूद अली खां---

आगरा जिले की तहसील फतेहाबाद के लिये कोई लिफ्ट योजना प्रस्तावित नहीं है।

*19---श्री हुकुम सिंह परिहार---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले की तहसील फतेहाबाद को सिंचित बनाने के बारे में अधिक नलकूप बनाने का प्रस्ताव क्षेत्रीय विधायक द्वारा हाल में प्राप्त हुआ है ? अगर हां, तो इस प्रस्ताव पर क्या कायवाही की गई ? क्या इस तहसील में निर्धारित नलकूपों की संख्या सरकार बताने की कृपा करेगी ?

श्री महमूद अली खां---

जी हां। चालू वित्तीय वर्ष में 10 राजकीय नलकूप तहसील फतेहाबाद में निर्मित किये जाने का प्रस्ताव है।

*20---श्री नैपाल सिंह---

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

नोट---तारांकित प्रश्न संख्या 15 के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*21—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री राम करन सिंह—

[6वें गुरुवार के लिये ता0 प्र0 सं0 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

परिवहन मन्त्री तथा एलाटमेंट कमेटी द्वारा स्कूटर एवं कारों का आवंटन

*22—श्री लक्ष्मण स्वरूप (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्कूटर व कारों की एलाटमेंट कमेटी बन जाने के पश्चात् भी परिवहन मन्त्री ने स्वयं कितने स्कूटर व कारों का आवंटन किया है ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में तथा किन-किन व्यक्तियों को ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

जी हां। केवल एडहाक कोटा के 55 बजाज स्कूटरों का आंवटन जुलाई–सितम्बर, 1972 की तिमाही में किया गया था, जिसकी सूची 'क' संलग्न है। विधायकों के लिये 200 स्कूटर्स का तदर्थ कोटा मिला था। उन सभी विधायकों को जिनके आवदन-पत्र प्राप्त हुए थ तथा जिन्हें तीन वर्ष के भीतर गाड़ियां आवंटित नहीं हुई थीं, उन सभी को स्कूटर आवंटित कर दिये गये थे।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 104 पर)

*23—श्री लक्ष्मण स्वरूप—

क्या सरकर बताने की कृपा करेगी कि विधायकों के कितने प्रार्थना-पत्र स्कूटरों के एलाटमन्ट हेतु 1972 म प्राप्त हुए और उनमें से कितने विधायकों को दिये गये और कितनों को नहीं, यदि नहीं, तो क्यों ? जिनको दिये गये उनके नाम क्या हैं ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

वर्ष 1972 में विधायकों के 173 आवेदन-पत्र स्कूटर आवंटन हेतु प्राप्त हुए। उनमें से 122 विधायकों को स्कूटर आवंटित किये गये, जिनकी सूची 'ख' संलग्न है। 44 विधायकों को इसलिये स्कूटर आवंटित नहीं किया गया क्योंकि उनको तीन साल के अन्दर गाड़ी का आवंटन हो चुका था।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 106 पर)

बुलन्दशहर के विभिन्न मार्गों को पक्का करने में शीघ्रता की मांग

*24—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को ज्ञात है कि जिला बुलन्दशहर में स्थित खानपुर-भड़कऊ गेसूपुर मार्ग, सयाना–खानपुर–जसर मार्ग, बुगरासी जलालपुर–मस्याना मार्ग, तथा माकंड़ी–भड़कऊ–नरसेना ऊंचागांव-अनिबास मार्ग के महत्व को देखते हुए अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बुलन्दशहर खण्ड ने उक्त मार्गों को पंचम पंचवर्षीय योजना में पक्का किये जाने के लिये निर्धारित किये जाने की संस्तुति की है और इनमें से अधिकतर मार्गों को पक्का किये जाने की संस्तुति सार्वजनिक निर्माण जिला परामर्शदात्री समिति भी कर चुकी है ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्गों को पंचम पंचवर्षीय योजना में पक्का किये जाने वाले मार्गों के एडवान्स ऐक्शन की सूची में रखने को स्वीकार करेंगे ताकि उनका सर्वेक्षण और तखमीना अभी से बन सके?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

प्रश्नगत सड़कों को पंचम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने हेतु जिला अधिकारी, बुलन्दशहर से अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, बुलन्दशहर ने संस्तुति की है किन्तु परामर्श-

क्षेत्री समिति बुलन्दशहर से इन सड़कों के लिये कोई संस्तुति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इन सड़को को एडवान्स की सूची में सम्मिलित करना इन मांगों को प्रदान की गई प्राथमिकता तथा पंचम पंचवर्षीय योजना के आकार पर निर्भर करता है।

मझगावां तथा गजपुर (गोरखपुर) में कटाव निरोधक कार्य

*25—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में स्थित ग्राम मझगांवा एवं गजपुर गांव राप्ती नदी के कटाव से कट रहे हैं? कटाव के कारण कितने घर कट गये हैं एवं 1 जनवरी, 1972 से 28 नवम्बर, 1972 तक कितने प्रार्थना-पत्र कटाव के रोकने के संबंध में सरकार को प्राप्त हुए हैं तथा उक्त प्रार्थना-पत्र पर सरकार की ओर से कौन सी कार्यवाही हो रही है?

श्री महमूद अली खां—

जी हां। मझगांवा तथा गजपुर ग्राम में क्रमशः 5 तथा 18 घर कटे हैं। कथित अवधि में ग्राम मझगांवा के कटाव के रोकने के संबंध में तीन पत्र प्राप्त हुए थे। नदी के इस क्षेत्र में सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसके पूर्ण होने पर कटाव निरोधक कार्यों के संबंध में अध्ययन के पश्चात् निर्णय लिया जायगा।

गोरखपुर के विभिन्न विकास खण्डों में राजकीय नलकूप

*26—श्रीमती मसाली देवी—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत विकास खण्ड बासगांव, विकास खण्ड, बेलघाट, विकास खण्ड खजनी एवं उस्का ब्लाक के अन्तर्गत जनवरी, 1971 से 28 नवम्बर, 1972 तक कितने राजकीय नलकूप लगाये गये हैं? कितने स्थान पर नलकूप लगाने के स्थान का चयन किया गया है? और कितने ऐसे स्थान हैं जहां पर सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है?

श्री महमूद अली खां—

जनवरी, 1971 से 28 नवम्बर, 1972 तक 15 राजकीय नलकूप लगाये गये हैं। कुल सात स्थानों का चयन किया गया है और चार स्थानों पर सर्वेक्षण कार्य चल रहा है।

*27—श्री जगन्नाथ राव—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

बुलन्दशहर की भवन बहादुरनगर-ढकौली सड़क

*28—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि जिला बुलन्दशहर में भवन बहादुर नगर से ढकौली तक की सड़क का निर्माण सार्वजनिक विभाग द्वारा मार्च, 1972 तक होना था? यदि हां, तो उसमें क्या प्रगति हुई है और नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जी नहीं। सीमित धनराशि के कारण प्रश्नगत सड़क का निर्माण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं किया जा सका।

चम्पावत जल विद्युत योजनान्तर्गत गबन की जांच

*29—श्री हिम्मत सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चम्पावत जल विद्युत योजना में लाखों के गबन के सम्बन्ध में 1970-71 में अधिशासी अभियन्ता को जांच (तहकीकात) हेतु नियुक्त किया गया था? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या रहा और क्या कार्यवाही की गई?

श्री महमूद अली खां—

जी हां। जांच की कार्यवाही अभी पूरी नहीं हुई है।

कानपुर की उत्तरी नोन, रिन्द तथा पान्डव नदियों के किनारे की भूमि को सिंचित करने की व्यवस्था

*30—श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जनपद की उत्तरी नोन, रिन्द, तथा पान्डव नदी जिनमें वर्ष भर बराबर पानी रहता है, तथा उसके किनारे का क्षेत्र असिंचित है उसको सिंचित करने के लिये लिफ्ट योजना द्वारा व्यवस्था करेंगे?

श्री महमूद अली खां—

कानपुर जिले में उत्तर नोन, रिन्द तथा पांडव नदियों पर लिफ्ट योजनायों में चालू नहरों की जलक्षमता को बढ़ाया जा रहा है। रिन्द नदी पर शम्भुआ पम्प नहर का निर्माण किया जा रहा है।

इससे इस असिंचित क्षेत्र को अतिरिक्त पानी देने की व्यवस्था की जा रही है।

रामगंगा परियोजना

*31—श्री रामकुमार दीक्षित—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रामगंगा परियोजना कब तक पूर्ण हो जायगी और सिंचाई के लिये पानी की व्यवस्था कब तक कर दी जायगी।

श्री महमूदअली खां—

रामगंगा परियोजना का मुख्य बांध, सैंडिल बांध तथा स्पिलवे का निर्माण जून, 1974 तक प्रस्तावित है। परियोजना से सिंचाई के लिये जल अक्तूबर, 1974 से उपलब्ध होने की आशा है।

सिंचाई विभाग में अधिशासी अभियन्ताओं की नियुक्तियां

*32—श्री देवराम (जिला गाजीपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में अधिशासी अभियन्ता के रिक्त पदों के लिये कितने सहायक अभियन्ताओं की इन्जीनियरिंग इन्चार्ज के पद के रूप में पदोन्नति की जा रही है? क्या उक्त पदोन्नति में निर्धारित 1/5 कोटा पदोन्नति सहायक अभियन्ताओं के लिये आरक्षित है? यदि नहीं तो क्यों?

श्री महमूद अली खां—

अधिशासी अभियन्ता (सिविल) की रिक्तियों में काम चलाऊ प्रबन्ध के रूप में इंचार्ज सहायक अभियन्ताओं की नियुक्तियां की जा रही हैं। प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं के लिये अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति हेतु सेवा नियमावली में कोई कोटा आरक्षित नहीं है।

बुलन्दशहर के ट्यूबवेल आपरेटरों की नियुक्ति में विलम्ब

*33—श्री वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर में नलकूप विभाग दक्षिण में 8 जून, 1971 को ट्यूबवेल आपरेटरों का साक्षात्कार हुआ था तथा जो अभ्यर्थी चुने गये उन्हें 14, जनवरी, 1971 को कार्य सीखने के लिये भेजा गया परन्तु अभी तक नियुक्ति के आदेश नहीं हुए हैं ? नियुक्ति में विलम्ब का क्या कारण है तथा कब तक नियुक्तियां होंगी ?

श्री महमूद अली खां—

जिला बुलन्दशहर में नलकूप खण्ड, दक्षिण नामक कोई खण्ड नहीं है ।

*34—श्री शिवमहेन्द्र सिंह कुंवर—

[5वें बुधवार के लिये स्थगित]

*35—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य तथा श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*36-37—श्री सियाराम—

[5वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

*38—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[निगम बन जाने के कारण निरस्त]

सिंचाई विभाग में विद्युत एवं यांत्रिक सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति

*39—श्री हरि प्रसाद शाही (जिला गोरखपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में विद्युत एवं यांत्रिक सुपरवाइजर, पत्रांक संख्या 11561-ई-3, दिनांक 18/22 नवम्बर, 1972 की नियुक्ति में चयन करने का क्या आधार बनाया गया था तथा विभाग में वर्क चार्ज मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होल्डर जिनका 8 नवम्बर, 1972 तक, तीन वर्ष पूरा हो चुका था उनकी विद्युत् एवं यांत्रिक सुपरवाइजर पद पर नियुक्ति न करने का कारण क्या थे ?

श्री महमूद अली खां—

चयन सिंचाई विभाग की अधीनस्थ विद्युत तथा यांत्रिक अभियन्त्रण सेवा नियमावली, 1970 के आधार पर किया गया ।

*40—श्री इन्द्रलाल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

विधान भवन स्थित ओल्ड प्रीमियर्स बिल्डिंग को असुरक्षित घोषित किया जाना

*41—श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि विधान भवन में स्थित ओल्ड प्रीमियर्स बिल्डिंग को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने हाल ही में असुरक्षित घोषित कर दिया

है और क्या यह सही है कि उक्त भवन की हालत बहुत खस्ता है ? यदि हां, तो सुरक्षा की दृष्टि से इस बिल्डिंग को पुनः बनवाने के आदेश तुरन्त प्रसारित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महमूद अली खां---

जी हां। इस स्थान पर एक नई इमारत बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

बादशाह नगर एवं महानगर (लखनऊ) के सरकारी क्वार्टरों की आवंटन नीति

*42---श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)---

क्या यह सत्य है कि सचिवालय संघ ने अपने पत्र दिनांक 25 मार्च, 1972 में सरकार से यह प्रार्थना की थी कि बाहशाहनगर और महानगर लखनऊ में बने हुये सरकारी क्वार्टरों का आवंटन कार्यालय ज्ञाप संख्या आर-2010/आर0एस0-बी0-4-1957, दिनांक 18 अप्रैल, 1962 में निर्धारित आधार पर किया जाय ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महमूद अली खां---

जी हां। अपने पत्र दिनांक 13-4-72 में संघ ने यह मांग की थी। क्वार्टरों का आबंटन कथित कार्यालय ज्ञाप में इंगित आधार पर ही किया जाता है। कभी-कभी विशेष परिस्थिति में अपवाद भी हो जाते हैं।

*43-44---श्री दुर्जन---

[विस्तृत होने के कारण मिरस्त]

*45---श्री रामविलास पाण्डेय---

[4थे मंगलवार के लिए तारांकित प्र0 सं0 57 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

डाइरेक्टर, ट्यूबवेल्स पद का कार्यभार एवं विभाग में आमंत्रित टेंडर

*46---श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के वर्तमान डाइरेक्टर ट्यूबवेल्स ने किस तिथि को अपने वर्तमान पद का कार्यभार ग्रहण किया और कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आज तक उनके विभाग में क्रय करने के लिये किन-किन वस्तुओं हेतु कब-कब टेन्डर आमंत्रित किये गये और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार आये हुये टेन्डर्स का पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री महमूद अली खां---

कार्यभार 7-2-1968 को लिया था। उस तिथि से आज तक नलकूप विभाग के लिये अधीक्षण अभियन्ता, सेन्ट्रल इक्विपमेंट ऐण्ड स्टोर्स प्रोक्योरमेंट आरगनाइजेशन, लखनऊ ने सज्जा एवं भण्डार खरीदने के लिये जितने टेण्डर मांगे हैं उनकी सूची तथा अन्य विवरण संलग्न तालिका† में दी हुई है।

*47---श्री सूबेदार सिंह---

[5वें बुधवार के लिए स्थगित]

†छापी नहीं गई।

*48—श्री इन्द्रजीत—

[5वें बुधवार के लिए स्थगित]

*49—श्री हरीदत्त काण्डपाल—

[4थे मंगलवार के लिए तारा० प्र० सं० 31 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

परिवहन विभाग के गोरखपुर रीजन से प्राप्त यात्री-कर

*50—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) तथा श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1970 से मार्च, 1972 तक यात्री-कर से गोरखपुर रीजन में प्रत्येक वर्ष क्या आय होती थी और कितनी-कितनी बसें प्रत्येक वर्ष में चलती रही हैं ? 1 अप्रैल, 1972 से दिसम्बर, 1972 तक यात्री कर से क्या आय हुई क्या यह सही है कि बसों की संख्या बढ़ने के बावजूद भी यात्री कर से होने वाली आय घटी है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

मार्च, 1970 से मार्च, 1972 तक यात्री-कर से गोरखपुर संभाग में प्रत्येक वर्ष निम्न आय हुई और प्रतिवर्ष निम्नांकित संख्या में गाड़ियां चलीं :

अवधि	यात्री कर से प्राप्त आय	गाड़ियों की संख्या
1-3-70 से 31-3-70 तक ..	.. 3,09,999.21,	500
1-4-70 से 31-3-71 तक ..	.. 40,47,700.00	501
1-4-71 से 31-3-72 तक ..	.. 43,44,130.58	456

1-4-72 से 30-11-72 तक यात्री कर से 29,39,241.09 रुपये आय हुई तथा औसतन 503 गाड़ियां चलीं। जहां तक माह दिसम्बर, 1972 की आय का प्रश्न है, इस माह का यात्री कर 15-1-1973 तक विधवत् देय है, अतः यह सूचना 15-1-73 के पश्चात् ही उपलब्ध हो सकेगी।

यह सही नहीं कि 1-3-70 से 31-3-72 तक वर्षवार गाड़ियों की संख्या बढ़ने के बावजूद भी यात्री-कर से होने वाली आय में कमी हुई है।

*51-52—श्री शमीम आलम—

[5वें बुधवार के लिए स्थगित]

*53—श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

विभागीय अधिदर्शकों की सहायक अभियन्ताओं के पदों पर पदोन्नति

*54—श्री राम लाल भाई (जिला गोरखपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग में सहायक अभियन्ताओं की कमी को देखते हुये विभागीय अधिदर्शक जो ए० एम० आई० और विभागीय परीक्षा पास कर चुके हैं उनकी पदोन्नति करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

R.A.
7020

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जी हां, परन्तु उन्हीं अधिदर्शकों के संबंध में तदर्थ एवं अन्तिम रूप से विचार होगा जो नियमों में निर्धारित अन्य शर्तें भी पूर्ण करते हैं। पात्र अधिदर्शकों के संबंध में विवरण एकत्रित होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

कोटद्वार-भावर, पौड़ी गढ़वाल में ट्यूबवेल बोरिंग हेतु रिंग मशीन भेजवाने का आदेश

*55—श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि वे जब 24 अक्तूबर, 1972 को कोटद्वार भावर, पौड़ी गढ़वाल गये थे उस समय उन्होंने उपरोक्त क्षेत्र में तुरन्त ट्यूबवेल बोरिंग करने हेतु रिंग मशीनें भिजवाने की घोषणा की थी? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री महमूद अली खां—

जी हां। एक रिंग भेजने का आदेश कर दिया गया है। यह रिंग इस समय टनकपुर क्षेत्र में कार्य कर रही है और वहां बोरिंग को पूरा करने के बाद तुरन्त कोटद्वार क्षेत्र में भेज दी जावेगी।

*56—श्री नरोत्तम सिंह तथा श्री रघुवीर सिंह यादव—

[4थे बुधवार के लिए प्र0 सं0 21 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*57–58—श्री जितेन्द्र पाल सिंह—

[6ठें बुधवार के लिए प्र0 सं0 22-23 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*59–60—श्री सजीवन लाल—

[6ठें बुधवार के लिए प्र0 सं0 20-21 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

61-62—श्री मोहम्मद असरार अहमद, श्री राम बचन यादव, श्री फिरंगी प्रसाद विशारद तथा श्री सैयद मुर्तजा—

[5वें बुधवार के लिए स्थगित]

निर्वाचन क्षेत्र महादेवा (गोंडा) में नलकूप लगाने के प्रार्थना-पत्र

*63—श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्वाचन क्षेत्र 168–महादेवा, तहसील तरबगंज, जनपद गोंडा में प्रश्नकर्ता ने सन् 1970 71 तथा 1972 तक कितने प्रार्थना-पत्र नलकूप लगाने के लिये दिये और आज तक उन पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री महमूद अली खां—

5 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये। प्रारम्भिक सर्वेक्षण के अनुसार 168–महादेवा क्षेत्र में 15 नलकूप और लगाये जा सकते हैं। 2 नलकूप 1971-72 में लग चुके हैं, एक 72-73 में लगाने का प्रस्ताव है। अगले वर्षों में कितने-कितने निर्मित होंगे यह जिला चयन समिति की सिफारिश पर निर्भर है।

परिवहन निगम द्वारा श्री बी०के० मेहरोत्रा की स्पेशल कौंसिल के रूप में नियुक्ति

*64--श्री मोहम्मद असरार अहमद, श्री शिवपाल सिंह (जिला उन्नाव), श्री सच्चिदानन्द (जिला लखनऊ), श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़) तथा श्री धर्मवीर सिंह—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने श्री बी 0 के 0 मेहरोत्रा, एडवोकेट को उच्च न्यायालय (इलाहाबाद हाई कोर्ट) में निगम की ओर से जो मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहे हैं या चल रहे थे स्पेशल कौंसिल गवर्नमेंट स्टैंडिंग कौंसिल के अतिरिक्त, नियुक्ति किया है ? यदि हां, तो कब से और किस आधार पर और किस फीस पर ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

जिन मामलों में राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज/सड़क परिवहन निगम पार्टी थे या हैं उनमें श्री बी 0 के 0 मेहरोत्रा एडवोकेट शासन के अनेशानुसार स्थायी अधिवक्ता के रूप में पूर्ववत पैरवी कर रहे हैं। निगम ने श्री मेहरोत्रा को केवल एक मामले में सितम्बर, 1972 में एस 0टी 0ए 0 (टी) के एक निर्णय के विरुद्ध रिट याचिका दायर करने के लिए अपना एडवोकेट नियुक्त किया क्योंकि उन्हें इस कार्य के लिए उपयुक्त समझा गया। अभी निगम ने इनकी फीस तय नहीं की है।

अतारांकित प्रश्न

सुल्तानपुर में नलकूपों पर लगे मोटर एवं विकास खंड जगदीशपुर में नलकूप लगाने का प्रस्ताव

1— श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड जगदीशपुर, मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में कितने नलकूपों के 1972-73 में लगाने की योजना है तथा कितने लग चुके हैं ?

श्री महमूद अली खां—

केवल विकास खंड मुसाफिरखाना में एक राजकीय नलकूप लगाने का प्रस्ताव है जिस पर अभी कार्य आरम्भ नहीं हुआ है।

2—श्री रामगोपाल संड—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के कितने नलकूपों पर मोटर लगे हैं और कितने पर लगना बाकी है तथा जिन पर नहीं लगा है कब तक लगा दिया जायगा ? क्या सिंचाई मंत्री यह भी बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर में नलकूपों पर लगे हुए कितने मोटर एक वर्ष से अधिक दिनों से जले हुए हैं तथा उनको कब तक ठीक करा दिया जायगा ?

श्री महमूद अली खां

जनपद सुल्तानपुर में 196 नलकूपों पर मोटर लगे हुये हैं तथा 4 नलकूपों पर मोटर लगाना शेष है जिन्हें अगले माह तक लगाने की कार्यवाही की जा रही है। किसी भी नलकूप में एक वर्ष से अधिक से मोटर जले हुये नहीं हैं।

फतेहाबाद (आगरा) के नलकूप

3--श्री हुकुम सिंह परिहार--

क्या सरकार को पता है कि आगरा जिले में तहसील फतेहाबाद में बने हुए सरकारी नलकूप दो वर्ष से बिना चालू हुए पड़े हैं ? क्या सरकार इसी वर्ष इन ट्यूबवेलों को, जो कि गत वर्ष तथा इसी वर्ष बने हैं इसी वर्ष चालू करने का आदेश देगी ?

श्री महमूद अली खां

11 नलकूपों पर काम पूरा करके बी0 एल0 फार्म इनके विद्युतीकरण हेतु राज्य विद्युत् परिषद् को भेज दिये गये हैं। 5 पर काम हो रहा है और 2 नलकूप ऐसे हैं जो सफल नहीं हो पाये।

4--श्री हुकुम सिंह परिहार--

क्या यह भी सही है कि तहसील फतेहाबाद के गांव रूपपुर में एक सरकारी नलकूप खराब पड़ा है जिसमें कि लोहे की एक सलाख डाल दी गई है ? क्या सरकार इस नलकप को ठीक कराने का आदेश देगी ?

श्री महमूद अली खां

जी हां। इस कूप का निकास बढ़ाने के सभी प्रयास असफल रहे। अतः इसके स्थान पर फिर से बोरिंग करने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर तथा बलिया में नलकूप लगाने की योजना एंव जौनपुर के नलकूपों के मोटर

5--सर्वश्री उमानाथ सिंह, श्री जंग बहादुर यादव, श्री जगन्नाथ राव तथा श्री राम सागर (जिला जौनपुर)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी क्षेत्र के जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया में 72-73 में कितने नलकूपों के लगाने की योजना है तथा कितने लग चुके हैं ?

श्री महमूद अली खां

सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 109 पर)

6--सर्वश्री उमानाथ सिंह, जंगबहादुर यादव, जगन्नाथ राव तथा श्री रामसागर--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद के कितने नलकूपों पर मोटर लगे हैं और कितने पर लगना बाकी है ? जिन पर अब तक नहीं लगा है कब तक लगा दिया जायगा ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में कितने नलकूपों पर लगे हुए मोटर एक वर्ष से अधिक समय से जले हुए हैं तथा उनको कब तक ठीक करा दिया जायगा ?

श्री महमूद अली खां--

366 राजकीय नलकूपों पर मोटर लगे हुये हैं, 15 पर लगने बाकी हैं। इन 15 में से 5 पर जनवरी, 1973 तक मोटरलगा दिये जायेंगे और शेष 10 पर डेवलपमेंट का कार्य पूरा होने पर लगाये जावेंगे।

ऐसा कोई नलकूप नहीं है जिसपर मोटर एक वर्ष से जली हुई पड़ी हो।

फीडर चैनल रामगंगा परियोजना, कालागढ़ (बिजनौर) के कर्मचारियों का इन्सेन्टिव बोनस

7- श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फीडर चैनल रामगंगा परियोजना कालागढ़, जिला बिजनौर के निर्माण में कार्यरत कर्मचारियों को दिनांक 15-11-1972 इन्सेंटिव बोनस प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं ? क्या उपरोक्त कर्मचारियों को उक्त बोनस दिये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्णय कब तक हो जायेगा और नहीं तो क्यों ?

श्री महमूद अली खां--

बोनस रामगंगा परियोजना के उन कर्मचारियों को दिया गया है जो कालागढ़ में ही कार्य करते हैं। फीडर चैनल निर्माण पर कार्यरत कर्मचारियों को बोनस देने का प्रस्ताव अलग से शासन के विचाराधीन है।

महेशपुर माईनर (अलीगढ़) के खन्दी से फसल की हानि

8--श्री कल्याण सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार को ज्ञात है कि जिला अलीगढ़, तहसील कोल के अन्तर्गत महेशपुर माइनर के मील 3 फ0 2 से मील 4 फर्लांग 4 तक के मध्य में गत पांच वर्षों से लगातार खन्दी होती रहती है जिसके कारण तहसील कोल के ग्राम सकरावली आदि के कृषकों की लगभग 500 बीघे उपजाऊ कृषि भमि प्रतिवर्ष जलमग्न रहती है और किसी भी फसल का उत्पादन नहीं हो पा रहा है ; यदि हां, तो सरकार उपरोक्त खन्दी रोकने के लिये क्या उपाय करने जा रही है ?

श्री महमूद अली खां--

सूचना एकत्र की जा रही है।

बहादुरगंज (गाजीपुर) का रिंग बांध निर्माण कार्य

9--श्री लालसा (आजमगढ़)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कस्बा बहादुरगंज, जिला गाजीपुर, जो दो नदियों के बीच स्थित है उसको बाढ़ से बचाने के लिये राज्य सरकार ने रिंग बांध निर्माण की योजना स्वीकृत की है या उसके विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब से आरम्भ होगा ?

श्री महमूद अली खां--

अभी इस कस्बे को बाढ़ से बचाने के लिये सवक्षण करने के आदेश दिये गये हैं।

10-11--श्री गोपालदत्त ओझा--

[6 वें वृहस्पतिवार में प्र0 सं0 2-3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सिंचाई विभाग में वर्कशाप का मिश्रण

12--श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री मोहम्मद असरार अहमद--

क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में वर्कशाप का मिश्रण (मर्जर) हो गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या कठिनाई है ? क्या यह भी सही है कि सन् 1952 में इस आशय की कोई राजाज्ञा दी गई थी ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री महमूद अली खं---

सिंचाई कार्यशाला मंडल, कानपुर के अन्तर्गत समस्त वर्कशाप सिंचाई विभाग के नियंत्रण में आ चुके हैं ।

सन् 1952 का शासनादेश भी कृषि अभियंतरण विभाग के वर्कशापों का सिंचाई विभाग के वर्कशापों से विलयन के संबंध में था ।

ककोरा मेला (बदायूं) में अधिकारियों के कैम्प पर व्यय

13---श्री मोहम्मद असरार अहमद तथा श्री उदयनाथ (जिला वाराणसी)---

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि नवम्बर, सन् 1972 में जिला बदायूं के ककोरा मेला में सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, सिंचाई ट्यूबवेल, बरेली मंडल, इक्जीक्यूटिव इंजीनियर, ट्यूबवेल आदि के कैम्प लगाये गये थे ? यदि हां, तो किस कार्य के लिये और इस पर अलग-अलग कितना रुपया व्यय हुआ और कौन-कौन से अधिकारी व कर्मचारी वहां थे ?

श्री महमूद अली खां---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सिंचाई नलकूप मंडल, वाराणसी में चौकीदार व वर्कचार्ज के पद पर नियुक्ति

14---श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर)

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई नलकूप मंडल, वाराणसी में सन् 1971-72-1972-73 में कितने व्यक्ति कूप चौकीदार व वर्कचार्ज के पद पर नियुक्त हुए और उनमे से कितने अनुसूचित जाति के हैं ?

श्री महमूद अली खां---

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 110 पर)

बहराइच के राजकीय नलकूपों की कच्ची गूलों का निर्माण कार्य

15---श्री वासुदेव सिंह वैद्य (जिला बहराइच)-

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले में सूखे से संबंधित राजकीय नलकूपों की कच्ची गूलों का निर्माण हो रहा है ? यदि हां, तो 15 दिसम्बर, 1972 तक कितनी किलोमीटर नालियां बन जाने की संभावना है ?

श्री महमूद अली खां---

जी हां । 15 दिसम्बर, 1972 तक लगभग 38-4 किलोमीटर कच्ची गूल का निर्माण हो चुका है ।

16---श्री वासुदेव सिंह वैद्य---

क्या सिंचाई मंत्री यह भी कृपया बतलायेंगे कि बहराइच जिले के राजकीय नलकूपों के सूखे से संबंधित जो कच्ची गूलें बन रही हैं ये इन गूलों का निर्माण कार्य ठीक ढंग से नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो इसको सुधारने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री महमूद अली खां---

बहराइच जिले में अभी तक कच्ची गुलों के निर्माण के संबंध में कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है ।

17—श्री सियाराम—

[5 वें बुधवार के लिये स्थगित]

18—श्री इन्द्र लाल—

[4 थे बुधवार के लिये प्र0 सं0 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

19—श्री मोती लाल यादव—

[4 थे मंगलवार के लिये प्र0 सं0 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नलकूप मंडल, बरेली के ओवरसियरों के हेडक्वार्टर

20—श्री सच्चिदानन्द, श्री मुल्तान सिंह, (जिला आगरा) तथा श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप मंडल बरेली में किन-किन ओवरसियरों के हेड क्वार्टर नगर व डा0 उझियानी, जिला बदायूं में कर दिये गये हैं जब कि उनकी पोस्टिगं डल सिंचाई उपखंड, शाहजहांपुर है और क्या यह हेड क्वार्टर उपखंड 125 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री महमूद अली खां—

नलकूप मंडल, बरेली में केवल एक ओवरसियर जो डल सिंचाई उप खंड, शाहजहांपुर से संबद्ध है, ऐसा है जिसका हेड क्वार्टर उझानी जिला बदायूं में है और यह हेड क्वार्टर उक्त उप खंड से 125 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है। यह जनहित में किया गया है।

नल कूप मंडल बरेली के पाइप सेंटर

21—श्री सच्चिदानन्द, श्री मुल्तान सिंह तथा श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकप मंडल बरेली में कितने पाइप सेन्टर हैं और वह कब से बने थे और क्या चालू वर्ष 1972-73 में कुछ नये पाइप सेन्टर बनाये गये हैं ? या बनाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो किस आधार पर और उससे क्या लाभ होने की संभावना है?

श्री महमूद अली खां—

उक्त मंडल में 4 पाइप सेन्टर हैं।

यह सेन्टर निम्नलिखित वर्ष में बने थे:

आवला पाइप सेन्टर	6/70
मैकलगंज पाइप सेन्टर	1/72
बदायूं पाइप सेन्टर	12/72
आशफपुर पाइप सेन्टर	12/72

चालू वित्तीय वर्ष 72-73 में एक नया पाइप सेन्टर बदायूं में तथा दूसरा आशफपुर में दिसम्बर, 72 में बनाया गया है। यह पाइप सेन्टर नलकूपों से जमीन के नीचे-नीचे पाइप लाइन द्वारा पानी ले जाने हेतु पाइप लाइन की विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगिता तथा उपलब्धि के आधार पर बनाये गये हैं।

इन पाइप सेन्टर्स के बन जाने से यह लाभ होगा कि पाइप लाइन के निर्माण का लक्ष्यनिर्धारित समय में पूर्ण हो जावेंगे और उसके फलस्वरूप नये निर्माण हुए नलकूपों के सिंचन क्षमता का उपयोग शीघ्र और ज्यादा होने लगेगा।

भारतरत्न श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)

मान्यवर, मैं शोक प्रस्ताव के संबंध में खड़ा हुआ हूं ।

मान्यवर, अभी थोड़े ही समय पहले यह सदन बैठा था और हम सब मिले थे । उस समय भी, हमारे कुछ साथी जो दुनिया से चले गये हैं, उस पर सदन ने अपना शोक, अपना दुःख प्रकट किया था । थोड़े समय बाद फिर हम लोग मिले हैं । अब इस बीच में कई ऐसे व्यक्तियों के देहावसान हुए जिनसे हमारे प्रदेश और राष्ट्र को क्षति पहुंची है ।

भारत-रत्न स्वर्गीय श्री राजगोपालाचारी जी का निधन 25 दिसम्बर को सायंकाल सवा-छः बजे मद्रास हास्पिटल में हुआ । आज यह सदन उनकी मृत्यु के बाद यहां एकत्र हुआ है और हम उनके देहावसान पर अपना दुःख और खेद और शोक प्रकट करना चाहते हैं क्योंकि राजा जी एक ऐसे विभूति-सम्पन्न व्यक्तित्व हमारे देश के हैं, जो न केवल हमारे देश में ही, परन्तु सारे संसार में विख्यात थे । हमारे बड़े पुराने नेता रहे हैं । राजाजी की प्रतिभा बहुमुखी रही है । वे केवल राजनीतिक नेता नहीं थे, अपितु एक उच्चकोटि के दार्शनिक विचारक थे; बड़े प्रमुख पत्रकार थे बड़े प्रान्जल लेखक, विचारशील, मननशील लेखक थे, समाज सेवी थे ।

राष्ट्रीय जीवन के अनेकों क्षेत्रों में उन्होंने महान कार्य किया है । व्यक्तित्व उनका ऐसा था कि चाहे किसी बात में किसी से मतभेद हो, पर सबका मस्तक उनके व्यक्तित्व के समक्ष, उनकी विद्वता, उनकी अत्यधिक तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता और शीघ्रता के साथ प्रश्नों के विवेचन करने की क्षमता तथा उनकी प्रतिभा और योग्यता के समक्ष सारे प्रदेश का मस्तक झुकता था । उनका जीवन भगवान की कृपा से काफी लम्बा था । उसका देहावसान करीब 94 वर्ष की अवस्था में हुआ । भगवान ने उनको अच्छी उमर दी ।

प्रारम्भ से ही, जब उन्होंने अपनी शिक्षा समाप्त की और इसके बाद वकालत करने लगे, तभी से सार्वजनिक-सेवी रहे हैं । 1919 में गांधी जी के साथ हुए और असहयोग आन्दोलन में 1920 में वकालत छोड़कर सरीक हुए । मान्यवर, हम जानते हैं, आपको भी उनके बारे में काफी अनुभव होगा । पहले पहल उनका दर्शन करने का सौभाग्य मुझे व्यक्तिगतरूप से 1922 में गया कांग्रेस में हुआ । उस समय हम लोग कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं हो सकते थे, क्योंकि अवस्था बहुत छोटी थी, 18 वर्ष से पहले प्रतिनिधि नहीं हो सकते थे । पर कार्यकर्ता के नाते और 1920 में जो लोग जेल गये थे, उन्हें आमंत्रित किया गया था गया कांग्रेस में । 1922 के जमाने के सफर 50 वर्ष बीत गये हैं, दिसम्बर, 1972 में ही । उनका दर्शन पहले-पहल वहीं हुआ था ।

जब असहयोग आन्दोलन के बाद चौरा-चौरी कान्ड के बाद गांधी जी ने आन्दोलन को स्थगित किया । स्वयं वे जेल में गये थे । प्रो चेंजर और नो चेंजर का बड़ा भारी प्रश्न उठता था । प्रश्न देश के सामने यह हो गया था कि तत्कालीन काउंसिलो में-प्रादेशिक और केन्द्रीय कांग्रेस जन प्रवेश करें क्योंकि असहयोग आन्दोलन में गांधी जी का आइटम था कि व्यवस्थापिका सभाओं का बहिष्कार किया जाय और इस राय से हमारे बड़े प्रबल और महान नेता लोग, जिनका देश में आदर और सम्मान था, प्रभावित थे । स्वर्गीय देशबन्धु चितरन्जन दास और स्वर्गीय पंडित मोती लाल नेहरू तथा स्वर्गीय पंडित मदन मोहन मालवीय आदि लोगों की यह राय थी कि चूंकि अब असहयोग आन्दोलन बन्द हो गया है, देश की स्वाधीनता के युद्ध में इस समय बाहर से न लड़ें बल्कि काउंसिलों में प्रवेश करना चाहिये और व्यवस्थापिका सभाओं के माध्यम से देश की सेवा करनी चाहियें । राजा जी उसके विरोधी थे । राजेन्द्र बाबू, राजाजी और प्रो चेंजर और नो चेंजर का बड़ा भारी विवाद था । मुझे स्मरण है कि राजा जी के तर्क और उनकी बातों को काटना बड़े-बड़े लोगों के लिए बहुत कठिन हो गया था । फल्गू नदी के तट पर सभायें होती थीं और राजा जी वहां जाते थे । वे काउंसिलों में प्रवेश के घोर विरोधी थे । श्रीमन्, कांग्रेस

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

में उनकी विजय हुई। यह मानी हुई बात थी कि बहुत ही प्र युत्पन्न मति के व्यक्ति, बड़े कठोर तार्किक बड़े तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे। तर्कों के द्वारा लोगों के तर्कों को काटना और उनकी जबान को बन्द कर देना--यह सब उनके लिये आसान बात थी। तत्कालीन बड़े-बड़े विचारक उनका लोहा मानते थे। स्वयं गांधी जी इस विषय में उनकी प्रशंसा किया करते थे। उनके विचार बड़े निर्भीक थे। गांधी जी के परम भक्तों में उनके दाहिने हाथ थे। कभी कोई बात उनकी समझ में ठीक नहीं लगती थी तो महात्मा जी के विचारों का भी विरोध करने में वे कभी पीछे नहीं रहते थे। कई बार देश की स्वाधीनता के युद्ध में ऐसे अवसर आये जब उन्होंने गांधी जी के विचारों के विरुद्ध दृढ़ता से अपने विचार रखे, चाहे उनकी बात किसी ने मानी हो या न मानी हो, परन्तु निर्भीकता पूर्वक उन्होंने अपने विचार रखे।

मुझे स्मरण है कि जब गांधी जी जेलों में थे तो सम्भवतः यन्ग इंडिया का सम्पादन भी राजा जी किया करते थे। स्वराज्य जो उनका अखबार निकलता रहा उसमें उनके लेख निकलते रहे हैं। वह बड़े आदर, व सम्मान के साथ देखे जाते थे। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके कार्य करने में कभी कमी नहीं आयी और उनके मस्तिष्क और बुद्धि की गति जैसे पहले थी वैसी ही बनी रही।

वे बड़े भारी लेखक थे। अनेक पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं विशेषकर दार्शनिक पुस्तकें जो अपना विशेष महत्व रखती हैं। अंग्रेजी में और अपनी भाषा में भी पुस्तकें लिखी हैं--उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत। इन सबका हिन्दी अनुवाद भी हो गया है। एक नयी दृष्टि और नयी व्याख्या के अनुसार उन्होंने इन ग्रन्थों के ऊपर लेखनी उठायी है।

वे समाज सेवी और हिन्दी के बड़े भक्त थे। सन् 1937 में मेरा, अपना ख्याल है प्रदेशों में प्रधान मन्त्री हुआ करते थे, मुख्य मन्त्री तब बाद में बने। वे मद्रास में प्रधान मन्त्री थे और तब उन्होंने हिन्दी के लिये बड़ा प्रयास किया। जहां तक मुझे स्मरण है बड़ा भारी आन्दोलन भी हुआ उसके विरुद्ध। उनके शासन-काल में और बहुतों की गिरफ्तारियां, प्रधान मन्त्री थे, उन्हें करनी पड़ीं। और गांधी जी के उन आन्दोलनों में, जैसे खादी का, नशाबन्दी का, हरिजनोद्धार का इसमें बड़ा उनका हाथ रहा।

अनेक पदों पर वह रहे, जिनकी गिनती कराना कठिन है। सार्वजनिक जीवन में तो थे ही, अन्ततः भारत के गवर्नर जनरल हुए। हमारे केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में थे। मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियों भी थे होम-मिनिस्टर भी थे। अनेक स्थानों पर गवर्नर भी रहे। मद्रास में कई बार मुख्य मन्त्री रहे और शायद किसी समय किसी म्युनिसिपैलिटी में चेयरमैन थे। इस प्रकार नीचे से लेकर ऊपर तक बड़े से बड़े पदों को उन्होंने सुशोभित किया। एक स्वतंत्र-चेता व्यक्ति थे। उन्होंने एक नये दल का भी संगठन किया, पर खाली किसी दल परिधि में नहीं रहे। जब भी कोई बात उन्हें उचित दिखाई पड़ी, तभी उन्होंने मर्यादा के साथ उस प्रश्न को देश के सन्मुख रखा। बड़ा प्रबल विरोध था उनका, मुझे स्मरण आता है, ऐटामिक एनर्जी के संबंध में कि भारत में उसका प्रयोग किया जाय, और कैसे तर्कों के साथ उन्होंने यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि हमारे इस देश के लिये इस दिशा में जाना कभी लाभप्रद नहीं हो सकता। बीमार हुए यकायक, और कहते हैं कि यूनीमियां हुई। कुछ लक्षण अच्छे दिखायी दिये कि तबियत उनकी सुधर रही है। पर मालूम होता है कि वह अन्तिम क्षण में जो कुछ थोड़ा सा बल दिखाई देता है या चेतना आयी, वही था और अन्त में 25 दिसम्बर को उनका देहावसान हुआ। सारे देश ने शोक मनाया सात दिनों तक।

एक ऐसी विभूति थी जिसका स्थान तो मान्यवर, कभी भरा ही नहीं जा सकता। कदाचित् यह देश बड़ा भाग्यवान देश महापुरु यहां उत्पन्न होते हैं पर संप्रति उस ट कर का

व्यक्तित्व, मस्तिष्क बुद्धि की वह तीक्षणता, वह कर्मठता, वह निर्भयता, वह राष्ट्र प्रेम, वह देशप्रेम और वह योग्यता जिसका शायद प्रत्यक्ष दर्शन राजा जी के व्यक्तित्व में हुआ करता था शायद ही कही मिले । उनके इस देहावसान से राष्ट्र की बहुत ही अपूर्ण क्षति हुई है और मैं ऐसा समझता हूं कि संसार का एक विचारक, आजन्म देश की समाज की सेवा करने वाला व्यक्ति इस जगत का उठ गया ।

आज हम सबको उनके निधन पर, मान्यवर, हार्दिक शोक है और हमारी प्रार्थना यह है कि उनका भरा-पूरा परिवार है । उनके पौत्र, पुत्र रहे हैं उनके परिवार के, अन्तिम क्षण तक उनकी शैय्या के निकट । वहां हम लोगों का यह शोक और संतप्त परिवार के प्रति हमारी सहानुभूति पहुंचा दें । पुण्यात्मा व्यक्ति थे । उनके लिये हमें बहुत भगवान से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है । क्योंकि ऐसे व्यक्ति को और ऐसे तपस्वी को भगवान स्वयं ही सान्त्वना भी देते हैं और शांति भी प्रदान करते हैं । उनका जीवन उदाहरण का जीवन रहा है और आज भी जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं और आगे आने वाली जो पीढ़ी के हैं उन्हें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिये और मिलेगी, और शिक्षा भी ग्रहण करनी चाहिये ।

मान्यवर, हमारी आप से विनम्र प्रार्थना है कि हमारा यह शोक और सहानुभूति उनके परिवार तक पहुंचा दें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं इनका अलग हो जाय, उसके बाद बाकी ले लें ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के महाप्रयाण पर माननीय नेता सदन ने जो भावनायें व्यक्त की हैं मैं अपने और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं । राजा जी के स्वर्गवास से हमने वर्तमान भारत के कृषि और राजनीति के भीष्मपितामह को खो दिया । राजा जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि उसकी छाप केवल अपने ही देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी थी । उनके विचारों की भी उसी तरह की छाप थी । राजा जी जो सोचते थे उसको निर्भीक होकर कर सकते थे और उसके अनुसार उनका आचरणभी होता थग । अपने विचारों के रखने में कभी वह डरते नहीं थे । जैसा कि माननीय नेता सदन जी ने कहा, वह गांधी जी से भी जब कभी सहमत नहीं होते थे तो अपनी बात को रखने में कभी हिचकते नहीं थे ।

1959 में जब उनका यह विचार हो गया कि कांग्रेस गांधी जी के विचारों से हटती जा रही है तब उन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की । उसमें उनको संकोच नहीं हुआ अपने विचार के अनुसार कार्य करने में वह भारतीय जीवन दर्शन के एक प्रतीक थे, महान् दार्शनिक थे । उनका सादा जीवन और उच्च विचार थे । वह महात्मा थे । वह राजनीति को धर्मनीति से अलग नहीं मानते थे । समझते थे कि वह राजनीति नहीं है जिसमें धर्मनीति न हो । वह कठिन परिश्रम करने वाले और बड़ी कुशाग्र बुद्धि वाले व्यक्ति थे । उनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र थी, कि कांग्रेस के मास्टरमाइंड के नाम से वह पुकारे जाते थे । वह सन् 21 से ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हुए और सन् 42 तक बराबर उसके सदस्य रहे और फिर बाद में सन् 46 में उसके सदस्य हुए ।

उन्होंने एक वकील की हैसियत से जीवन में प्रवेश किया था लेकिन साथ साथ वह समाज सुधार का काम भी बड़ी तत्परता से करते थे । वह छुआछूत और जातिपांति के बहुत विरोधी थे । और जैसा कि माननीय नेता सदन ने कहा, वह सन् 1919 से अपने देश के स्वतंत्रता आन्दोलन में शरीक हो गये थे और गांधी जी के असहयोग आन्दोलन में हिस्सा लेने लगे थे । वह सचमुच हिन्दी के बड़े समर्थक थे । सन् 37 में जब वह मद्रास में मुख्य मन्त्री हुए उसी समय से उन्होंने बड़ा प्रयास किया कि हिन्दी राष्ट्रभाषा हो और हिन्दी के प्रचार के लिये उन्होंने

[श्री जयराम वर्मा]—

बहुत कार्य किये और हिन्दी देश के दक्षिण हिस्से में भी प्रचलित हो जाय इसके लिये उन्होंने काफी प्रयास किया। और उसकी प्रगति के लिये अपना बराबर प्रभाव डालते रहे। वे नशाबन्दी के भी भारी समर्थक थे। जब वे अपने यहां के मुख्य मन्त्री बने तो उन्होंने अपने सम्पूर्ण राज्य में नशाबन्दी लागू करा दी। वे जिस चीज को भी ठीक समझते थे उसे कहने में कभी हिचकते नहीं थे। वे एक विद्वान, लेखक, साहित्यकार और एक विचारशील व्यक्ति थे। तामिल तथा अंग्रेजी में उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी है। विभिन्न पदों पर रह कर जो उन्होंने देश की सेवा की है वह सराहनीय है। मद्रास के मुख्य मन्त्री की हैसियत से, बंगाल के गवर्नर की हैसियत से, फिर वाइसराय काउन्सिल के सदस्य की हैसियत से, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की हैसियत से या अन्य तरीके से उनकी सेवायें बड़ी सराहनीय रही हैं। केन्द्रीय मन्त्रि-मण्डल में भी वे बिना विभाग के मन्त्री और गृह मन्त्री रहे। गांधी जी के समान ही उनकी ऐसी प्रतिभा थी कि जो भी चाहे कितना ही क्रोध में उनके पास जाता था, अपना क्रोध भूल जाता था और उनके विचारों एवं तर्क से वह प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। उनकी बुद्धि एवं तर्क के समक्ष जो भी जाता था वह झुक जाता था। राजा जी की बातों से असहमत होते हुए भी उसे सहमत होना पड़ता था। यह थी उनकी अनोखी प्रतिभा।

वे सचमुच, गांधी जी की ही तरह, ईश्वर भक्त भी थे। वे हर काम में ईश्वर को याद करते थे, ईश्वर का नाम लेते थे। चाहे कितना ही उनका विरोधी कोई होता था, मगर उनके व्यक्तित्व की छाप उस पर अवश्य पड़ती थी। इस देश में उनकी अपनी एक आवाज थी। प्रशासक दल के विरुद्ध जो भी वे ठीक समझते थे उसे कहते थे। आज उनकी आवाज समाप्त हो गयी है। सही मानों में उनके उठ जाने से, विरोध पक्ष की आवाज बहुत कमजोर हो गयी है। वे जो कुछ कहते थे, उसे केवल विरोध के लिये नहीं कहते थे, बल्कि जिसे वे ठीक समझते थे उसे अवश्य कहते थे। आज उनके उठ जाने से विरोध पक्ष बहुत कमजोर हो गया है। उनके उठ जाने से देश की बड़ी क्षति हुई है। क्योंकि विरोध में अगर कोई बात हो रही हो। जिसको वह ठीक न समझता हो उसके खिलाफ एक मजबूती के साथ कोई आवाज उठा सके, प्रजातंत्र को चलाने के लिये यह बहुत जरूरी होता है। वह बात आज हमारे देश में अब नहीं रह गई है।

राजा जी यही नहीं कि वह कांग्रेस में नहीं थे इसलिये हर बात का वह विरोध करें, बल्कि जैसा वह ठीक समझते थे वैसा वह निडर होकर किया करते थे, कहने में हिचकते नहीं थे। शिमला समझौता उनकी दृष्टि में शांति के ख्याल से और भारत व पाकिस्तान के आर्थिक विकास की दृष्टि से अच्छा था, इसलिये उसका वह समर्थन करने के लिये बराबर अपने 'स्व-राज्य" में लेख लिखते रहे और कहते रहे, क्योंकि ऐसा ही वह उचित समझते थे। वह समझते थे कि यह देश के और पाकिस्तान के हित में है। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह की बात उनके मन में आती थी, जैसा उनके विचार में होता था, उसको कहने में बराबर वह निर्भीक रहे। वह सचमुच बड़ी मर्यादा को मानने वाले और नियमों पर चलने वाले व्यक्ति थे तथा कठिन परिश्रम करने वाले कर्मयोगी थे। आज उनके हमारे देश में न रहने से ऐसी क्षति हुई है, जिसकी पूर्ति करना किसी तरह भी सम्भव प्रतीत नहीं होता है। एक महापुरुष हमारे बीच से उठ गया। किसी तरफ कोई ऐसा व्यक्तित्व दिखाई नहीं देता है जो उनके स्थान की पूर्ति कर सके। वह सचमुच बहुत उच्च विचार के थे। उनकी आत्मा के लिये हम ईश्वर से प्रार्थना क्या करें, जैसा कि नेता सदन ने कहा ईश्वर तो उनके गुणों पर कृपा करके उन्हें सद्गति देगा ही, फिर भी हम उनकी आत्मा की शांति के लिये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनके संतप्त परिवार के पास मेरी और हमारे दल की तरफ से संवेदना भेज दी जाये।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)

मान्यवर, अभी माननीय नेता सदन ने व नेता विरोधी दल ने जो स्वर्गीय राजा गोपालचारी जी के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं, उससे मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, यह निर्विवाद है कि एक महान् बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्तित्व हम लोगों में से चला गया। मान्यवर, स्वर्गीय राजागोपालाचार्या जी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, उनका एक बहुत महान् व्यक्तित्व था। उन्होंने गांव से लेकर राष्ट्रपति भवन तक को अपनी अलौकिक प्रतिभा से सुशोभित किया। मैं उसे दुहराना नहीं चाहता, जिसे अभी हमारे माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा वह बहुत जबरदस्त लेखक, पत्रकार, विचारक, राजनीतिज्ञ और धार्मिक व्यक्ति थे, अनेक गुण थे उनमें, उन्हें क्या क्या विशेषण दूं।

उनका भारतीय संस्कृति में और इस धर्म में बड़ा अटूट प्रेम था। उनका गम्भीर चिन्तन, वह महान नेता, भारतवर्ष को मिलना कठिन है। व्यक्ति स्वातंत्र्य पर अडिग एवं एकाधिकार के अलंकार में भीष्म पितामः हो कर प्रजातांत्रिक शक्तियों का मार्ग दर्शन करने वाला भारतवर्ष में कोई दिखायी नहीं देता है, मुझे ऐसा लगता है। वह व्यक्ति उठ गया। कौन मार्ग दर्शन करेगा, यह विचारणीय विषय है। उनकी वह सार गर्भित आवाज, चाहे किसी राष्ट्रीय पहलू पर हो या सामाजिक पहलू पर हो, जब वह व्यक्त किया करते थे तो देश के कोने कोने में वह गूंजती थी। चाहे उनसे कोई सहमत हो या न हो, इसकी उनको चिन्ता नहीं रहती थी।

वह संविधान के कांशंस कीपर थे जो उनके भिन्न-भिन्न लेखों को पढ़ने से जो स्वराज में निकलते थे, मालूम होता है। जब संविधान और प्रजातंत्र पर प्रहार होने लगा और समाजिक में अधिनायकवाद और एकाधिकार का उभार दिखायी दिया तो उन्होंने एक नयी पार्टी का निर्माण किया। जिस समय रेडिकलिज्म का नारा लगाया जा रहा था, उन्होंने स्वतंत्र पार्टी का निर्माण करके यह घोषणा की कि हमारी पार्टी कंजरवेटिव पार्टी है। ऐसी हिम्मत की बात बहुत कम लोग कर सकते थे। जैसा वर्मा जी ने कहा, वह रूल आफ ला में, कानून को निगाह में सबकी बराबरी, प्रतिबद्ध प्रेस और प्रतिबद्ध जुडिशियरी में विश्वास करते थे और जब कभी इस पर आंच आती थी तो वह तिलमिला उठते थे। और उन का स्वाधीन भारत के बारे में अपना स्वप्न उनकी निगाह में उभर आता था। उन्होंने अन्तिम स्वर किस वेदना में कहे है उससे परिचय मिलता है कि उनकी गम्भीरता का। बहुत गम्भीर विषय है इस लिये पढ़ देता हूं।

"Grim irony marks the coincidence of this year's Independence celebration with most serious blows and further threats to the freedom of the citizens. Wrong policies regrowing wronger in frantic self-defence. As each year's flag-hoistings and parades are fanfaronated, State socialism and concentration of all power in the hands of officials, at all levels, grow in scope and virulence thinning out the courage and sense of freedom in the citizen's soul to vanishing point. Happy are those builders of India's freedom who have disappeared from the terrestrial scene and do not have to grieve."

मुझे लगता है कि यदि अन्तिम सांस लेते समय उनको कहने का अवसर होता तो यही कहते कि मैं भी अब चला। ऐसा व्यक्तित्व भारतवर्ष में देखने को नहीं आता है। बहुत से व्यक्ति उनसे सहमत होंगे, बहुत से सहमत नहीं होंगे। लेकिन उन्होंने इसकी कभी चिन्ता नहीं की। जब कभी कड़ाई महान् राष्ट्रीय प्रश्न आता था तो अखबारों में हम ढूंढ़ते थे कि राजा जी का मत इसमें क्या है। बहुत बड़ी राष्ट्रीय क्षति हुई है देश की। यह अरणक्षीय क्षति हुई है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

वह 94 वर्ष तक जिन्दा रहे । पूरी उम्र निबाही । बड़ी ग्लेरियस लाइफ हर दिशा में रही । लेकिन फिर भी अपना स्वभाव है, अपना विचार है, मन को दुख होता है कि अगर कुछ दिन और रहते तो अच्छा था, कुछ दिन और मार्गदर्शन करते तो अच्छा था । इसलिये हमारे लिये आवश्यक है कि जो वेदना अन्तिम समय में उनके हृदय में थी, हम प्रार्थना करते हैं जैसा कि वर्मा जी ने कहा, भगवान उनकी आत्मा को शान्ति दे ।

मान्यवर, आपसे भी हम यह प्रार्थना करते हैं कि हमारी यह सहानुभूति उनके परिवार तक पंहुचाने की कृपा करें ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त (जिला अल्मोड़ा)—

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय नेता सदन ने विरोधी दल के नेता ने तथा जनसंघ के नेता ने उस महान विभूति के प्रति जो पिछले महीने में हमारे बीच से उठ गयी अपनी श्रद्धांजलियां अर्पित की हैं । मेरा भी थोड़ा बहुत परिचय उस महान विभूति से था । माननीय नेता सदन ने उनके बहुत से गुणों की चर्चा की उस समय से लेकर जब उन्होंने गांधी जी के साथ सहयोग करतेहुये देश की राजनीति में सक्रिय हिस्सा लेना प्रारम्भ किया । मैं उन तमाम बातों को पुनः यहां नहीं दोहराऊंगा । केवल इतना ही अवश्य कह देना चाहता हूं कि बीसवीं शताब्दि में कांग्रेस ने और राजनीति के क्षेत्र में इस देश ने जितने महान व्यक्तियों को पैदा किया है । यदि ऐसा कहा जाय कि चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य उन तमाम महान व्यक्तियों में देश के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल (intelectual) थे तो अतिशयोक्ति न होगी और मैं उनको इसी रूप में अधिक मात्रा में जानता हूं । उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रतिभा के देश के राजनीतिक क्षेत्र में जिस प्रकार समय-समय पर प्रदर्शित किया वह इस देश के राजनीतिक इतिहास में सदैव जगमगाती रहेगी ।

1920–21 व 23 में और उसके उपरान्त विभिन्न आन्दोलनों में जब कांग्रेस के निर्णयों के अनुसार सरकार की बागडोर संभालने के अतिरिक्त जो-जो कार्य उन्होंने किया मैं उनको इस अवसर पर दोहराना नहीं चाहूंगा परन्तु यहां फिर अवश्य यह कहूंगा कि उस समय के मुख्य मंत्रियों में जो प्रदेश उस समय बने उनमें वह ऐसे मुख्य मंत्री थे जिन्होंने जिस बात का निर्णय लिया उस निर्णय को पूरा करने की पूरी चेष्टा की और बहुत सी बाधाओं और दिक्कतों का सामना करते हुए भी उन निर्णयों को कार्यान्वित करके और सफलता दिलाने का प्रयास किया । 1937 में जब हिन्दी को अपने प्रदेश में चलाने का प्रयास प्रारम्भ किया और प्रारम्भ में उसके विरोध का मुकाबिला करते हुये परन्तु उसे बाद में उन्होंने कार्य रूप में परिणत करने की चेष्टा की और उसके उपरान्त जब कहीं भी हम ऐसा फैसला नहीं कर पाये थे उन्होंने प्रोहिबिशन की नीति को संचालित किया, उन्होंने उस नीति का संचालन ही नहीं किया परन्तु अपने प्रदेश में प्रारम्भ से ही उसे कामयाब बनाने का उन्होंने प्रयास किया और आज से थोड़े ही महीने पूर्व तक जिस नीति को उन्होंने प्रारम्भ किया था उसका संचालन करने मे अन्य प्रदेशों के मुकाबले में उनके प्रदेश ने अगुवेपन का एक हिस्सा लिया । कहने का तात्पर्य यह है कि जिन चीजों को वे हाथ में लेते थे उन्हें वे बराबर पूरा करने की चेष्टा करते थे ।

उनका सादा जीवन चाहे वे गवर्नर जनरल रहे हों, चाहे वे बंगाल के गवर्नर रहे हों, चाहे वे केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्री अथवा सिविल सप्लाईज के मंत्री रहे हों, सदैव बहुतों को प्रेरणा देने वाला था । जब वे सरकारी ओहदों पर नहीं रहे, सार्वजनिक जीवन में निर्भीकता से अपने विचारों को देश के समक्ष प्रस्तुत करते रहे और जीवन पर्यन्त अपनी सादगी तथा निर्भीकता का परिचय देते रहे । उनका जीवन उनके सामने जो कि सरकारों को चलाते हैं, एक ऐसा नमूना है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता । सबसे बड़ी बात जो उन्होंने अपने व्यवहार दीक्षा के रूप में हम सबको प्रदान की है वह यह है कि वे चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को जिसका मस्तिष्क किसी चीज को अपनाने के लिये गवाही नहीं देता तब भी (भले ही वह व्यक्ति कम संख्या में क्यों

न हों) वे अपनी बात को निर्भीकता और दृढ़ता से जनता के सामने लाये, सहयोगियों के समक्ष रक्खा और उसे प्रकाश में लाये। वे ईमानदारी से सही चीज को सामने लाने की कोशिश करते थे। यही कारण है कि विपरीत विचार के रहते हुये भी उन्होंने सारे देश से अपने मरने के बाद भी मान पाया है और जो उनकी डीसेन्ट की नीति थी उसे उन्होंने सारे देश और संसार में रिस्पेक्टेबिलिटी प्रदान की गई है। यों तो कुछ जो डीसेन्ट की भाषा बोलते हैं, उसका विरोध भी होता है और उसका मजाक भी उड़ाया जाता है।

परन्तु राजा जी ने अपने चरित्र, दृढ़ता और निर्भीकता से इस देश के राजनीतिज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में डीसेन्ट की नीति प्रदान करके ऐसा सोचने का अवसर प्रदान कराया है कि यदि ईमानदारी से व्यक्ति समझता है और उसका मस्तिष्क उसे समझने में उसकी सहायता करता है कि वे बातें जो वह कहता है सही बातें हैं तो वह उसे ईमानदारी से बिना किसी भय के सदैव प्रस्तुत की और कहे और यदि उसके लिये उसे थोड़े समय के लिये अनपोपुलरिटी (unpapu larity) भी ओढ़नी पड़े तो उसे वह ओढ़ ले। इसी ढंग से देश का सार्वजनिक जीवन बनता है, इसी ढंग से विचारों में, बातों में पुष्टि आ जाती है और इसी ढंग से देश के जो नवयुवक हैं और जो देश के भावी निर्माण की जिम्मेदारी लेते हैं, उनका चरित्र बनता है। राजा जी ने उस दिशा में एक बहुत बड़े अगुवा का कार्य किया है और उनका यह कार्य सदैव हमें दीक्षा देता रहेगा, सदैव हमें रास्ता बनाता रहेगा।

वह भारतीय संस्कृति के पुजारी थे और वे आज के परिवर्तित युग में उस संस्कृति को जीवित रखना चाहते थे। राजनीति में काफी समय देते हुए भी उन्होंने महाभारत और रामायण का तामिल और तेलगू भाषा में जिस तरह से तर्जुमा करके उन विचारों का प्रचार किया है जो हमारी संस्कृति को प्रदर्शित करता है, और हमारी धरोहर है, इस बात का द्योतक है कि आज भी जब कि विचारों में इतना उथलपुथल हो रहा है वे देश में उन आस्थाओं और मान्यताओं को जगाना चाहते थे जिन आस्थाओं और मान्यताओं ने हमारे देश की संस्कृति को संसार की संस्कृतियों के बीच में एक ऊंचा स्थान प्रदान कराया है यह भी भावी नागरिकों के लिये एक बड़ा सबक है और वह सबक भी कभी भुलाया नहीं जा सकता।

मैं 1941 के उस अवसर को भूला नहीं हूं जब कि पूना कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने पाकिस्तान के बनने के प्रश्न के सिलसिले में आल इंडिया कांग्रेस कमेटी में अपने विचार प्रकट किये। हम में से बहुत से साथी जो कि नवयुवक थे कांग्रस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे और वैसे भी अन्य कांग्रेस जन थे, उनको उनकी वह बात भायी नहीं। उन्होंने जब वह विचार प्रकट किये तो उस पर कइयों ने टीका टिप्पणी भी की। परन्तु जैसा कि हमारे माननीय सदस्यों ने बतलाया कि वे तर्क इस प्रकार प्रस्तुत करते थे कि प्रत्येक उनके तर्कों का जवाब नहीं दे पाता था। परन्तु उनकी बात को आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने उस अवसर पर स्वीकार नहीं किया। परन्तु देश में गतिविधियां चल रहीं थीं, जैसा कि हम सब न बाद में अनुभव किया कि वे स। 1941 में जो बात कह रहे थे वह बात सन् 1946–47 में हमारी नजरों के सामने गुजरी। हम में से कुछ ऐसे थे जो उस बात से उस समय भी सहमत नहीं थे और उसका विरोध भी किया। परन्तु जब पाकिस्तान के बनने की बात आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मंच से स्वीकार हो गयी तो उन्होंने हमारे ऐसे बहुत से साथियों से कहा कि देखा, हमने तो पूना में ही यह बात रखी थी किन्तु तब वह तुम सब नौजवानों को अप्रिय लगी थी लेकिन देश की जो गतिविधि चल रही थी उसके अध्ययन से मैंने ऐसा समझ लिया था कि बिना इसके इस देश की हिन्दू और मुस्लिम समस्या का समाधान नहीं होगा। यद्यपि हम सबको वह दिन देखने को मिला जो वह महान व्यक्ति अपनी दूरदर्शिता से पाकिस्तान के बनने के सिलसिले में विचार रखता था परन्तु उन्होंने अपने जीवन में यह भी देख लिया कि पाकिस्तान का बनना एक धर्म के नाम पर कहां तक सही और ठीक बात थी।

मेरा इस अवसर पर इस बात की चर्चा करने का केवल मतलब यह है कि वे अपनी बात के धनी थे। जिस बात को वह सही समझते थे, ठीक समझते थे, उसको वह विचार के रूप में

[श्री चन्द्र भानु गुप्त]

प्रकट करने में कोई हिचकिचाहट नहीं करते थे। यह उनका बहुत बड़ा गुण सार्वजनिक जीवन में था। आज उनके जीवन से हम सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को यह सीख लेनी है। उन्होंने बहुत से नवयुवकों के ख्याल से बहुत सी गलत बातों का समर्थन किया था परन्तु वे इतने बड़े देशभक्त थे कि उन्होंने कभी भी किसी रांग (wrong) का साथ नहीं दिया। यह उनकी बहुत बड़ी खूबी थी जो उन्हें ऊंचा उठाती थी और वास्तव में जिसने उन्हें बहुत ऊंचा उठाया।

नेता सदन ने बहुत से उन अवसरों की चर्चा कर दी है जिनमें उन्होंने अपनी बौद्धिक प्रतिभा से बहुतों को हराया और बहुत से प्रश्नों को हल करने में अपनी बौद्धिक प्रतिभा के कारण सफलता प्राप्त की। ऐसा महान व्यक्ति, दार्शनकि, विचारक, हमारे बीच से, हमारे देश से उठ गया यह हम सब देशवासियों के लिये और उन लोगों के लिये जो सार्वजनिक जीवन में आज भी हिस्सा ले रहे हैं, महान दुख की बात है। आज देशवासियों और हम सब जो अभी भी सार्वजनिक जीवन में हैं, चाहे विपक्ष में हों, चाहे पक्ष में हों और चाहे सब पक्ष में हों, हमारा कर्त्तव्य यह है कि हम इस महान व्यक्ति के जीवन के उन पन्नों से सबक लें और निर्भीकता से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने विचारों को जन सेवा में प्रस्तुत करने का प्रयास करते रहें। इस तरह से हम उनके प्रति वास्तविक श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे और उनके जीवन के पन्नों को अपने जीवन में भी उद्धृत कर सकेंगे। मैं इन चन्द शब्दों के साथ इस महान व्यक्ति के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपके द्वारा उनके परिवार के लोगों के पास अपने सभी साथियों की समवेदना भेजने की प्रार्थना करता हूं।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल, जनसंघ दल के नेता और माननीय गुप्ता जी ने श्रद्धेय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के निधन पर जो भावना और विचार व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को जोड़ते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि राजा जी सबके सही माने में नेता थे। नेता का यह गुण नहीं होता कि जो हवा बह रही हो, सही या गलत, वह भी उसके साथ ही बह जाय। बल्कि जो सही मानों में नेता होता है वह अपनी रोशनी को, अपनी राय या मत को जनभावना को प्रकट करके उस गलत हवा को बदलने का जोखिम उठाता है। न केवल यह, वह अपनी बात को किसी एक बड़े व्यक्ति के मुकाबले में बल्कि वह पूरी जनभावना के खिलाफ भी कहने का जोखिम उठाता है, राजा जी में वह गुण था और उनका वह गुण न केवल प्रशंसनीय है बरन् वह अनुकरणीय भी है। इस गुण के साथ और दूसरे गुण भी राजा जी में थे। एक गुण उन में यह था कि उनमें अपनी बात को कहने की दृढ़ता भी थी चाहे वह दृढ़ता उन्हें गांधी जी जैसे व्यक्ति के मुकाबले में या जनभावना के मुकाबले में ही क्यों न दिखानी हो।

जहां उनमें यह दृढ़ता थी वहां उन में सहिष्णुता भी थी। अपने विरोधियों से भी वह मीठे और प्रेममय सम्बन्ध रख सकते थे। एक बार सन् 67 में, डा0 लोहिया का, उनके स्वर्गवास से पहले सुल्तानपुर में कैम्प था तो उन्होंने दल के अन्दर संगति के बारे में बताया था अपने भाषण में कि उनकी और राजा जी की राजनीति में कितना जबरदस्त फर्क है लेकिन उसके बावजूद दोनों के बीच के सम्बन्ध कितने मधुर हैं, राजा जी कभी लोहिया जी से मिलते हैं तो वह उनको पुत्र के समान वात्सल्य से भरा हुआ स्नेह देते थे और उसी तरह से डाक्टर साहब भी जैसे कोई अपने बुजुर्ग का आदर करता है वैसा ही आदर और प्रेम उन को देते थे। अब वे गुण ज्यों-ज्यों समय बीत रहा है त्यों-त्यों घटते जा रहे हैं और उसके साथ ही जनतन्त्र का भी ह्रास होता जा रहा है। मैं चाहूंगा और मेरी कामना है कि हम अपनी बात को कहने में दृढ़ बनें और राजनीतिज्ञों में अपनी बात कहने की दृढ़ता आये और साथ ही व्यवहार से सहिष्णुता भी आये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

न केवल विरोधियों की राय को बरदाश्त ही किया जाय बल्कि विरोधियों के साथ किस तरह से अच्छे सम्बन्ध रखे जा सकते हैं यह भी हमें राजा जी की जीवनी से सीखना चाहिय। इन शब्दों के साथ मैं गांधीयुगीन इस बड़े राजनीतिज्ञ के निधन पर अपनी और अपने दल की ओर से दुख प्रकट करता हूं और आप से प्रार्थना करता हूं कि संतप्त परिवार तक मेरी और मेरे दल की समवेदना के संदेश को पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, स्वर्गीय राजा जी के सम्बन्ध में जो विचार माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने यहां प्रकट किये हैं मैं अपने को और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं। अभी यहां जब माननीय नेता सदन और माननीय गुप्ता जी बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे राष्ट्रीय आन्दोलन का एक के बाद दूसरा पन्ना खुल रहा है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अगर दूसरे शब्दों में यह कहा जाय कि वह अपने में ही राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास थे। वह हमारे देश के महान राजनीतिज्ञ थ। उनकी सबसे महान विशेषता यह थी कि उन्होंने हमेशा बड़ी निर्भीकता के साथ अपने विचार प्रकट किये और हमेशा जिन सिद्धातों को वह सही मानते थे सार्वजनिक रूप से हमेशा वह उनको व्यक्त करते थे। सन् 1941 की बात गुप्ता जी ने कही, सारा जन विरोधी था लेकिन राजा जी अपने फामूले पर अड़े रहे। हालांकि उस समय उनकी बात देश के कर्णाधारों ने नहीं मानी लेकिन अगर उन की बात उस समय मानी गयी होती तो वह खूनखराबा न होता जिस खून खराबे क बाद दश उसी नतीजे पर पहुंचा।

एक दूसरी मिसाल मैं कहना चाहता हूं कि सन् 1957 में सबसे पहले केरल के अन्दर कम्युनिस्ट मंत्रिमंडल बना लेकिन 2 वर्ष बाद वह भंग कर दिया गया। राजाजी बावजूद, इसके कि अपने को वे खुद कम्युनिस्ट का नम्बर 1 विरोधी कहते थे लेकिन वे पहले महान् व्यक्ति थे कि जिन्होंने इस बरखास्तगी के खिलाफ अपनी आवाज बुलन्द की। इसमें कोई संदेह नहीं कि राजा जी के साथ हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन का महत्वपूर्ण चरण समाप्त हो जाता है। अधिक और कुछ न कहकर आपसे यह निवेदन है कि मेरी और मेरे दल की भावनाओं को आप उनके संतप्त परिवार के सदस्यों तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य के निधन पर नेता सदन तथा अन्य दलों के नेताओं ने जो विचार और जो भावनायें प्रकट की हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं।

सन् 1920 की बात मुझे याद आती है जिस वक्त महात्मा गांधी ने असहयोग आन्दोलन चलाया था। पहले तो उसका प्रस्ताव खिलाफत कमेटी में पास हुआ और गांधी जी के सहारे ही वह पास हुआ। उसके बाद स्पेशल कांग्रेस कलकत्ता में हुई। उसमें यह प्रस्ताव पारित हुआ कि विधान सभाओं का बायकाट हो तथा जितने वकील हैं, वे अपनी-अपनी वकालत छोड़ें और जो विद्यार्थी अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते हैं, वे उनको छोड़ें। विलायती वस्त्रों और विलायती सामान का बायकाट करें और जो कोर्ट न्याय देते हैं, इनके जो फैसले होते हैं, उनको मान्य न करके अमान्य करें। यानी अदालतें जो शासन के अंग हैं, उनका भी बायकाट करें तो ये सब चीजें जब पारित हुईं तो राजाजी उनके मुख्य स्तम्भ रहे इस सिद्धान्त के और सन् 1922 में जिसका जिक्र माननीय नेता सदन ने भी अपने भाषण में किया, उनकी प्रतिभा उस वक्त सबको मालूम हुयी जब उन्होंने गया कांग्रेस में अकेले अपने तर्क सिद्ध भाषण दिया, जिसमें उस वक्त बड़े-बड़े नेता जसे मालवीय जी, सी0 आर0 दास, मोती लाल जी, और मैं भी पिछलग्गू के रूप में था, मैं भी स्वराज्य पार्टी के पक्ष में था कि स्वराज्य पार्टी कायम करके विधान सभाओं में जाना चाहिये और उसके जरिये से जो ब्रिटिश सरकार की शक्ति है, उसको क्षीण करनी चाहिये। लेकिन जो प्रस्ताव राजाजी ने रखा उसको बहुमत से लोगों ने स्वीकार किया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

वे कहते थे गांधी जी ने जो असहयोग का प्रस्ताव रक्खा उससे पीछे नहीं हटना है, हमको असहयोग ही कायम रखना चाहिये। उसके लिये उन्होंने जो तर्क उपस्थित किये, मैं कह सकता हूं मुझे उनके तर्क सही मालूम हुए लेकिन जिद से जिद इस बात की थी कि विधान सभाओं में जाना चाहिये वहां जाकर इनको बता देना चाहिये कि उनका शासन बड़ा क्रूर, सभ्य समाज का शासन नहीं है। वह कोई जनतांत्रिक शासन नहीं है, जबरदस्ती का लट्ठमार से वह शासन कर रहे हैं। यह दिखा देना चाहिये अपने लोगों को और संसार को, यह हमारे दिल में भावना दृढ़ थी। इसलिये तर्क से हम उनका कहना सही मानते थे लकिन आखिर में जाकर फैसला बहुमत से यही हुआ जो राजाजी कहते थे और हमने उसे मान्य किया। उसी वक्त उनकी प्रतिभा मालूम हुई कि वे कितने महापुरुष हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि जीवन भर उन्होंने जो अपने विचार थे उनको प्रकट करने में कभी भी चाहे वह गवर्नमेंट हो, चाहे उनकी पार्टी के आदमी हों, चाहे पार्टी के नेता हों, या जनता के, अपने विचारों पर दृढ़ रहते थे और अगर वे कभी गांधी जी से मतभेद रखते थे तो स्पष्ट कहते थे और उन विचारों पर चलने का प्रयत्न करते थे। एक बात जरूर उनमें थी कि वे गांधी जी को गुरु तुल्य मानने की वजह से अगर गांधी जी ने कहा कि यह बात मानना जरूरी है तो उसको मान लेते थे क्योंकि एक विचारक और रिषितुल्य महर्षि या महात्मा कहता है तो उनके प्रति एक श्रद्धा थी उनकी कि मैं गलत हो सकता हूं गांधी जी गलत नहीं हो सकते। वह भी उनके सिद्धान्त के अनुसार ही था कि वे मान लेते थे। लेकिन जिस विषय में यह स्पष्टया मालूम हो जाय कि यह मत सही है तो वह डरते नहीं थे, जनता की भी फिक्र नहीं करते थे कि बदनामी हो जायगी या इन्होंने कमजोरी दिखाई, इसको वे नहीं समझते थे क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट के पक्ष में नहीं थे तो उसी मत पर वे कायम रहे उनकी महत्ता यह थी और उनका तर्क इतना शुद्ध था कि तार्किक सबसे उच्च थे मास्टर माइंड उन्हें विद्वान कहते थे यह अपोजीशन के नेताओं ने कहा है, उन्हें सब मास्टर माइंड समझते थे। इसलिये ऐसे मामलों में विरोधी भी उनसे दुश्मनी नहीं करते थे।

उनको किस नाम से कहा जाय मैं तो उन्हें अजात शत्रु कहता हूं क्योंकि उनका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ चाहे कोई उनके मत के विरोध में क्यों न हो लेकिन उनका शत्रु नहीं पैदा हुआ, वे अजात शत्रु रहे। स्वतन्त्र पार्टी उन्होंने कायम की लेकिन कांग्रेस से कोई आदमी छाती पर हाथ रखकर नहीं कह सकता कि उनके प्रति किसी के दिल में कोई कटुता की भावना पैदा हुई हो। उनके तर्क इस तरह के होते थे कि वे शुद्ध हृदय से तर्क दे रहे हैं। किसी से कोई मतलब, स्वार्थ या नुकसान पहुंचाने की उनके दिमाग में भावना नहीं थी। ऐसे भाव से वे अपने विचार रखते थे। इसलिये मैं उनको अजातशत्रु कहता हूं क्योंकि उनके पास सबके दिल को खींच लेने का करिश्मा था।

ऐसे महापुरुष, दार्शनिक, धर्मपरायण व्यक्ति के निकल जाने से, उनके अपने बीच से निकल जाने से अपने देश के ऊपर बड़ा भारी संकट आया है। मैं समझता हूं कि ऐसा व्यक्तित्व आपको सैकड़ों वर्षों तक नहीं मिलेगा। जैसा गांधी जी के बारे में हम कहते हैं कि हजारों वर्षों तक ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि राजाजी जैसा व्यक्ति भी सकड़ों वर्षों तक हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उनके चले जाने से हमारे देश का बड़ा नुकशान हुआ। वह सच्च मायने में नेता थे और वह जो रास्ता दिखलाते थे उस पर चलने वाले सभी पार्टियों में मिलेंगे। यह नहीं कि स्वतंत्र पार्टी में ही ऐसे लोग हों। कांग्रेस पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जो उनकी बात मानते थे। ऐसे महान पुरुष के चले जाने से सबको दुख है।

आप लोगों को जो दुख है और आपकी जो भावनायें हैं मैं उनको उनके परिवार तक पहुंचा दूंगा। मैं एक चीज और कह देना चाहता हूं अबकी बार जो प्रीजाइडिंग आफिसर्स कांफ्रेंस हुई वह मद्रास में हुई। मैं जब मद्रास जाता था तो राजाजी जहां भी रहते हों मैं

उनके दर्शन करने जाता था। अब की बार भी मैं अपनी स्त्री के साथ उनके घर गया। उन्हें ढूढना पड़ा क्योंकि वह अपनी लड़की के साथ रहते थे। उनका नियम था, जिसकी हमें जानकारी नहीं थी, शाम को पांच बजे के पहले वे नहीं मिलते थे क्योंकि 5 बजे तक वह विश्राम करते थे जैसा कि डाक्टरों की उनके लिये सलाह थी। हम 3 बजे ही पहुंच गये थे। हम उनकी लड़की से बात करते रहे। फिर हमने कहा कि काफी वक्त हो गया है और हमें भी दस बारह मील जाना है, हमें उनके दर्शन करा दीजिये। हम उनके पैर छू लें। नमस्कार कर लें। पैर छूने की प्रथा तो मैं नहीं रखता। मैं दर्शन करता हूं और नमस्कार करता हूं। उनकी लड़की ने कहा कि आप अन्दर चलिये। मैं और मेरी स्त्री अन्दर गये। हमने उनके दर्शन किये। राजाजी सोते रहे। हम यह कह कर कि फिर किसी दूसरे दिन आयेंगे, चले आये।

उनके देहावसान की खबर सुनकर हमें बड़ा दु:ख हुआ और यह विचार आया कि अगर उस दिन कुछ देर और बैठे रहते तो उनसे बातचीत हो जाती। वह बात तो रह गयी। उनके जाने पर इस सदन को दु:ख होना स्वाभाविक है। उनके बारे में यहां जो दु:ख: प्रकट किया गया है और जो भावनायें व्यक्त की गई हैं उन्हें मैं उनके परिवार तक पहुंचा दूंगा। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि और आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी दो मिनट के लिये खड़े होकर ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करें।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए।)

भूतपूर्व सदस्य, ठाकुर टोडर सिंह, श्री दीनदयालु शास्त्री तथा श्री अब्दुल लतीफ नोमानी के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष:--

अब तीन सज्जन हैं, मुख्य मंत्री जी, उनको एक साथ ले लें।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

श्रीमन्, अभी राजा जी के निधन पर सदन ने अपना हार्दिक दु:ख प्रकट किया है और आपसे प्रार्थना की है कि हमारी सहानुभूति उनके संतप्त परिवार तक पहुंचा दें। इधर हमारे प्रदेश में हमारे पुराने कुछ साथियों का निधन हो गया है। वह लोग किसी न किसी समय विधान सभा के भी सदस्य रहे हैं। अलीगढ़ के ठाकुर टोडर सिंह से हम लोग सभी परिचित हैं। वह बहुत पुराने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे हैं। वह उन व्यक्तियों में थे जिन्होंने बंग भंग के आन्दोलन में भी भाग लिया था। उसके बाद गांधीजी के आवाहन पर असहयोग आन्दोलन में वे सम्मिलित हुए थे और हम लोग जानते हैं कि जिन लोगों को उस युग में कार्य करने का अवसर मिला है उनको मालूम है कि अलीगढ़ के दो चार व्यक्ति ही ऐसे थे जिनके यदि नाम लिये जायं तो उनमें ठाकुर टोडर सिंह का नाम भी आता है। उनकी अवस्था काफी थी। हमारे वह 1937 से 1939 तक पहली विधान सभा के सदस्य भी थे। दो साल बाद जब युद्ध छिड़ने पर जहां कांग्रेस मंत्रि-मंडल थे उन्होंने इस्तीफा देकर सरकार छोड़ दी थी। उसके बाद जब जब स्वाधीनता आन्दोलन हुए हैं उन्होंने बराबर उसमें भाग लिया था। उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी भाग लिया था और जब वह 1941 में पहले गिरफ्तार किये गये थे तो मैं समझता हूं कि और लोग तो 1942 के आन्दोलन में छोड़ दिये गये थे परन्तु उनको नहीं छोड़ा गया था, क्योंकि वह पुराने क्रांतिकारी दल के थे। संभवत: वह 1942 के कुछ साल बाद ही जेल से निकल पाये थे। उनका निधन अभी 16 दिसम्बर को हो गया है और इससे हमारे प्रदेश का एक स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी जो हमारा नेता था उठ गया है। हमारी प्रार्थना है कि हमारा और सदन का दु:ख: उनके संतप्त परिवार तक आप पहुंचा दें और भगवान से हमारी प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को वह शांति दें और सदगति प्रदान करें।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

दूसरे साहब हमारे रहे हैं, श्री दीनदयालु शास्त्री। उनका हाल में 23 तारीख को सहसा देहान्त हुआ। शास्त्री जी, अभी मैं कुछ दिन पहले हरद्वार गया था, तो सारे दिन मेरे साथ-साथ रहे। गुरुकुल के संबंध में, विशेषकर जो आयुर्वेदिक कक्ष है, उसके संबंध में बहुत सी बातें उनसे हुईं। वहां की और भी कठिनाइयां उन्होंने बताईं। सदन श्री शास्त्री से पूरी तरह परिचित है। बहुत दिनों तक विधान सभा के सदस्य रहे हैं। सन् 1957 में वह हमारे शिक्षा के उप मंत्री भी रहे हैं। फिर उसके बाद विधान परिषद् के भी सदस्य रहे हैं। अभी आखिर तक जो चुनाव हुए हैं विधान परिषद् के, तब तक सदस्य रहे हैं। बराबर सत्याग्रह संग्राम में भाग लिया। गुरुकुल के स्नातक थे। अच्छे विद्वानपंडित थे। उस परम्परा के व्यक्ति थे जिसमें गांधी युग में आगे बढ़कर अपनी युवावस्था से ही देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। गुरुकुल का काम अब भी संभाले हुए थे। विदेशों की भी यात्रा आर्य समाज और भारतीय संस्कृति के प्रचार के संबंध में की। वर्मा, तिब्बत और मलाया आदि देशों में हो आये थे। हमारा जो इलाहाबाद का इंटरमीडिएट बोर्ड है, उसकी शिक्षा समिति के बहुत दिन तक अध्यक्ष रहे हैं। उनका देहान्त हो जाने से, मान्यवर, एक कर्मठतापूर्वक जो काम करता रहा है और समाज और देश की सेवा करता रहा है, ऐसे व्यक्ति के उठ जाने से हमारे प्रदेश की बहुत भारी क्षति हुई है और हम सब उनके इस निधन पर अपना दुख: व्यक्त करते हैं और आपसे प्रार्थना है कि हमारी यह भावना उनके परिवार तक पहुंचा दें।

अभी हाल ही में, मान्यवर, जनवरी, में आजमगढ़ के भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा, जिनसे हम लोग बहुत परिचित रहे हैं, जो हमारे बुजुर्ग रहे हैं, जिनके प्रति हमारे आदर और सम्मान के भाव रहे हैं और जो–कितना ही झंझावात उठे–राष्ट्रीयता के पोषक रहे हैं और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी रहे हैं–मौलाना अब्दुल लतीफ नोमानी का 6 जनवरी को देहान्त हो गया। ये एक अच्छे विद्वान रहे हैं। आरम्भ से ही 1920–21 से स्वाधीनता संग्राम में सम्मिलित हुए। बहुत बुजुर्ग और वृद्ध थे और सारे आजमगढ़ के लिये, चाहे हिन्दू चाहे मुसलमान, आदर के पात्र रहे हैं–बड़ी–मान–प्रतिष्ठा रही है। राष्ट्रीय विचार के व्यक्ति थे और उनके जीवन से साम्प्रदायिकता के विरुद्ध एक राष्ट्रीय भावना की प्रेरणा मिला करती थी। मऊ नगरपालिका के अध्यक्ष रहे हैं और संभवत: अब तक अध्यक्ष थे ही। उनके पुत्र हमारे भाई हबीबुर्रहमान नोमानी भी हमारी विधान सभा के सदस्य हैं। उनके वालिद का देहान्त हुआ। एक ऐसा व्यक्ति संसार से उठा है, जिसने देश के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया ही था, उसके बाद भी राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की शक्ति के लिये अपनी वृद्धावस्था में भी बराबर हमें कुछ न कुछ प्रेरणा प्रदान करता रहा है।

मान्यवर, हम उनके देहावसान पर अपना हार्दिक दु:ख प्रकट करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार के प्रति, उनके पुत्र हमारे साथी श्री हबीबुर्रहमान नोमानी, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं––उन तक, मऊ की जनता तक जहां उनका बड़ा सम्मान रहा है और आजमगढ़ जिले के हमारे निवासियों तक हमारा दु:ख और क्षोभ व शोक पहुंचा देने की कृपा करें। उनके संतप्त परिवार के प्रति हमारी सहानुभूति भी कृपया पहुंचा दें। मान्यवर, इन शब्दों के साथ में दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)––

अध्यक्ष, महोदय, माननीय नेता सदन ने स्वर्गीय श्री टोडर सिंह, स्वर्गीय श्री दीन दयालु शास्त्री व स्वर्गीय श्री मौलाना अब्दुल लतीफ नोमानी के स्वर्गवास पर जो भावनायें व्यक्त की हैं मैं अपने को और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं। स्वर्गीय श्री टोडर सिंह जी अलीगढ़ के निवासी थे और काफी वृद्ध हो गये थे। 90 वर्ष की अवस्था में अभी 16 दिसम्बर को उनका स्वर्गवास हुआ। वे सन 1905 से ही बंग भंग आन्दोलन के सिलसिले में राजनीति में शरीक हुए। पहले तो वे क्रांतिकारी बने–उसके बाद उनके तौर तरीके में कुछ तब्दीली आयी।

सन् 1914 में वे सेना में भी शरीक हुए। बहुत से आदमियों को लेकर वे सेना में शरीक हुए और लड़ाई के लिये चन्दा भी इकट्ठा किया लेकिन वे सत्यवादी थे। इतने कटु सत्यवादी थे कि सेना में रहते हुए उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल भी हुआ। फिर वे अपने जिले अलीगढ़ को वापस बुला लिये गये और बड़े सम्मान के साथ उन्होंने सन् 1918 ई0 में त्यागपत्र दे दिया।

वे एक ऐसे व्यक्ति थे कि उनके साथ कार्यकर्त्ताओं का एक हजूम रहता था। सन् 1921 में नागपुर झन्डा आन्दोलन में शरीक हुए और करीब 40 सत्याग्रहियों को लेकर जेल गये। कानपुर कांग्रेस में कांग्रेस स्वयं सेवियों की बड़ी तादाद ले कर इंतजाम के लिये पहुंचे। वे अकेले नहीं रहते थे। वे बहुत प्रभावशाली थे। लोगों के ऊपर उनका बड़ा प्रभाव था और इसलिये कार्यकर्त्ताओं की भीड़ उनके साथ हमेशा रहा करती थी और उनके साथ काम करती थी। सन 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में जो गिरफ्तार हुए तो छोड़े भी नहीं गये और महा युद्ध की समाप्ति पर ही वे जेल से रिहा हुए। वे इस सदन के सन् 1937 से 1939 तक सदस्य रहे थे। उसके बाद फिर सदस्य नहीं हुए। लकिन वे बराबर राजनीति में रह करके अपने जिले की अच्छी सेवा करते रहे। उनका अपने जिले के कार्यकर्त्ताओं में बड़ा ऊंचा स्थान था। वे बड़े आदर की दृष्टि से देखे जाते थे। यद्यपि जीवन के अन्त में वे कुछ रोगी हो गये थे और कुछ पंगु भी हो गये थे मगर फिर भी वे राजनीति में सक्रिय भाग लेते थे। और जनता की सेवा में लगे रहते थे। उनके उठ जाने से हम सभी बहुत दुखी हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनके संतप्त परिवार के पास हमारी और हमारे दल की समवेदना भेज दी जाय।

स्व0 श्री दीनदयालु शास्त्री भी एक बड़े ही कार्यशील और देश के स्वतंत्रता संग्राम में एक अच्छे सेनानी थे। वह इस विधान सभा के सन् 48 से 62 तक सदस्य रहे और मेरे और उनके विचारों में बराबर बड़ी समानता रहती थी और एक दूसरे के बहुत नजदीक रहते थे वह शिक्षा के बहुत प्रेमी थे और सन् 59 में डा० सम्पूर्णानन्द के मन्त्रिमण्डल में वह पहली बार मन्त्री हुये थे, उसी समय मैं भी उसी हैसियत से उनके मन्त्रिमण्डल में शरीक हुआ था। हम सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के बहुत निकट रहकर काम करते थे। वह गरुकुल के स्नातक थे। शिक्षा में उनकी बड़ी रुचि थी, कई शिक्षा संस्थायें भी उन्होंने स्थापित की थी और उनके पदाधिकारी रहे और सेवा करते रहे। वह कुछ पत्रकारिता में भी रुचि रखते थे और पत्रों का सम्पादन भी करते थे। वह बड़े ही सज्जन व्यक्ति थे। उनके बड़े उच्च विचार और उनका सादा जीवन था और वह ईमानदारी से सब लोगों की, गरीबों की सेवा में लगे रहते थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि जिससे लोग प्रभावित आसानी से ही हो जाते थे और उनके व्यक्तित्व की, विचारों की बड़ी छाप लोगों पर पड़ती थी। ऐसे व्यक्ति के उठ जाने से स्वाभाविक है कि सब को तकलीफ हो। हम सभी बहुत दुखित हैं उनके न रहने पर। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। मुझे यह निश्चित तौर से पता नहीं कि उनके परिवार में कोई है या नहीं है। यदि हों तो उनके परिवार के पास हमारी और हमारे दल की समवेदना भेज दी जाय।

स्व० श्री अब्दुल लतीफ नोमानी आजमगढ़ के निवासी इस सदन के सदस्य रहे। वह पुरानी वजा के एक शरीफ आदमी थे। अच्छे विचार के व्यक्ति थे और उनका भी एक सादा जीवन था। बड़ी ईमानदारी से लोगों की सेवा में लगे रहते थे और सभी लोगों पर उनकी अच्छी छाप पड़ती थी। मुझे भी उनके साथ सदन में काम करने का मौका मिला और वह अपने जिले में बहुत प्रतिष्ठा की निगाह से देखे जाते थे। हर व्यक्ति, कांग्रेस के भी या दूसरे दल के भी उनकी बड़ी इज्जत करते थे।

मऊ के अभी गत नगरपालिका के चुनाव में वह चेयरमैन चुने गये थे और अभी तक उस पद पर रह कर सेवा करते रहे। उनके उठ जाने से हम दुखी हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते

[श्री जयराम वर्मा]

हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी और हमारे दल की समवेदना उनके पुत्र श्री हबीबुर्रहमान नोमानी और उनके परिवार के अन्य लोगों के पास भेज दें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने और नेता विरोधी दल ने जो स्वर्गीय टोडरसिंह, स्वर्गीय दीनदयालु शास्त्री और स्वर्गीय नोमानी साहब के बारे में अपनी भावनायें व्यक्त की हैं उनसे हम अपने और अपने दल को सम्बद्ध करते हैं। मान्यवर, इन लोगों के देहावसान से हम सब बहुत दखी हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उनके संतप्त परिवारों तक हमारी समवेदना पहुंचाने की कृपा करें और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इन स्वर्गीय आत्माओं को शांति प्रदान करें।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, जो भावना नेता सदन तथा अन्य माननीय नेताओं ने व्यक्त की है मैं उससे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। बाबू टोडरसिंह जी, पंडित दीनदयाल शास्त्री जी और नोमानी साहब, ये तीनों ही व्यक्ति ऐसी पीढ़ी के रहे हैं जिनके बारे में मुख्य मन्त्री जी ने बहुत विस्तारपूर्वक कहा। नोमानी साहब तो हमारे बगल के ही मऊ कस्बे के रहने वाले थे। उनकी जो ख्याति और जो उनकी राष्ट्रीयता की छाप वहां के साधारण लोगों के ऊपर थी वह बहुत अच्छी तरह आपको भी मालूम है। इसी प्रकार शास्त्री जी का भी जो रहा है, जो विचार रहे हैं वह आप सभी को मालूम है। इन लोगों के उठ जाने से समाजसेवी लोगों में जो एक रिक्तता आयी है उसकी क्षतिपूर्ति होना बड़ा मुश्किल है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारी और हमारे दल की समवेदना को इन लोगों के शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

माननीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय श्री टोडर सिंह जी, श्री दीन दयालु शास्त्री और श्री अब्दुल लतीफ नोमानी के निधन पर हमें और हमारे दल को बहुत दुख है। आपसे प्रार्थना है कि हमारे और हमारे दल की ओर से उनके शोक संतप्त परिवारों तक हमारी समवेदना पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

माननीय अध्यक्ष जी, दिवंगत आत्माओं के बारे में जो भावनायें नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने व्यक्त की हैं मैं अपने और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं। इन तीनों महानुभावों में श्री दीनदयालु शास्त्री मेरे पड़ोसी जिले के रहने वाले थे। हमारा जिला रियासत था। टेहरी गढ़वाल के लोग कोई राजनीतिक संगठन नहीं बना सकते थे। लिहाजा हम लोग देहरादून और ऋषिकेश में अपना संगठन बनाते थे और स्वर्गीय दीनदयालु जी शास्त्री का हम लोगों को पूर्ण सहयोग रहता था और हम बराबर उनसे प्रेरणा लेते थे। मैं ज्यादा न कह कर आपसे अनुरोध करूंगा कि दिवंगत लोगों के परिवारों तक हमारी भी समवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय टोडरसिंह, माननीय दीन दयालु शास्त्री तथा माननीय अब्दुल लतीफ नोमानी के निधन पर जो विचार माननीय नेता सदन तथा अन्य पार्टियों के नेताओं ने व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को भी सम्बद्ध करता हूं। श्री टोडर सिंह जी से तो मेरा परिचय केवल 2 साल

ही रहा 1937 से 1939 तक। वे एक क्रांतिकारी नेता थे। क्रांतिकारी गाथायें हम बचपन में पढ़ा करते थे। अंग्रेजों को उनसे बड़ा खतरा था। अतः अंग्रेजों नें उनको जेल में डाल दिया था। उन्होंने बड़ी यातनायें सही थीं। देश की आजादी में उन्होंने बड़ा योगदान दिया था।

दीनदयालु शास्त्री जी भी बड़े देशभक्त और समाज सेवा करने वाले व्यक्ति थे। वे आर्य समाजी थे, इस कारण हरिजन भाइयों की वे पूरी सेवा करते थे। शराब बन्दी के बारे में भी उन्होंने बड़ा कार्य किया है। वे यहां उप मन्त्री भी रहे हैं। शिक्षा में उनकी विशेष रुचि थी। उनके निधन से हम सभी को दुःख होना स्वाभाविक है।

श्री नोमानी जी भी एक अच्छे सिद्धांत के व्यक्ति थे। वे हिन्दू-मुस्लिम एकता के बड़े प्रेमी थे। साम्प्रदायिकता उनको छू भी नहीं गयी थी। ऐसे लोगों के चले जाने से निश्चय ही प्रदेश और देश की बड़ी क्षति हुई है।

जो भावनायें इन सबके प्रति यहां व्यक्त की गयी हैं, मैं उनको उनके संबंधित परिवार वालों के पास पहुंचा दूंगा। अब हम दो मिनट के लिये मौन खड़े होकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिये प्रार्थना करेंगे।

(सभी सदस्य 2 मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए।)

(इस समय 1 बजकर 45 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1972 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 दिसम्बर, 1972 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 23 दिसम्बर, 1972 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 दिसम्बर, 1972 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1972 का उत्तर प्रदेश का 40 वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा--

मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 1972 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 दिसम्बर, 1972 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 23 दिसम्बर, 1972 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 दिसम्बर, 1972 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1972 का उत्तर प्रदेश का 41वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1966-67 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा--

मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1966-67 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1972 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 12 दिसम्बर,

सचिव, विधान सभा—

1972 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 16 दिसम्बर, 1972 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 दिसम्बर, 1972 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1972 का उत्तर प्रदेश का 42वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1967–68 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा—

मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1967–68 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1972 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 12 दिसम्बर, 1972 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 16 दिसम्बर, 1972 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 दिसम्बर, 1972 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1972 का उत्तर प्रदेश का 43वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1972–73 का अनुपूरक) विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा—

मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1972–73 का अनुपूरक) विधेयक, 1972 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 13 दिसम्बर, 1972 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के बिना किसी सिफारिश के दिनांक 16 दिसम्बर, 1972 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 दिसम्बर, 1972 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1972 का उत्तर प्रदेश का 44वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश पंचम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का सत्ताइसवां, अट्ठाइसवां, उन्तीसवां तथा तीसवां प्रतिवेदन †

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पंचम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का सत्ताईसवां, अट्ठाइसवां, उन्तीसवां और तीसवां प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, 27 वां प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश द्वितीय विधान सभा के सप्तम प्रतिवेदन में शासन द्वारा की गई संस्तुतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में है। 28 वां प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) नियमावली, 1970 की जांच के सम्बन्ध में है। 30 वां प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत राज्य के कार्यों से सम्बद्ध लोक सेवाओं और पदों के लिए होने वाली भर्ती और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन करने के सम्बन्ध में है। राज्य विधान मण्डल द्वारा अभी तक इस में अधिनियम न बनाये जाने के सम्बन्ध में तथा संविधान के अनुच्छेद 166 (3) के अन्तर्गत बनाये गये नियमों को शासन द्वारा गोपनीय रखने के महत्वपूर्ण प्रश्न के सम्बन्ध में है।

---

† छापे नहीं गये।

भारत के संविधान में अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत राज्य विधान मंडल का यह उत्तरदायित्व है, यह अधिकार प्रतिनिहित है कि वह राज्य के कार्यों से सम्बद्ध लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों के विनियमन के सम्बन्ध में विधि बनाकार विनियमति करें। किन्तु समिति ने इस बात पर खेद प्रकट किया है कि 22 वर्ष बीत जाने पर भी उसके सम्बन्ध में विधान मण्डल द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मान्यवर, 166(3) के अन्तर्गत शासन द्वारा जो नियम बनाये गये हैं, उनके सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री द्वारा यह सार्टिफिकेट समिति को प्राप्त हुआ है कि उनका गोपनीय रखना राज्य की सिक्योरिटी की दृष्टि से आवश्यक है। इसलिये उनकी जांच नहीं की जा सकी। मान्यवर, इस अवसर पर यह उल्लेखनीय है कि 166(3) में गुजरात राज्य में जो नियम बनाये गये थे, उनको जनसाधारण की जानकारी के लिये गजट में प्रकाशित किया गया। समिति यह समझने में असमर्थ रही कि एक राज्य में इस तरह के नियम राजकीय गजट में जनता की जानकारी के लिये प्रकाशित किये जायें और यहां यह सरकार उसे समिति से भी गोपनीय रखे।

अगला मेसर्स कनौरिया को दी जाने वाली बिजली की दरों और सप्लाई की जाने वाली बिजली की शर्तों की जांच के सम्बद्ध है। मान्यवर, मेसर्स कनौरिया केमिकल्स को बिजली एक एग्रीमेंट के मातहत दी जाती है जो 30 सितम्बर, 1963 को शासन और मेसर्स कनौरिया के बीच हुआ था। यह एग्रीमेन्ट उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के निर्माण के साढ़े चार वर्ष बाद हुआ था। इस एग्रीमेन्ट के अनुसार मेसर्स कनौरिया केमिकल्स को बिजली ढाई पैसे प्रति यूनिट दी जाती है। जबकि बिजली की उत्पादन हर कामन ग्रिड से आज दस पैसे प्रति यूनिट है। जिस वर्ष में यह एग्रीमेन्ट किया गया था उस वर्ष में भी उत्पादन दर 4.63 पैसे प्रति यूनिट थी।

इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, 1948 के अन्दर धारा 59 और 69 में जो शक्तियां राज्य विद्युत् परिषद् को बिजली के सम्भरण और दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में दी गयी है, उनके अनुसार राज्य विद्युत् परिषद् को न 1963 में और न आज इस बात का अधिकार प्राप्त है कि वह इस प्रकार का एग्रीमेन्ट कर सकें। चूंकि एग्रीमेन्ट राज्य विद्युत् परिषद् की स्थापना के साढ़े चार वर्ष बाद शासन और मेसर्स कनौरिया केमिकल्स के बीच में हुआ है इस लिये राज्य विद्युत् परिषद् पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट की धारा 60 के अनुसार एग्रीमेन्ट बाध्यकारी नहीं है। ऐसी सलाह राज्य विधि परामर्शी की भी है। समिति ने यह जानने की चेष्टा की कि इस एग्रीमेन्ट के कारण राज्य विद्युत् परिषद् को कितनी हानि हुई है और कितनी हानि होने की सम्भावना है। इस जांच के दौरान में समिति ने इस बात का हिसाब लगाया कि हिंडालको और मेसर्स कनौरिया केमिकल्स के साथ जो ऐग्रीमेन्ट किये गये हैं उनसे राज्य विद्युत् परिषद् को एग्रीमेन्ट के दौरान में कितनी हानि होगी। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि यह हानि एक अरब से ज्यादा रुपये की होगी।

1970–71 में हानि 3 करोड़ 63 लाख हुई है। पिछले चार वर्षों में यह हानि 20 लाख रुपये की प्रति वर्ष की दर से बढ़ती जा रही है। जांच के दौरान में समिति को यह रहस्योद्-घाटन हुआ कि यह जो ऐग्रीमेन्ट कनौरिया केमिकल्स और सरकार के बीच हुआ है उसमें एक मिस्टेक आफ फैक्ट है। वह एक तथ्य की त्रुटि पर आधारित है। उस समय जो विद्युत् विभाग, प्रशासकीय विभाग था, उसने बिजली की दर का मूल्यांकन किया था। उसने एक प्रतिशत मुनाफा लगा कर जो बिजली की दर का मूल्यांकन किया था, 2.49 प्रति यूनिट किया था। उसी आधार पर 2.5 पैसे प्रति यूनिट की दर से एग्रीमेन्ट कर दिया गया। राज्य विद्युत् परिषद् ने समिति को बताया कि 1963 में उत्पादन की दर 2.49 नहीं बल्कि 4.63 पैसे प्रति यूनिट थी। समिति ने यह जानने की कोशिश की कि यह एग्रीमेन्ट जो मिस्टेक आफ फैक्ट पर आधारित है वायड ऐब इनीशिओ है या वायडेबिल है।

[श्री शिवराज सिंह]

समिति ने राज्य विधि परामर्शी को कंसल्ट किया। समिति उनके मशविरे से सहमत है कि चूंकि यह त्रुटि शासन की ओर से हुई है और किसी प्रकार का में मिसरिप्रेजेंटेशन कनौरिया कैमिकल्स की ओर से नहीं है, इस लिये ऐग्रीमेन्ट न वायड ऐब इनीशिओ है न वायडबिल है। मान्यवर, प्रदेश में कृषि क्षेत्र को और औद्योगिक क्षेत्र को पर्याप्त बिजली देना तब तक सम्भव नहीं है जबतक राज्य विद्युत परिषद् स्वयं बलशाली न हो जाय। इसलिये एक अरब की हानि से उसको बचाना राज्य की उन्नति के लिये नितान्त आवश्यक है। समिति ने इस उद्देश्य से दो सिफारिशें की है। एक यह कि हिन्डालको और कनौरिया केमिकल्स को राज्य सरकार अर्जित करे और सार्वजनिक क्षेत्र में न हानि न लाभ के आधार पर विद्युत परिषद् से बिजली की दर तय करके चलाये अगर इसमें विलम्ब हो तो दूसरा सुझाव यह है कि इंडियन कंट्रेक्ट ऐक्ट 1972 की धारा 37 के अन्तर्गत राज्य सरकार राज्य विधान मण्डल से ऐसी विधि का निर्माण कराये जिससे इस ऐग्रीमेन्ट के कार्यान्वयन का परिहार हो सके।

मान्यवर, राज्य विधि परामर्शी ने इस दूसरे सुझाव के संबंध में भी सहमति व्यक्त की है कि समिति का यह सुझाव पूर्णतया स्वस्थ तथा व्यावहारिक है। इन शब्दों के साथ में इन प्रतिवेदनों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

गृह राज्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

सुरेन्द्र विक्रम जी ने आज एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया है और वह राज्य गृह मंत्री, गोस्वामी राधाकृष्ण के वक्तव्य से संबंधित है। दिनांक 14-12-72 को नत्थी (क) के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर में श्री राधाकृष्ण गोस्वामी न सदन को बतलाया कि हरिजनों की कुछ शिकायतें सही पाई गयीं किन्तु परगनाधिकारी, पुवायां ने अब दोनों पक्षों में समझौता करा दिया है अनुपूरक प्रश्नों में बार-बार राज्य गृह मंत्री से कहा गया कि कोई समझौता नहीं हुआ है और सी० आई० डी० द्वारा जांच करा लें किन्तु राज्य मंत्री जी उन सवर्णों को बचाने हेतु बराबर सदन में गलत बयानी करते रहे। यह गलतबयानी से संबंधित हैं और उसके लिये मैं माननीय सदस्यों का ध्यान अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी करण संख्या 207, पृष्ठ 47 की ओर आकर्षित करता हूं जो इस प्रकार है "सदन में जो सूचना शासन की ओर से दी जायगी उसकी सत्यता का दायित्व शासन पर होगा। यदि किसी सरकारी अधिकारी से प्राप्त सूचना के आधार पर मंत्री द्वारा सदन में ऐसी सूचना दी जाय जो गलत सिद्ध हो तो मंत्री संबंधित अधिकारी के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करेंगे और उसकी सूचना सदन को भी देंगे"। तो मैं इस करण के अन्तर्गत इसको माननीय मंत्री जी के पास स्थिति को स्पष्ट करने हेतु भेज रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या अधिकारी ने इस विषय पर कोई सूचना दी ?

श्री उपाध्यक्ष—

अभी तो पूछ रहे हैं। स्थिति से अवगत हो जायेंगे। इस के बाद यदि अधिकारी कोई दोषी होगा या मंत्री जी स्वयं होंगे तो देखा जायगा।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

इसे जल्दी करा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छी बात है।

श्री के० एस० मोहरिया, सदस्य विधान सभा द्वारा भारतीय क्रान्तिदल की सदस्यता ग्रहण करने के संबंध में घोषणा

श्री उपाध्यक्ष---

मुझे एक सूचना देनी है कि श्री के 0 एस 0 मोहरिया, विधायक बुलन्दशहर ने यह सूचना दी है कि उन्होंने कांग्रेस दल त्याग करके भारतीय क्रांतिदल की सदस्यता को स्वीकार कर लिया है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

अब हमारे दल के 43 सदस्य हो गये हैं। हमारे दल का नेता विरोधी दल भी बन जाना चाहिये था। और दलों के साथ ऐसा किया गया है जब कि विधान सभा चल भी नहीं रही थी।

श्री उपाध्यक्ष---

आज आपकी संख्या 43 हो गयी है। यह सूचना आज प्राप्त हुई है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

1-1-73 को ही सूचना दे दी गयी थी। एक के बाद आज 10 दिन हो गये।

श्री उपाध्यक्ष---

9 तारीख का आदेश है और यह सूचना आपको दी जा रही है।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

सेशन नहीं चलता था तभी ऐसी सूचना दे दी जाती थी लेकिन अब उसके विपरीत हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष---

इसके लिये एक कानून बना हुआ है। उसी के मुताबिक कार्य होगा और इसीलिये आज यह सूचना आपको दी जा रही है। उसकी आपको सूचना दे देंगे।

श्री जगवीर सिंह---

डिले करने की वजह समझ में नहीं आ रही है। जब इस वक्त सदन चल रहा है तो घोषणा करने में क्या बिलम्ब हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष---

में बिलम्ब नहीं कर रहा हूं। आतुरता तो कहीं दूसरी जगह है।

श्री जगवीर सिंह---

मैं मान सकता हूं कि किसी दूसरे दल की संख्या बढ़ जाय। लेकिन इसके माने यह नहीं है कि हम तब तक इन्तजार करत रहें जब तक दूसरे दल की संख्या न हो जाय। हमारी संख्या हो गई है आपको एनाउन्स करने में क्या आपत्ति है ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने तो माननीय अध्यक्ष द्वारा प्राप्त जो निश्चित दिन और आदेश है उसको आपके सामने पढ़कर सुनाया। इसके सम्बन्ध में जितनी चर्चायें आप करेंगे वह तो आप माननीय अध्यक्ष से करेंगे न।

श्री जगवीर सिंह—

आप तो इस वक्त पदासीन हैं, आपको करना चाहिए।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

जब राजा जी का शोक प्रस्ताव हो रहा था और माननीय त्रिपाठी जी बोल चुके थे तो माननीय अध्यक्ष जी ने नेता विरोधी दल करके सम्बोधित किया।

श्री उपाध्यक्ष—

हो सकता है। जब आप कहते हैं तो सही हो सकता है।

श्री जगवीर सिंह—

आप प्रोसीडिंग्स में देख लें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो ज्यादती करते हैं। एक सूचना दी गई। अब उस पर विचार करेंगे कि क्या-क्या सुविधायें नेता विरोधी दल को मिलती हैं। उसकी एक विज्ञप्ति निकलेगी और उसमें वेतन आदि का भी सम्बन्ध है। कानून में जो बात दी हुई है उसके अन्तर्गत रहते हुये ही हम लोग कार्य करेंगे न ?

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैं तो यह जानना चाहता हूं कि जब अध्यक्ष महोदय ने नेता विरोधी दल करके सम्बोधित किया है, तो क्या उन्होंने बिना घोषणा किये हुये कहा है ?

श्री उपाध्यक्ष—

जब आप कह रहे हैं और वह बात सही है तो आपके मन में उसके लिये शक क्यों पैदा हुआ ?

श्री जगवीर सिंह—

शक इसलिये हुआ कि जब उन्होंने पहली बार कहा तो नेता विरोधी दल सम्बोधित करके कहा और फिर जब दूसरी बार कहा तो माननीय जयराम वर्मा कहा। इसलिये शक हो गया।

श्री उपाध्यक्ष—

अध्यक्ष ने किसको बुलाया और किसको कहा, इसके ऊपर तो मैं सहमति नहीं दे सकता किन्तु प्रश्न यह है कि कोई भी बात होगी तो वह ऐक्ट के हिसाब से ही होगी या मनमाने ढंग से हो जायेगी। मैंने यह सूचना दे दी कि आपकी संख्या अब 43 हो गई है। उसका क्या परिणाम होगा।

बिक्री-कर स्थायी समिति तथा राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड में सदस्यों के निर्वाचन के कार्य-क्रम के संबंध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष---

अब में आपको एक सूचना दे देना चाहता हूं कि इस सचिवालय के पत्र-संख्या 8901/98 (सं0)-69, दिनांक 19 दिसम्बर, 1972 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह निवेदन करने का आदेश हुआ है कि "बिक्री-कर स्थायी समिति" के लिये 16 सदस्यों तथा "राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड" के लिये एक सदस्य के निर्वाचनार्थ नामों की वापसी की तिथि तथा समय 18 जनवरी, 1973 के अपराह्न 2 बजे तक के लिये नियत किया गया है। अतः यदि उक्त समय तक उक्त समिति एवं बोर्ड में उम्मीदवारों के जो नाम अतिरिक्त हैं, वे वापस न ले लिये गये तो मतदान दिनांक 22 जनवरी, 1973 को 12 बजे दिन से अपराह्न 4 बजे तक तिलक हाल, विधान भवन, लखनऊ में होगा।

आगामी कार्य-क्रम में परिवर्तन के संबंध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष---

एक दूसरी सूचना विद्युत एवं संसदीय कार्य मंत्री देंगे।

वन उपमंत्री (श्री गुलाब सिंह)---

श्रीमन्, में आपकी अनुमति से सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि दिनांक 13 दिसम्बर, 1972 को विधान सभा द्वारा दिनांक 10 से 24 जनवरी, 1973 के लिये स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 11 जनवरी, 1973 तथा दिनांक 17 जनवरी, 1973 को विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक उनके क्रम को आपस में बदलकर, निम्न रूप में लिये जायेंगे:---

(क) दिनांक 11 जनवरी, 1973 को निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और उनके पारण के प्रस्ताव---

(1) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1972;

(2) उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972 जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।

(ख) दिनांक 17 जनवरी, 1973 को :---

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1973 पर विचार एवं उसके पारण का प्रस्ताव।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

मान्यवर, मुझे यह निवेदन करना है कि पिछली बार भी विधान सभा के अधिवेशन के मौके पर जो बातें बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में तय हुई थीं वह हम लोगों के सामने रखी गयी थीं। इस बार माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन रखा है, नियमावली में कोई संशोधन होता है उसको पहले विधान सभा के पटल पर रखा जाता है यदि उसमें पुनः कोई संशोधन किया जाय। नियमावली में है कि बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में कोई चीज तय होती है तो अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि विधान सभा में उस पर बहस करावें। नियमावली में एक यह भी संशोधन आया है कि 90 दिन तक विधान सभा चले। यह नियम समिति ने तय किया है और नियम के अनुसार उसे सदन के पटल पर रखना चाहिये। नियम समिति में पुनः संशोधन की बात की गयी और उसे विधान सभा में रखना चाहिये।

[श्री कृष्णानन्द राय]

ही नियम जो बना हुआ है उसके अनुसार अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि नियम समिति द्वारा किये गये संशोधनों को विधान सभा में रखें। इस समय भी विधान सभा की बैठक हो रही है लेकिन मैं पिछले दो-तीन महीने से देख रहा हूं कि बिजनेस कमेटी उसके लिये समय नहीं निकाल पाती और अध्यक्ष महोदय भी अपनी तरफ से उसके लिये समय नहीं निकलवा पाते। अतः इस बात की आवश्यकता है कि नियम समिति में जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं उन पर विचार हो। मैं चाहता हूं कि इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें तो केवल इतना है कि 11 जनवरी वाला कार्य 17 जनवरी को लिया जायेगा और 17 जनवरी वाला कार्य 11 जनवरी को लिया जायेगा। मैं समझता हूं कि इससे सभी सहमत होंगे और किसी को कोई आपत्ति न होगी। फैसला तो इसका पहले हो चुका है केवल इतना है कि यह इस तारीख को लिया जाय और वह इस तारीख को लिया जाय। मैं समझता हूं कि इसमें कोई मतभेद की बात नहीं है।

प्रश्न यह है कि यह परिवर्तन कर लिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

अब माननीय कृष्णानन्द राय जी ने जो दूसरी बात कही है, उस पर आज सायंकाल जब चर्चा होगी तो कोई रास्ता निकल आयेगा। आज की कार्य-मंत्रणा समिति में नियमों में परिवर्तन और समाविष्ट करने वाली बात, जो शाम को मीटिंग होगी उसमें तय हो जायेगी।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

चूंकि 13-14 जनवरी को छुट्टी है और 16 जनवरी को बकरीद है इसलिये कार्य-मंत्रणा समिति में इस पर विचार कर लिया जाय कि 15 जनवरी को भी छुट्टी हो, यह बहुत जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष--

समझ लिया आपकी बात। आपके प्रतिनिधि तो वहां रहेंगे ही। अगर वे कहेंगे तो ऐसा हो जायेगा।

उत्तर प्रदेश के लेखपालों द्वारा अपनी मांगों को लेकर सांकेतिक हड़ताल के संबंध में वक्तव्य

राजस्व उपमंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)--

माननीय सुरेन्द्र विक्रम, बंशीधर पांडेय तथा रामविलास पांडेय ने नियम 51 के अन्तर्गत यह सूचना दी थी कि प्रदेश के समस्त लेखपाल व उनके संघ ने दिनांक 14 नवम्बर, 1972 को अपनी मांगों को लेकर सांकेतिक हड़ताल की और शासन द्वारा उनकी मांगों को पूरा न करने के कारण लेखपालों में क्षोभ, रोष तथा असंतोष व्याप्त है तथा उनकी मांगों का 80 विधायकों ने समर्थन किया है। यह सही है कि प्रदेश के कुछ जिलों में लेखपालों ने अपनी मांगों को लेकर दिनांक 14 नवम्बर, 1972 को सांकेतिक हड़ताल की थी। लेखपाल संघ ने अपने मांग-पत्र में 32 मांगे रखी हैं। इन मांगों में से प्रमुख मांगे निम्न प्रकार है:

1--केन्द्र और राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता समान हो,

2--लेखपालों को निवास हेतु मकान की व्यवस्था की जाय,

3—लेखपालों के मार्ग व्यय में वृद्धि,
4—लेखपालों के स्टेशनरी भत्ते में वृद्धि ,
5—लेखपाल संघ के पदाधिकारियों के उत्पीड़न की जांच,
6—वेतन-क्रम में वृद्धि, तथा
7—परिवार नियोजन का कार्य लेखपालों से न लिया जाय ।

प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों के प्रति हमेशा सहानुभूति पूर्ण रुख अपनाती रही है । लेखपालों की जो कठिनाइयां हैं, उन पर शासन ने विचार किया है । महंगाई भत्ता और वतन-क्रमों का मामला वेतन आयोग के विचाराधीन है । वेतन आयोग की संस्तुति प्राप्त होने पर प्रदेश के अन्य राज्य कर्मचारियों के साथ लेखपालों के वेतन-क्रम पर भी विचार किया जायेगा । जहां तक उनके लिये मकान बनवाने का प्रश्न है, यह बहुत बड़ा काम है । लेखपालों को गांवों में रहना और काम करना पड़ता है । अतः गांव-गांव में मकान बनवाना शासन के लिये संभव नहीं है । उनके स्टेशनरी भत्ते में वृद्धि का प्रश्न शासन के विचाराधीन है और आशा है कि उस पर शीघ्र निर्णय हो जायेगा । नियत यात्रा भत्ता बढ़ाने के संबंध में प्रदेश के अन्य विभागों के राज्य कर्मचारियों के यात्रा भत्ते बढ़ाने पर विचार करते समय ही, विचार किया जायेगा ।

जहां तक लेखपाल संघ के पदाधिकारियों के उत्पीड़न की जांच का प्रश्न है, इस संबंध में यदि कोई प्रतिवेदन स्पष्ट घटनाओं के विवरण सहित प्राप्त होंगे तो शासन को उन पर समुचित कार्यवाही करने में कोई आपत्ति नहीं होगी । अब तक इस संबंध में जो शिकायतें आजमगढ़, बलिया, बुलन्दशहर तथा सहारनपुर में मिली थीं, वे जांच के बाद निराधार पाई गई हैं ।

जहां तक परिवार नियोजन का कार्य लेखपालों से लिये जाने का प्रश्न है, बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिये शासन कृतसंकल्प है और जिला प्रशासन के सारे कर्मचारी इस कार्य में उत्साहपूर्वक अपना योगदान देते हैं । चूंकि लेखपाल ग्रामीण अंचलों से पूर्णतया परिचित होते हैं और ग्रामीण जनता के निकट सम्पर्क में रहते हैं अतः शासन ने उनका सहयोग भी लिया है ।

उनकी अन्य मांगों के संबंध में शासन विचार कर रहा है और जो मांगे उचित पायी जायेंगी उन पर शासन सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा । प्रतिवर्ष लेखपालों के वार्षिक अधिवेशनों में प्रस्तावों द्वारा की गई मांगों पर शासन द्वारा विचार किया जाता है और आवश्यक आदेश परिषद् को प्रसारित कर दिये जाते हैं ।

जहां तक गत 14 नवम्बर, 1972 को लेखपालों द्वारा प्रदेश में कलमबन्द हड़ताल किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिये निवदन करना चाहूंगा कि केवल बुलन्दशहर और मुजफ्फरनगर जिलों में सब लेखपालों ने कलमबन्द हड़ताल की थी । 24 जिलों में हड़ताल का प्रभाव बहुत कम रहा और शेष 28 जिलों में हड़ताल नहीं हुई ।

श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

माननीय, मन्त्री जी ने कहा है कि वेतन आयोग की संस्तुति प्राप्त होने के बाद केन्द्र की दर पर महंगाई भत्ता तथा बढ़ोत्तरी दी जायगी तो क्या वेतन आयोग की रिपोर्ट जैसा कि मुख्य मन्त्री जी ने 12 तारीख को आश्वासन दिया था कि 31 दिसम्बर तक प्राप्त हो जायगी, क्या वह मिल गयी है और इनके बारे में उसमें कुछ लिखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

श्रीमन्, अभी तक वेतन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो इनके महा मन्त्री श्री जी० डी० शर्मा हैं, अगर वे मिलने के लिये समय मांगें तो क्या वह समय देंगे?

श्री उदित नारायण शर्मा--

श्रीमन्, उनकी मागें आ चुकी हैं। अगर वे मिलना चाहेंगे तो समय भी देंगे।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि बलिया के लेखपालों की शिकायतें जो एस० डी० ओ०, कलेक्टर और तहसीलदारों के खिलाफ थी, की जांच उनके ही द्वारा कराई गई है? क्या इनकी जांच कमिश्नर या किसी उच्च अधिकारी द्वारा करायेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

शिकायतों और उनकी जांच के जो उत्तर आते हैं उनसे पता चल जाता है कि जांच ठीक की गई है या नहीं। यदि कहें ऐसा मालूम हुआ कि जांच ठीक नहीं की गई है तो भेजी जा सकती है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि इनकी शिकायतें कलक्टर, तहसीलदार और एस० डी० ओज० के खिलाफ हैं और उन्हीं लोगों ने जांच की है। ऐसी हालत में क्या दूसरे उच्च अधिकारियों से जांच करायेंगे?

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें तो लेखपालों के विरुद्ध शिकायतें हैं, उसके बारे में चर्चा हो रही है। यह बात दूसरी हो गई। लेखपालों ने शिकायत की है, यह दूसरा सवाल है, यह तो उनकी मांगों के विषय में चर्चा है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

लेखपालों ने शिकायत की है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस समय लेखपालों को स्टेशनरी भत्ता कितना मिलता है और शासन उसको बढ़ाकर कितना मासिक कर देना चाहता है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

इस समय उनको क्या मिलता है इसका इस समय हमें ठीक ज्ञान नहीं है लेकिन जहां तक भत्ता बढ़ाने की बात है जिस तरह से अन्य कर्मचारियों का बढ़ाया जायगा उनका भी बढ़ेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मन्त्री जी को मैं जानकारी करा दूं कि सभी कर्मचारियों को स्टेशनरी भत्ता नहीं मिलता, खाली इन्हीं को मिलता है, इतना तो तैयार होकर मन्त्री जी को आना चाहिये था जबकि यह वक्तव्य उनकी मांगों के सम्बन्ध में था।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कह रहे हैं कि उसको कहां तक बढ़ाकर ले जायेंगे, यह आप सुझाव दे रहे हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

कई दिन से विचार हो रहा है और मन्त्री जी को मालूम ही नहीं है कि क्या भत्ता दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष---

वेतन आयोग विचार कर रहा है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

वह तो इस पर विचार कर रहा है कि कितना वेतन और बढ़ोत्तरी दी जाय लेकिन यह स्टेशनरी का मामला उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है।

श्री उपाध्यक्ष---

लेखपालों के स्टेशनरी भत्ते में वृद्धि की मांग है, उत्तर दिया गया कि विचार करेंगे, उन्होंने कहा है कि विचार किया जा रहा है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

लेखपालों को इस समय 50 पैसा प्रतिमास के हिसाब से स्टेशनरी भत्ता मिलता है, उनकी मांग है कि 5 रुपया प्रतिमास दिया जाय।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

आजमगढ़, बलिया और सहारनपुर आदि जिलों के लेखपाल संघ की शिकायत थी वहां के अधिकारियों के विरुद्ध कि उनके माध्यम से वह लोग रिश्वत और नाजायज काम लेते हैं और उनसे अधिकारियों के दौरे के खाने का खर्चा वसूला जाता है और यह सब न करने पर उनको दंड दिया जाता है, इन शिकायतों की जांच किन अधिकारियों से करायी गई? क्या वह कलेक्टर, एस0 डी0 एम0 और तहसीलदारों के जरिये से करायी गयी जिनके कि विरुद्ध वह शिकायत थी या किसी दूसरे माध्यम से जांच करायी गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

यह जांच कलेक्टर के माध्यम से करायी गई थी।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)---

जैसा कि सबका अनुभव है कि बड़े-बड़े हमारे यहां जितने प्रोजेक्ट हैं और बहुत से अधिकारी जो दौरे करते हैं उनका प्रबन्ध मैं निश्चित जानकारी के आधार पर कहूंगा कि उसका पूरा प्रबन्ध खाने पीने का लेखपालों को करना पड़ता है और जैसा कि श्री मैनेजर सिंह ने कहा कि जो क्षेत्र में उनके कैम्प होते हैं उसका खर्च खाने-पीने का और सारी व्यवस्था लेखपाल को करनी होती है। क्या मन्त्री जी ऐसे कोई निश्चित आदेश जारी करेंगे कि इन दौरों के खर्च से कोई सम्बन्ध लेखपाल का न होगा ताकि भ्रष्टाचार न हो ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

लेखपालों के लिये इस तरह की व्यवस्था करना आवश्यक नहीं है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

माननीय मन्त्री जी को लेखपाल संघ ने अपनी 32 मांगों का ज्ञापन-पत्र दिया है, उसकी मांग नम्बर 6 में लिखा है कि स्टेशनरी भत्ता 50 पैसा प्रतिमास से बढ़ाकर 5 रुपया कर दिया जाय, मालूम होता है मन्त्री जी ने उनका ज्ञापन पढ़ा तक नहीं है।

श्री राम प्यारे--

श्रीमन्, मन्त्री जी ने अपने उत्तर में अभी कहा कि लेखपालों के ऊपर कोई उत्तरदायित्व नहीं है लेकिन यह कटु सत्य है कि उन्हीं को अधिकारियों के ठहरने का सारा प्रबन्ध करना पड़ता है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

श्रीमन्, लेखपालों ने अपने ज्ञापन में लिखा है कि उन्हें स्टेशनरी के लिये 50 पैसा भत्ता दिया जाता है । उन्होंने मांग की है कि इसे कम से कम 5 रुपया प्रति मास कर दिया जाय । मन्त्री जी के उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने उनकी मांगों को पढ़ा ही नहीं है । क्या वे बताने की कृपा करेंगे कि यह 50 पैसा कब से तय हुआ है और कितना बढ़ाने का विचार है?

श्री उदित नारायण शर्मा--

यह मामला सरकार के विचाराधीन है और उसको बहुत जल्द तय कर दिया जायगा ।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)

माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि लेखपालों की काफी तादाद है और उनके लिये गांव में मकान बनाने की व्यवस्था होना कठिन है । तो क्या माननीय मन्त्री जी हेड-क्वार्टस पर उनके ठहरने की कोई व्यवस्था करने की कृपा करेंगे जिससे वे लोग जब कि नसबन्दी आदि के सिलसिले में या रिपोर्ट्स आदि तैयार करने के सम्बन्ध में उनको रात को हेड क्वार्टस पर रुकना पड़ जाता है, रुक सकें और ठहर सकें?

श्री उदित नारायण शर्मा--

अभी तक तो ऐसी व्यवस्था करने का सरकार का कोई विचार नहीं है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)

पैरा 4 में माननीय मन्त्री जी के वक्तव्व में दिया हुआ है कि लेखपालों से नसबन्दी के सिलसिले में सहयोग हासिल कर रहे हैं । कोआपरेशन नहीं बल्कि पटवारियों को ऐसा न करने पर ट्रांसफर किये जा रहे हैं और अगर आप कहेंगे तो मैं जिला मुजफ्फरनगर के नाम भी दे दूंगा कि जिनके असमर्थता प्रकट करने पर पैनेलाइज किया जा रहा है । क्या यह सही है?

श्री उदित नारायण शर्मा--

अगर माननीय सदस्य लिख कर दे देंगे तो मैं इस प्रथा को बन्द भी करूंगा और इसकी जांच भी करवा लूंगा ।

श्री राम बिलास पांडेय--

जब आप तहसीलदार और कलक्टर से जांच करवायेंगे तो आरोप तो साबित हो ही जायेंगे लेखपाल के विरुद्ध । आज आप जब किसी गरीब को 10 या 5 किलो गल्ला भी देते हैं तो उससे नसबन्दी के लिये कहा जाता है कि जब ऐसा कराओगे तब तुम्हें गल्ला दिया जायगा तो इसी प्रकार से इन पटवारियों को सताया जा रहा है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

श्रीमन्, गजटेड अधिकारियों, मन्त्रियों और श्रीमन् आपके लिये भी निरीक्षण-भवन ठहरने के लिये बने हुए हैं लेकिन इन बेचारे लेखपालों के लिये हेडक्वाटर्स पर रात्रि में सरकारी कार्य के कारण ठहरने के लिये कोई स्थान नहीं है । उन्नाव को ही हमारे मन्त्री जी ले लें वहां पर पटवारियों के खिलाफ नस-बन्दी न कराने के कारण कितने मुकदमें चल रहे हैं ।

मैं चाहूंगा कि उन्नाव में नसबन्दी के सिलसिले में क्या अन्याय हुआ है, इसी की भी जांच करवा लें ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिख कर दे दीजिये ये अवश्य करवा लेंगे?

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

श्रीमन्, पर्वतीय जिलों में लेखपालों के पास पुलिस का काम भी रहता है। अगर वे कहीं से किसी मुल्जिम को लाते हैं, तो उसको रखने का उनके पास कोई प्रबन्ध नहीं रहता है। तो क्या इस ओर भी सरकार ध्यान देगी। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या मंत्री जी जब लेखपाल पूरी हड़ताल कर देंग तब उनकी मांगों पर ध्यान देंगे। आपने लिखा है कि उनकी हड़ताल पूरी नहीं चली है, अभी सांकतिक है।

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, एक वस्तुस्थिति का बयान किया गया है।

श्री जगबीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मन्त्री जी सन्तुष्ट हैं कि लेखपालों को बगैर अपने जेब से पैसा दिये हुए नसबन्दी केसेज कराये हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, मैं तो यही समझता हूं। मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उन्होंने अपने पास से पैसे दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह हो सकता है कि हर डाक बंगले में साबुन का और चाय का इन्तजाम रहे। शायद बजट में इसको नहीं रक्खा जाता है। उत्तर प्रदेश की नसबन्दी के बारे में कहते हैं उसके बारे में आप जानते हैं कि शेष हिन्दुस्तान से उत्तर प्रदेश की स्थिति भिन्न है। 1901 में जहां आबादी का घनत्व उत्तर प्रदेश में 165 था अब 300 हो गया है। शेष भारत में 1901 में 72 था और 1971 में 182 यानी आबादी अढ़ाई गुना बढ़ी है जब कि उत्तर प्रदेश में दो गुने से कम है। यह स्थिति है।

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1973

आबकारी उप मन्त्री (श्री रामपूजन पटेल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरः स्थापित करने हेतु अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री रामपूजन पटेल—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरः स्थगपित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 111 पर)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम 56 के अन्तर्गत पांच सूचनायें प्राप्त हुई हैं । इनमें से पहली सूचना सर्वश्री चन्द्रभान शर्मा, सईद मुर्तजा और मोहम्मद असरार अहमद की है कि प्रदेश में खाद्य स्थिति के निरन्तर बिगड़ते जाने से जनता में घोर असन्तोष के विषय में, जिसे अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार नहीं किया है.....

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, कल ही एक बयान निकला है प्रधान मन्त्री जी का.....

श्री उपाध्यक्ष—

आपने दोनों बातों को मिला दिया है । आपने ठीक से लिखा भी नहीं है । आप प्रस्ताव की सूचना तो दे सकते हैं, वह सूचना ली जायगी । फिर उस पर बहस के लिये समय होगा । आपने जो लिखकर दिया है उसी पर तो निर्णय होगा । इसमें तो आपने प्रस्ताव की सूचना दी है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

मान्यवर, मैं कह रहा हूं कि स्थिति इतनी गंभीर है कि कार्य स्थगित करके चर्चा कीजिये । किसी राशन शाप पर एक छटांक गेहूं नहीं है, चावल नहीं है, लोग मारे मारे फिरते हैं, अनाज नहीं मिल रहा है, भाव दुगुना हो गया है....अगर इसमें चर्चा नहीं हो सकती तो क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसको नियम 51 में दीजिये मैं चर्चा दे दूंगा । प्रस्ताव तो आप दे सकते हैं उस पर बहस हो सकती है । दूसरा है श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह और भानु प्रताप सिंह जी का जिसमें है कि बरेली के सिन्थेटिक केमिकल फैक्टरी के बन्द होने से डेढ़ हजार श्रमिकों का बेरोजगार हो जाना । यह भी अध्यक्ष जी ने स्वीकार नहीं किया है ।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बरेली)—

मुझे यह निवेदन करना है कि आज 10 तारीख है और कल से वहां के मालिकों ने ले आफ कर दिया है । 1500 श्रमिक बेकार हो जायेंगे । सिन्थेटिक कैमिकल फैक्टरी के मालिक गये थे तो उनसे लोग मिलने गये जिनसे उन्होंने कहा कि चूंकि गवर्नमेन्ट ने अलकोहल पर ड्युटी बढ़ा दी है इसलिये इस परिस्थिति में नहीं हैं कि फैक्टरी को चला सकें । इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि फैक्टरी बन्द होने की जिम्मेदारी, अगर आती है तो सरकार पर आती है । हम इस प्रोजेक्ट को नुक्सान पर नहीं चलाना चाहते । आप प्रदेश के मुख्य मन्त्री, विद्युत मन्त्री का घिराव करिये जिससे कि वह प्रभावित होकर इस ड्युटी को हटा लें । इस तरह से इस ड्यूटी को माफ करने के लिये प्रेसर डाला जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बहुत ज्यादा कह रहे हैं । नियम 56 के नोटिस पर हस्ताक्षर करके भेज रहे हैं और आप सरकारी पक्ष में भी हैं । इसकी गंभीरता हम समझ रहे हैं । लेकिन इस पर अल्प सूचित प्रश्न ही हो सकता है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मैंने प्रधान मन्त्री को लिखा, मुख्य मन्त्री को भी लिखा। लेकिन यह कोई समाधान नहीं निकालते। उन्होंने श्रम विरोधी कार्य किया.....

श्री उपाध्यक्ष—

यह विषय काम रोको का नहीं है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

इसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

सर्वश्री कल्पनाथ सिंह, रामबिलास पांडेय और बंशीधर पांडेय का है कि गोरखपुर जेल में छात्र नेताओं की जेल अधिकारियों द्वारा पिटाई हुई। इसमें आपने तिथि ही नहीं लिखी है कि कब यह घटना हुई।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैंने आखिर में लिख दिया है। हो सकता है तिथि एक्जेक्ट न लिखी हो। दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह की घटना है और आज तक इन्होंने कोई जांच नहीं करवायी। राधाकृष्ण गोस्वामी बैठे हुए हैं। यह कल गोरखपुर नुमायश देखने के लिये गये थे। उसमें इनकी क्या दुर्गति हुई यह इनसे पूछ लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

हम उसमें नहीं जा रहे हैं। सवाल यह है कि आपने एक नोटिस दिया। जो घटना हुई वह कब हुई यह इसमें निश्चित नहीं है। इसलिये इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

इस पर विवाद करवायें या न करवायें लेकिन गोस्वामी जी सहमत होंगे और वह ट्रान्सफर करने की घोषणा ही कर दें। उन्हें मालूम है कि मंच पर मैं भी था। विद्यार्थियों की मांग थी कि दो डिप्टी जेलर और जेलर का ट्रान्सफर कर दिया जाय। केवल मामूली सी बात है। छात्रों ने यह भी धमकी दी कि हम विरोध पक्ष के लोगों का भी घिराव करेंगे। मैंने उनसे कहा कि मैं इस प्रश्न को सदन में उठाऊंगा। इसलिये मैं यह प्रश्न उठा रहा हूं और कह रहा हूं कि तत्काल उन जेल अधिकारियों का ट्रान्सफर कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी इसके गुण में नहीं जा रहे हैं। इसमें यह नहीं लिखा कि घटना कब की है।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

25 दिसम्बर की घटना है। यह जोड़ कर इसको ले लें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप इसको दे दीजियेगा। कल दे दीजिये।

श्री अनन्त राम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, 25 दिसम्बर को यह घटना है और साढ़े 3 बजे की है। उस दिन जेल में लड़कों की पिटाई की गई थी।

श्री उपाध्यक्ष--

जो बात आप कह रहे हैं मैं उनको समझा रहा हूं।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

मेरी बात आप सुन लीजिये। गृह मन्त्री के सामने लड़के जुलूस लेकर आये थे। किसी के सर में और किसी के हाथ में चोट थी। 25 दिसम्बर को डिप्टी जेलर और जेलर ने मिल कर लड़कों की पिटाई की है। हम लोगों ने कल स्थिति को रोके रक्खा। लड़के ढेला लेकर आये थे।

गृह राज्य मन्त्री (श्री गोस्वामी राधा कृष्ण)--

बांकेलाल जी खुद ही तो ढेला लेकर नहीं आये थे और लड़के बाहर खड़े थे ?

श्री बांके लाल--

मंत्री जी ने कहा था कि सम्बन्धित लोगों का ट्रान्सफर कर दिया जायेगा। उसके बाद इंक्वायरी बिठाई जायेगी। इस पर हम लोगों ने लड़कों से वादा कर दिया था कि ट्रान्सफर हो जावेगा। तो यह कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर वह कुछ कहना चाहेंगे तो बयान दे देंगे। अभी तो इन्कार हो गया है, क्योंकि तिथि लिख कर नहीं दी है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

आप डेट छोड़ दीजिये। नियमों में लिखा है कि केवल इस कारण से इसको अस्वीकार न किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

यह टेकनिकल बात नहीं है, यह सारभान बात है।

श्री अनन्त राम जायसवाल--

यह कल लिख कर दे देंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह--

यह ठीक है।

श्री राम लाल भाई (जिला गोरखपुर)--

मेरे क्षेत्र का मामला है इसलिये मेरी बात सुन ली जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी यह घटना विचार करने वाली नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

इस घटना पर सरकार चुप्पी साधे हुये हैं, तो यह ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री शम्भू नाथ चौधरी ने जो प्रश्न उठाया है वह ठीक नहीं है। माननीय सदस्य जो यहां चुनकर आते हैं उनके दलों से जो फसले होते ह, उसके बारे में यहां कोई प्रश्न उठाना खतरनाक बात है। मान लीजिये कोई कांग्रेसी चुनाव में हार गया तो वह मन्त्री बनने लायक नहीं

है, मैं इस बात को तसलीम नहीं करता हूं। मैं कांग्रेस की अन्दरूनी गतिविधियों से अपने को और सदन को अलग रखना चाहता हूं।

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

यह तो परम्परा की बात है। डा० सम्पूर्णानन्द मुख्य मंत्री थे और वह चुनाव में हार गये थे तो अपना पद छोड़ दिया था।

श्री उपाध्यक्ष—

जो आप ने कहा है कि वह हास्य के लिये सही है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इस पर विचार हो तो आपके दल में कोई बात होगी तो उस पर विचार करने को तैयार होंगे ?

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

खुद स्थान छोड़ देंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

बलिया के लिये कुछ कन्शेशन रक्खा कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री जगवीर सिंह का कार्य-स्थगन का प्रस्ताव है विद्यार्थियों पर गोली काण्ड के संबंध में इसमें भी तिथि का उल्लेख नहीं किया। पूरा पढ़ डाला कहीं नहीं वह मिली।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

6 तारीख का वाकया है।

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन इसमें नहीं है।

श्री जगवीर सिंह—

वहां कालेज बन्द है। स्थिति विस्फोटक हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष—

51 में दें। आप लोग असुविधा के कारण बिना पढ़े नोटिस दे देते हैं। 56 को नोटिस पढ़ते नहीं। घटना खाली लिख कर दे देते हैं तो वह पूर्ण है नहीं।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के वार्षिक विवरण-पत्र 1971–72 पर चर्चा

*श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, आज राज्य विद्युत् परिषद् के वार्षिक विवरण-पत्र, 1971–72 पर चर्चा है। विद्युत् परिषद् का गठन, श्रीमन्, 1 अप्रैल, 1959 को हुआ। इस परिषद् को 31 मार्च 1959 तक पूंजी 6,662 लाख रुपये थी। सन् 1965 में रिहन्द की योजना भी इसमें ट्रान्सफर कर दी गयी और 1 अप्रैल, 1965 को हस्तांतरित हुई, वह करीब 5,152 लाख रुपये की संपत्ति इसके पास आई। आज श्रीमन्, जो सरकारी ऋण है, वह इस 1971–72 के विवरण में नहीं दिया गया। 1969–70 का उल्लेख प्रस्तुत किया गया है। इसमें सरकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शम्भू नाथ चौधरी]

की तरफ से जो ऋण मिला है विद्युत् परिषद् को वह 47,340 लाख रूपये हैं। 1971-72 में अपने ऋण पर विद्युत् परिषद् ने 162 लाख रुपये व्याज के रूप में दिया है।

इस विवरण में और आगे चलते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि जब से इस परिषद् का जन्म हुआ, आज तक घाटा बराबर बढ़ता चला जा रहा है। जो लाभ-हानि का व्योरा दिया गया है, वह 1969-70 तक का प्रस्तुत किया है। 1971-72 का दिया नहीं है। लेकिन हमारा अनुमान है इसको देखने से कि 1971-72 में बोर्ड को करीब 13.5 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। यह सम्पूर्ण घाटा जो 1971-72 तक है, अगर 1959 से जोड़ा जाय तो करीब 50 करोड़ तक हो जाता है।

श्रीमन्, यह बड़ी विचित्र दशा है। करोड़ों रुपया जनता की गाढ़ी कमाई का इस विद्युत् परिषद् को दिया जा रहा है। इस परिषद् को सन् 1971-72 तक 50 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। विवरण में यह जानकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस घाटे को कबूल किया गया है। लेकिन जो घाटे के कारण बताये गये हैं वे बहुत ही हल्के हैं और ऐसा लगता है कि असलियत से आंखें मूंदी जा रही हैं। अपने विवरण में जो उन्होंने उल्लेख किया है वह 2-3 कारणों का ही किया है। तेजी से विकास और ट्यूबवैल वगैरह को इनमें गिनते हैं और पम्पिंग सेट्स को। तीसरा कारण बताया है इंडस्ट्री को कम दर पर बिजली देना। खोल नहीं रहे हैं बिरला को लेकिन यह कह रहे हैं परदे की आड़ में। 3 कारण उन्होंने मुख्य रूप से बताये हैं। जो सब से बड़ा कारण है उसकी तरफ इस सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इसका उन्होंने इसमें उल्लेख नहीं किया है। अगर आप आज से 12 साल पहले के आंकड़े देखेंगे, आपने तो इस साल के ही दिये हैं, तो पाएंगे कि केवल 200 इंजीनियर थे। जब कि आज 2000 इंजीनियर हैं। आज जो लाइनों में क्षति दिखायी जाती है वह है 35-36 प्रतिशत। पहले बिजली की क्षति 15-18 प्रतिशत ही थी जबकि आज इंजीनियरों की संख्या में 10 गुनी वृद्धि हो गयी है।

अब मैं दूसरा आइटम लेता हूं। मैसूर इत्यादि राज्यों में जो क्षति हुयी है वह बहुत ही कम है। वहां पर 18 प्रतिशत के लगभग है। क्या कारण है कि अन्य राज्यों में लाइनों की जो क्षति आती है वह कम है आप से करीब आधी है और आप के यहां क्षति जो कागज में दिखायी जाती है वह दूनी है। जब तक उस ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक विद्युत् परिषद् का और जनता का कल्याण होने वाला नहीं है। श्रीमन्, घाटे का एक मुख्य कारण है कि चोरी की रफ्तार विद्युत् परिषद् में बहुत ज्यादा हो गयी है। मैं एक फोटो मंत्री जी को दिखाने वाला था। मैं एक मकान का फोटो लाया हूं। एक दरख्वास्त के साथ उनको उसको दे दूंगा। इस चोरी का विद्युत् परिषद् ने 6 करोड़ रुपये का हिसाब लगाया है। मैं करीब शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। उस चोरी को अधिकारी अपने कागजों में लाइन की क्षति में बदल देते हैं। मैं यह फोटो आप को दिखाता हूं। यह चोरी का एक उदाहरण है। इस फोटो को मैं माननीय मंत्री जी को भेज दूंगा। इसमें यह है कि सी० टाइप का एस्टीमेट बनाया गया और कनेक्शन "ए" टाइप का दिखाया गया हैं। अधिकार अपना है। यह दो मकानों का है।

तो मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि अगर ऐसी घटनाओं को नहीं रोका तो प्रदेश बरदाश्त नहीं करेगा। यह कोई दलील नहीं कि बिरला को हम कम रेट पर देते हैं, विद्युत विकास में खर्चा करते हैं, पंपिंग सेट देते हैं। क्या उससे घाटा हो रहा है ? आज हालत यह है कि ट्यूबवैल चले या न चले किसानों को आज उससे भी ज्यादा मंहगा पड़ रहा है। जिसको आप अनार्थिक योजना कहते हैं, ट्यूबवैल और पंपिंग सेट की, आज अगर जोड़ा जाय तो लाइन ही क्यों दिखाते हैं कि 4 फरलांग की छूट दी जाती है इससे घाटा हो रहा है, आप ट्यूब

बेल चलावें या न चलावें, आप कटौती कर दें 7–7, 8–8, 10–10 घंटे की, आप बिजली न दें लेकिन तब भी तो अनिवार्य कर देते हैं, अनिवार्य रूप से फीस ले लेते हैं। क्या चेक-अप है?

आप ने जो दलील दी है कि ये अनार्थिक योजनायें हैं इसलिये हम को घाटा हो रहा है, यह थोथी दलील है और अगर आप जोड़ेंगे तो हम लेखा-जोखा प्रस्तुत कर देंगे कि किसान को जो बिजली दे रहे हैं उसमें आप लाभ में हैं, बल्कि किसान घाटे में है। आपने कह दिया कि द्रुत विकास के कारण घाटा हो रहा है। द्रुत विकास हरिजन बस्ती में ज्यादा चल रहा है। एक तरफ श्रीमन्, कल-कारखानों में कटौती के कारण मजदूर बेकार हो गये, कारखाने बन्द हो गये, राय साहब ने जब चर्चा हुई तो कहा है कि 1972 के 8 वर्षों में इस कटौती से करीब 10 अरब रुपये का घाटा हुआ उत्पादन में। तो यह कहना कि द्रुत विकास में खर्चा कर के हमको हानि हो रही है यह भी बात समझ में नहीं आती। क्योंकि विकास करने से हानि हो, लाभ के बजाय तो विकास का अर्थ क्या होता है?

तीसरे, जैसा चौधरी साहब ने कहा, न दीजिये बिरला को बिजली। आज आप के मन में चोर बैठा हुआ है। पहले भी उसको दिया आज फिर देने जा रहे हैं और हमारे प्रश्न के उत्तर से स्पष्ट है कि जून के बाद और जुलाई में निश्चित रूप से बिजली बिरला को देने जा रहे हैं, एक प्रकार से सौदा हो गया है। यदि सस्ती बिजली देने से हानि हो रही है तो न दीजिये। यह रोना क्यों रोते हैं सदन के सामने। मैं एक दूकान पर बैठा था तो वहां कहा कि चौधरी साहब यहां तो इंसपेक्टर ही मीटर की चोरी करते हैं बलिया जिले में। बलिया जिला बहुत छोटा जिला है। वहां छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं। उसने कहा कि आधे-आधे का सौदा हो जाता है। उसने हम को चाबी घुमा कर दिखाया भी। हमारी समझ में तो वह नहीं आया लेकिन आज यह असलियत है कि इतनी बड़ी चोरी हो रही है कि अगर केवल चोरी को रोक दें तो विद्युत् परिषद् को घाटा नहीं होगा वर्ना घाटा होता रहेगा और टैक्स के रूप में आप किसानों और जनता का शोषण करते रहेंगे।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि विद्युत् परिषद् ने समाजवाद को सब से बड़ा धक्का पहुंचाया। आज लोगों का उससे विश्वास उठ रहा है। जिस कार्य को सरकार अपने हाथ में लेती है उसमें घाटा होता है। समाजवाद तो इसी का प्रतीक है कि उत्पादन के साधन और वितरण पर सरकार का अधिकार हो। लेकिन विद्युत् परिषद् में घाटा होगा तो निश्चित रूप से जनता सोचेगी कि सरकार जो कार्य अपने हाथ में लेती है उसमें घाटा होता है और लोग यह कहते हैं कि आज दो प्रकार के सेठ तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, एक नौकर सेठ और दूसरे मंत्री सेठ। अगर आप समाजवाद को सरकार रूप देना चाहते हैं तो जनता को दिखाइये। समाजवाद नारे से आयेगा या कर्म से आयेगा कि यह हमने हाथ में लिया और देखो इतने करोड़ रुपये का लाभ हो रहा है? तब लोगों का दिमाग बदलेगा आप के समाजवादी विचारधारा की तरफ। नहीं तो समाजवाद ऐसे ही समाप्त हो जाने वाला है। विद्युत् परिषद् ने सार्वजनिक धन का सब से बड़ा दुरुपयोग किया है। अभी आप ने एक जगह उल्लेख किया कि ताम्बे के तार का पुरःस्थापन हमने अल्यूनियम के अल्मनियम के तार से किया क्या उसमें लाखों रुपये का गड़बड़ घोटाला नहीं हुआ? क्या यह सही नहीं है कि दिल्ली की एक फर्म ने नहीं जो दर दी थी टेन्डर में, उसका टेन्डर फाइनल हो गया था लेकिन उस टेन्डर को स्वीकार किया गया केवल अपने स्वार्थ में यह आड़ लेकर कि यह राज्य के उद्योगपतियों को दिया जायगा? जिस आदमी को आपने राज्य का उद्योगपति कह कर दिया है क्या उसने उसका प्रयोग किया है?

मैं चुनौती देता हूं कि आप दिखा लें कि उसके पास तार है भी कि नहीं? हमारी सूचना है कि उसके पास तार है ही नहीं। मैंने आज ही एक प्रश्न पूछा था कि क्या कुछ वातानुकल कार खरीदी गयी हैं। उत्तर दिया गया कि विद्युत् परिषद् ने खरीदी हैं। जब विद्युत परिषद् में 50 करोड़ का घाटा था तो इस वातानुकूलित कार खरीदने की क्या जरूरत थी। अब वह कार सरकार को बेच दी गयी है। जब मैंने पूछा कि कितनी में खरीदी

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

गयी तो उत्तर मिला अभी दाम नहीं दिये गये हैं। मैं पूछता हूं कि वह 80–85 हजार की तो होगी ही। आखिर यह क्यों खरीदी गयी? अगर यह रुपया होता तो आप इसको दूसरे उपयोगी कामों में खर्च कर सकते थे। इतने रुपये का आपको व्याज ही बचता तो यह कितना लास आप को हो रहा है इस तरह के कामों से। 1 अगस्त, 1971 से आज तक इस 80 हजार रुपये के ठप्प हो जाने से कितना लास हुआ? अब कहा जाता है कि वह मुख्य मन्त्री जी व मन्त्रियों के चढ़ने के लिये दे दी गयी है। स्थिति यह है कि परिषद् कर्ज पर कर्ज लेती जा रही है। कर्ज की अदायगी के लिये कुछ नहीं हो रहा है।

(व्यवधान)

मान्यवर, योजनाओं की बड़ी चर्चा की गयी है। जमुना विद्युत् परियोजना को ले लीजिये.....

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

एयर कन्डीशन से आप को चिढ़ क्यों है, आपकी राय से यह आप का सदन भी तो एयर कन्डीशन हो रहा है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

यह आपकी राय से हो रहा है।

मैं कह रहा था कि आपने इसमें योजनाओं की बड़ी चर्चा की है। किसी भी परियोजना को उठा कर देख लीजिये जो आप ने अनुमानित लागत निश्चित की थी, वह बढ़ते-बढ़ते, पुनरीक्षित होते होते दुगुनी हो गयी। जमुना विद्युत् परियोजना की पुनरीक्षित लागत करीब दुगनी हो गयी। ओवरा की लागत पहले 1,059.26 लाख के करीब थी, अब वह 2,423.6 लाख हो गयी। मैं पूछता हूं कि आखिर इतनी लागत बढ़ने का कारण क्या है?

ओबरा में बांध के स्थान परिवर्तन से। यानी जब आप योजना बना रहे थे तो उस समय आप का ध्यान कहां गया था? उस समय सही स्थान क्यों नहीं चुना गया? बलिया में इस्पात का कारखाना लगने वाला है, उसके लिये स्थान खोजा जा रहा है। एक बांध गलत स्थान पर बन जाने के कारण आपको दुगुना पैसा खर्च करना पड़ रहा है। यदि मैं पूछूं कि जिन लोगों न गलत स्थान पर बांध बनाया था, क्या आप ने उनको कोई दण्ड दिया, तो मैं समझता हूं कि आप इसका नकारात्मक उत्तर ही देंगे। नहीं तो आप बता दीजिये कि आप ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की? ऐसे ही रामगंगा परियोजना है, उसका 6,798 लाख का था जो पुनरीक्षित होकर हो गया है 1,045 लाख रुपया। इसका भी ड्योढ़े पर मामला चल गया। इसका कारण यह बताया गया कि योजना के प्रारूप और डिजाइन में परिवर्तन, यह देश की सार्वजनिक सम्पत्ति के साथ क्या खिलवाड़ है? आप जो इंजीनियरों की फौज बढ़ा रहे हैं, उससे लाभ क्या मिल रहा है।

पृष्ठ 70 पर इनके विद्युत् परिषद् के केवल 3 अधिकारियों के वेतन आदि पर 92,092 रुपये का खर्च दिखाया गया है। भारत ऐसे गरीब मुल्क में, जिसके बारे में डाक्टर लोहिया ने कहा था कि यहां 27 करोड़ लोग तीन आने रोज पर गुजर करते हैं। (व्यवधान) तो मैं यह कह रहा था कि आपके वेतन भत्ते बढ़े चलते हैं। अध्यक्ष को आप दो हजार पचहत्तर रुपये वेतन दे रहे हैं और 300 रुपया विशेष वेतन। न जाने यह विशेष वेतन कौन सी बीमारी है। मैं नहीं जानता कि क्या किसी और देश में वेतन के अलावा विशेष वेतन का प्राविधान है या नहीं। यह बताएं, क्योंकि वह विधि के ज्ञाता हैं, भत्ता तो समझ में आया, लेकिन विशेष वेतन नहीं समझ में आया। वहीं पर आपने चौकीदार का वेतन 55 रुपये रखा है। आप समाजवादी हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आज बहुत धीरे-धीरे आप चल रहे हैं। औरों को भी बोलना पड़ेगा। चार बजे दूसरा आ जायगा न।

श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)

इनका कुसूर नहीं है। जिस पार्टी में हैं उसका लीडर इसी तरह से बोलता है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

इसके बाद त्रिवेणी राय जी को मौका दीजिये।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

दस मिनट में खत्म कर दूंगा। आप ने अधिकारियों को जो वेतन में दिया है 1970-71 में वह अनुमानित था 22.369 लाख, लेकिन पुनरीक्षित हो गया 97 लाख। दो चार इधर-उधर हो जाय लेकिन 22 से 97 हो जाय। फिर 1971–72 में 106 लाख हो गया। भत्ते में आप देखेंगे अनुमानित था 4.217 लाख। पुनरीक्षित में बढ़ गया, 5 लाख। 1971–72 में सीधा ड्योढ़ा हो गया, 6 लाख पहुंच गया। ऐसा लग रहा है कि कार्य तो हो नहीं रहा है विद्युत् परिषद् में और आप ने मान लिया है कि जितने अधिकारी कर्मचारी बढ़ते चले जा रहे हैं उतना काम बढ़ रहा है। आकस्मिक व्यय आप देखेंगे। उसकी रफ्तार क्या है। अनुमानित है 78.26 लाख रुपये। पुनरीक्षित बढ़ गया 4.37 लाख। 1971–72 में पुनरीक्षित दिखाया नहीं है। पुनरीक्षित पेश करेंगे तो मसाला आयेगा। जो अनुमानित दिया है वह 114.78 लाख है।

श्री उपाध्यक्ष—

जो घाटा है उसको नहीं पढ़ते हैं। योग देखिये न।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

पुनरीक्षित इनका आयेगा तो और बढ़ेगा। 1970–71 में अनुमानित था 78 लाख और 4.37 लाख बढ़ गया। 1971–72 में अनुमानित ही दिया है। उन्होंने पुनरीक्षित वाला नहीं दिया। आकस्मिक व्यय का दिया है। टोटल व्यय पर मैं नहीं आया। इन बातों से यह लग रहा है कि विद्युत् परिषद् का कार्य आप सुधार सकें तब अच्छी बात है, न सुधार सकें तो आप इसको खत्म कर दें। आये दिन चर्चा होती है ओबरा की। कोई न कोई मशीन वहां खराब होती है। कोयला पानी की कमी आप बतलाते हैं। आप शक्ति बढ़ा नहीं पा रहे हैं इससे बढ़ कर लज्जा की क्या बात हो सकती है?

(इस समय 3 बज कर 17 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राम सिंह पीठासीन हुए।)

*श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैंने अपने विरोधी दल के साथी का भाषण सुना। यह बात सही है कि परिषद् को घाटा होता रहा है, लेकिन उन्होंने इसमें सुधार का जिक्र नहीं किया। दो तीन वर्षों के अन्दर चोरी कम हो गयी है। हानि होती थी परसेंटेज में उसमें कमी आ गयी है और काम में जो धोमापन था उसमें तेजी आई है। पिछले वर्ष बैलेंस शीट बनाई गयी थी उसमें हानि नहीं थी। जो तीन कारण घाटे के बतलाये गये वे अपनी जगह बरकरार हैं लेकिन एक कारण सीधा मेरी कांस्टीट्युएंसी से सम्बन्धित है खास कर बिरला उद्योग के सम्बन्ध में सदन को मेरे विचार मालूम हैं। 13 जुलाई, 1972 को सदन में जो प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ है उसके प्रत्येक पराग्राफ का मैंने अध्ययन किया और साक्ष्य में परिषद् की तरफ से जो बातें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम प्यारे]

कही गयी उनका मेल तथ्यों से नहीं खाता। 1964-65 में जब परिषद् के घाटे का प्रश्न उठा तो लोक लेखा समिति ने छानबीन की। उन्होंने कहा कि हिन्डालको को बिजली देने से 49 लाख का घाटा होता रहा। रिहन्द बांध 1960 में शुरू हुआ और हिन्डालको को 1962 में बिजली दी गयी लेकिन जो घाटा दिखाया गया उसमें सीधे-सीधे कह दिया गया कि 13 वर्ष में 42 करोड़ का घाटा हुआ।

जब ये सारी बातें मेरे दिमाग में आईं और मैंने देखा तो मैंने एक चिट्ठी सभापति प्रतिनिहित विधायन समिति को भेजी जिसकी प्रतिलिपि मेरे पास है। इसका अभी मुझे उत्तर नहीं मिला है। इसकी एक प्रतिलिपि मैंने मुख्य मन्त्री जी को भी लिखी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो हमारा इन्फा स्ट्रक्चर बनने वाला था उसमें हम सही चीजों को लाते। हम कभी उन लोगों के हिमायती नहीं हो सकते जो कि लेबर का शोषण करते हैं और जहां वसूली नहीं होती है उसको सख्ती से वसूल करते हैं। जो सरकारी आंकड़े दिये गये हैं मैं उन्हें मानने के लिये तैयार नहीं हूं। मैंने उन्हें देखा है और मैंने उनके सम्बन्ध में पैरावाइज लिखा भी है। 1961-62 में रिहन्द का टरिफ बना था। उसमें बिजली की जो दर दी थी.....

श्री रूप नाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

आप कह रहे हैं कि सरकारी आंकड़े ठीक नहीं हैं। तो क्या आप बिरला की वकालत कर रहे हैं.....

श्री रामप्यारे---

मैं सरकारी रिकार्ड पर सही तथ्य सामने ला रहा हूं। आप हमारे विचारों को जानते हैं इसलिये वे बातें सामने आ रही हैं.....

(व्यवधान)

मान्यवर, माननीय सदस्य प्रतिनिहित विधायन समिति के सदस्य हैं। क्यों नहीं मेरी चिट्ठी का जवाब दे देते हैं। सदन को उसका उत्तर दे दें। जिससे स्थिति साफ हो जाय। आज विधायकों में भी क्यों भ्रम उत्पन्न हो रहा है। इतनी सस्ती बिजली क्यों दी जा रही है, वह चीज स्पष्ट हो जानी चाहिये। इसका असर यह होता है कि मजदूर निकाले जा रहे हैं क्योंकि आप कहते हैं घाटा हो रहा है। 1961-62 में जो टैरिफ हुआ था उसमें 1.8 पैसा जनरेशन कास्ट हुई थी। हम जानते हैं कि हाइडिल की कास्ट प्रतिवर्ष बढ़ती नहीं है।

(श्री राम गोपाल संड के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता---

माननीय संड जी, आप माननीय सदस्य के विचार सुन लें।

श्री रामप्यारे---

मान्यवर, हमारे क्षेत्र के ढाई हजार आदमी निकाले गये हैं। किसी को घाटा उठाकर काम नहीं करना चाहिए। प्रश्न इस समय यह है कि जो वायदे शासन ने दिये थे उनको हम आज पूरा कर रहे हैं? लिखित आश्वासन हमारे पास हैं। फैक्टरी के एक्सपेंशन करने के आदेश दिये गये थे। बिजली की दर जो भी हो लेकिन निश्चित आश्वासन मिलना चाहिये। लेकिन उसका प्रतिफल यह नहीं होना चाहिये कि मजदूर बेकार हो जाय। मैं रिहन्द की प्रगति को शुरू से अन्त तक देख रहा हूं। मैं वहीं का निवासी हूं। अभी तक रिहन्द का 9 करोड़ रुपये का कोई हिसाब-किताब नहीं है। हाइडिल की जो इन्स्टाल्ड कैपेसिटी है वह 105 मेगावाट है पैदा करने की। और आप ने 300 मेगावाट की बिजली वहां पर लगा दी है। यह तो दुनिया का माना हुआ सिद्धान्त है। उसको भी देखना होता है। तो मैं यह चाहता हूं कि जो सही तथ्य हों वे सदन के सामने अवश्य आने चाहिए।

मैंने इस विषय का अध्ययन किया है। मैंने देखा कि 20 हजार टन के लिये 2 पैसे में तय हुआ है लेकिन जो बिजली दी जाती है वह 14 पैसे आती है। लेकिन जो वास्तविक है वह 4 पैसे ही आती है। लेकिन इसके बाद जो उनको बिजली दी जाती है वह 4.5 पैसा प्रति यूनिट आता है। चाहे आप केरल, बंगाल उड़ीसा को ले लें हर जगह कम है। मध्य प्रदेश में 2.5 तय हुआ। मैं तो चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में साफ-साफ बात होनी चाहिये। अगर वास्तव में आप को बिजली देने में घाटा है तो ऐसे उद्योग को बन्द कीजिये, कौन विरोध करता है लेकिन उत्तर प्रदेश में औद्योगीकरण की जो बात थी वे उस वातावरण को दूषित न कीजिये।

जहां तक बिजली के उत्पादन का प्रश्न है, निश्चित तौर पर इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। यहां चर्चा हुई कि रिहन्द में बिजली का उत्पादन कम हुआ लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। शुरू से लेकर आज तक रिहन्ध बांध से कितनी बिजली का उत्पादन हुआ, इसका मैंने अध्ययन किया तो अब तक की जो स्थिति है उससे मुझे ऐसा लगा कि बिजली का प्रोडक्शन कम नहीं हो सकता बल्कि उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है अगर करना चाहें इसमें खामियां हैं जिनको दूर करने की जरूरत ह। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये थर्मल पावर स्टेशन में सुधार करने की आवश्यकता है।

एक तरफ तो परिषद् से सूचना आती है कि बिजली का प्रोडक्शन ठीक है और दूसरी तरफ कहा जाता है कि बिजली की कमी है। थर्मल पावर स्टेशन से जब 70 प्रतिशत प्रोडक्शन होना चाहिए जो हमारे यहां उसमें कमी है, इसलिए उसमें सुधार की व्यवस्था होनी चाहिए 60-65 प्रतिशत के स्थान पर 50, 46 या 48 प्रतिशत रहा है लेकिन केन्द्रीय बिजली मंत्री राव साहब ने बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा है कि हमारे यहां प्रोडक्शन इतना प्रतिशत होता है। खैर, उनकी बात तो परिषद् वाले जाने लेकिन प्रदेश सरकार की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार यह बात सही नहीं है कि हम इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं बल्कि कम कर रहे हैं। ओबरा थार्मल पावर स्टेशन की एफीशियेंसी को देखें और वहीं पर प्राइवेट पावर स्टेशन को देखें जहां कि 90 प्रतिशत तक प्रोडक्शन होता है और हमारे थर्मल पावर स्टेशन में 50–60 प्रतिशत तक ही प्रोडक्शन हो पाता है। इसलिये इसमें सुधार होना जरूरी है।

जहां तक इन संस्थानों में लेबर मूवमेंट की बात है, अगर समय रहते आपने उसे संभाल लिया तो कोई कारण नहीं है कि हड़ताल वगैरह की वजह से जो लाखों और करोड़ों रुपये का घाटा होता है वह हो जाय। माननीय मंत्री जी भी जानते हैं कि लेबर की जो मांगें होती है उनको पूरा करने के लिये कई बार आश्वासन तो दे दिया जाता है लेकिन उनको समय से पूरा नहीं किया जाता। उसकी वजह से परिषद् को क्षति उठानी पड़ती ह।

साथ ही हमारे जो अध्यक्ष हुए हैं उन्होंने डायरेक्ट भर्ती इंजीनियर वगैरह को रुकवा दी लेकिन जो चौथी श्रेणी के कर्मचारी हैं उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। इसलिये इन सारी चीजों का सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता है। इसके अलावा रिहन्द में जो काम हो रहा है उस पर निगाह रखनी चाहिए। रिहन्द के अन्दर पड़ने वाली जमीनों के एलाटमेंट के लिये जब से मैं एम0 एल0 ए0 हूं, सन् 63 से बराबर इस प्रश्न को उठाता रहा हूं कि जमीनों का एलाटमेंट करने से परिषद् लाभान्वित होगी लेकिन इस पर कुछ भी नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश की आधी बिजली हम पैदा करते हैं इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो खामियां हैं उनको दूर करने की जरूरत है। जब रेणुसागर का थर्मल पावर स्टेशन 90 प्रतिशत बिजली का उत्पादन करता है और वहां से कोयला लेता है तो फिर ओबरा थर्मल पावर स्टेशन का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है।

श्री रामगोपाल संड––

मान्यवर, मैं आप का आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री अधिष्ठाता—

श्री संड जी, पहले आप सुन लें। मैंने 10–10 मिनट का समय इस विषय पर बोलने के लिये प्रत्येक सदस्य के लिये निश्चित किया है।

श्री रामगोपाल संड—

मान्यवर, मैं माननीय तिवारी जी और त्रिवेदी जी से प्रार्थना करूंगा, मैं दोनों की बहुत इज्जत करता हूं, मैं कुछ फैक्ट्स और आंकड़े रख रहा हूं, उनका उत्तर मंत्री जी दें और त्रिवेदी जी तो यहां बोल नहीं सकते हैं।

श्री मैनेजरसिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या कोई माननीय सदस्य दीर्घा में बैठे हुये किसी आदमी से कुछ कह सकते हैं ?

श्री रामगोपाल सण्ड—

मुझे नहीं मालूम है कि वे यहां बैठे हुये हैं। मैंने नाम ले लिया, मैं उसको वापस लिये लेता हूं।

राज्य विद्युत् परिषद् इसलिये बनाया गया कि मितव्ययता हो। यह 59-60 में बना। दूसरा इसका मन्तव्य यह था कि बिजली सस्ती दर पर गरीब किसानों को, छोटे उद्योगपतियों को तथा शहर में रहने वाले नागरिकों को उपलब्ध हो सके। 59–60 में इसका गठन हुआ और यह एक ऐसा सफेद हाथी है कि 1–4–65 को रिहन्द बांध बना जिसके बारें में हमारे मित्र ने बहुत कुछ कहा है। पहले कुल घाटा 62 लाख रुपये का था, जब यह परिषद् बना और 69–70 में 1,016 लाख का घाटा है। 12 सालों में इस परिषद् ने इतना घाटा दिखाया है। इस वर्ष का अनुमान 50 करोड़ रुपये तक घाटे का है। विद्युत की स्थिति यह है कि इस साल लगभग सारे प्रदेश में 2,970 लाख का घाटा होगा। 50 करोड़ से बढ़कर इतना घाटा होने वाला है।

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मितव्ययता के लिये क्या किया गया है ? कभी इंजीनियर हड़ताल करते हैं, कभी इनके कर्मचारी हड़ताल करते हैं और कभी मजदूर हड़ताल करते हैं। हमारे मित्र रामप्यारे जी ने कहा है कि बिड़ला जी से गवर्नमेन्ट ने एक पैक्ट किया था। यह बिड़ला जी को तो दो पैसे यूनिट के हिसाब से बिजली देते हैं, आम जनता एवं किसानों को 22 पैसे यूनिट के हिसाब से देते हैं। ये पैक्ट की दुहाई देते हैं लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि यदि युद्ध हो तो एग्रीमेंट रद्द किया जा सकता है।

श्री राजमंगल पांडेय—

मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना नम्बर आने पर आंकड़े दीजिये।

श्री रामगोपाल सण्ड—

मान्यवर, यह देखिये कि उत्पादन कितना है। 9 पैसे प्रति यूनिट उत्पादन आता है। हिंडाल्को को 5.3 के हिसाब से फिर और बिजली दे दी है। किसान को 22 पैसे प्रति यूनिट देते हैं और शहर के नागरिकों को 36 पैसे प्रति यूनिट देते हैं। इस पर भी ये कहते हैं कि हम गरीबों के हिमायती हैं।

(श्री रामप्यारे जी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य बीच में न बोलें।

श्री रामगोपाल सण्ड—

इन्होंने बिड़ला जी वाली किताब पढ़ी है और हमने गवर्नमेंट वाली किताब पढ़ी है। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा समर्थन करेंगे। 60–61 में जो खर्चा होता था 412.5 परसेंट होता था और इस साल केवल मनेजमेंट पर 126.9 परसेंट पड़ेगा। यानी 126.9 प्रतिशत खर्च बढ़ा। इसके अलावा हानि 2–3 साल में हुई है 285.4। और जो इन्टरेस्ट यह एल0 आई0 सी0 वगैरा को देते हैं वह भी बढ़कर अब 604.5 प्रतिशत हो गया है। यानी यह 600 गुने से भी ज्यादा हो गया है। इस तरह से जब व्यय इनका 445 प्रतिशत बढ़ गया तो उत्पादन केवल 207.7% ही बढ़ा। इस तरह खर्च तो इनका बहुत अधिक बढ़ा लेकिन फिर भी घाटा दिखाया गया है और वह बहुत ही ज्यादा है।

इसके अलावा यह बराबर कर्जा भी ले रहे हैं, ट्रान्सफार्मर्स की और मीटर रीडिंग में बराबर चोरी हो रही है। वाराणसी, आगरा, फतेहगढ़, सुल्तानपुर, अलीगढ़, रायबरेली सब जगह अभी तक प्राइवेट बिजली कम्पनियां काम कर रही हैं और आज तक यह उनका राष्ट्रीयकरण नहीं कर सके। बनारस की मार्टिन बर्न कम्पनी को अभी तक यह अपने नियंत्रण में नहीं ले सके और इन तमाम कारणों से विद्युत् परिषद् जो 59–60 में कायम की गयी थी वह घाटे में जा रही है। आप आज 72–73 तक इन प्राइवेट कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने में असमर्थ रहे और उनको इन छोटे पूंजीपतियों के हाथ में दे रखा है। इस रिपोर्ट में इस बात का कोई विवरण नहीं है कि आगे आने वाले वर्षों में कब आप इन प्राइवेट बिजली कम्पनियों का टेक-ओवर करेंगे और अगर नहीं कर सकते हैं तो उसके कारण क्या हैं। परिषद् में हर तरह की चोरी, गबन, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है और हर प्रकार की अकुशलता को रोकने के लिये कोई कदम नहीं उठाये गये हैं। यद्यपि कुछ बड़े-बड़े इंजीनियरों को मोअत्तल किया गया और कुछ साहस दिखाया गया लेकिन आज भी 22.8 प्रतिशत बिजली की चोरी होती है हमारे प्रदेश में जब कि यह चोरी अन्य प्रदेशों में बहुत कम है। इस विवरण में कोई चर्चा इस बात की नहीं दी गई है कि इस चोरी को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं और उठाने वाले हैं।

प्रदेश में इस प्रकार की अकुशलता और अकर्मण्यता के कारण आज सुबह ही एक सवाल आया था कि अलीगढ़ के हरदुआगंज पावर स्टेशन में मशीन लगाई गई, उसके पुर्जे खराब हुये, उनको ठीक कराने के लिये हैदराबाद भेजा गया और वह 15 नवम्बर से अभी तक ठीक नहीं हो सका है। बिजली की कमी बता कर सारे सूबे में सप्लाई रोक दी गई। बताया गया है कि एक मास के भीतर बिजली की कमी की वजह से उत्पादन का 25 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसके फलस्वरूप 25 हजार कर्मचारियों की बैठकी हो चुकी है और 30–6–73 तक कितने कर्मचारी और बैठ जायेंगे और कितना घाटा उत्पादन की कमी से होगा इसका अन्दाजा आप लगा सकते हैं।

यह सफेद हाथी 59–60 में कुशलता बढ़ाने के लिये बांधे गये थे और यह समझा गया था कि खर्चा में एकनामी और किफायतशारी होगी लेकिन हालत यह है कि बिरला के साथ हुये नाजायज ऐक्ट को समाप्त करने की बात आज तक यह नहीं कर सका और बिजली के कारण जो हजारों मजदूर निकाले जा रहे हैं और जो यह जो दुकानें 6–7 बजे शाम से बन्द हो जाती हैं इसका कुप्रभाव उत्पादन पर और गरीब किसानों पर पड़ रहा ह, इसका असर आम किसान और मजदूर पर पड़ा है, किसान के खेत में आज पानी नहीं पहुंच रहा है, 24 घंटे में 13 घंटे भी पानी उसको नहीं मिलता। मैं चाहता हूं कि विद्युत् परिषद् की इस अकुशलता को देखकर सरकार कोई जांच आयोग बिठाये जो देखे कि उसमें जो भ्रष्टाचार, चोरी, गबन और कितना कर्ज सरकार ने दे रखा है इन सब चीजों की वह जांच करे। यह किसानों को बिजली न देकर और बिरला को

[श्री रामगोपाल सण्ड]

1.97 पैसे की दर पर देकर और हिन्डालको को 5· कुछ पैसे की दर पर देकर प्रदेश की हानि कर रहे हैं, इस तरह से आप प्रदेश को अगरीब बना रहे ह ।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

अधिष्ठाता महोदय, सदन में आंकड़े तो काफी तादाद में माननीय चौधरी साहब, संड जी और रामप्यारे जी ने रख दिये हैं, वह मेरे पास भी हैं लेकिन मैं उनको दोहराकर सदन का समय खराब करना नहीं चाहता, वक्त कम है। एक बात निश्चित तौर पर सही है कि बिजली बोर्ड को जो इस दौरान 50 करोड़ रुपय का घाटा हुआ है उसका एक मात्र कारण सिर्फ यह ह कि अफसरों की लापरवाही और उस बोर्ड के अन्दर इन्एफिशिएनशी। इसीलिए आज तक ऐसा कोई भी सौदा किसी भी कमर्शियल कन्सर्न में नहीं हुआ कि जिसमें वह कहे कि माल थोड़ा है, और डिमांड ज्यादा है लेकिन फिर भी नुकसान हो गया। यह असम्भव चीज है। हो नहीं सकती है।

जहां तक पौलिसी का सम्बन्ध है, बिजली का सम्बन्ध है, हर देश का विकास बिजली पर निर्भर करता है। अपना मुल्क आजाद हुआ, एक नीति बनायी गयी और सोचा गया कि देश का कल्याण उद्योगीकरण के द्वारा ही होगा। नतीजा क्या हुआ? हमन अभी तक 60 प्रतिशत बिजली इन्डस्ट्रीज को दे दी। वह देश जो कृषि प्रधान देश कहा जाता रहा, उसकी कृषि के विकास की ओर से हमने अपना मुंह मोड़ लिया और धारणा यह बना ली कि पूरे देश का विकास इन्डस्ट्री के द्वारा हो जायगा। उसका नतीजा भी क्या हुआ? जिनको आपने 60 प्रतिशत बिजली दी, उन्होंने यहां पर 2 काम किए। एक तो उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था करके पूरे देश की पूंजी के आधे भाग से ज्यादा को अपने हाथ में केवल 79 व्यक्तियों ने ले लिया। सारा प्रोत्साहन आपने पूंजीपति को दे दिया। उसने एक ओर से देश की पूंजी को इकट्ठा किया और दूसरी ओर उसके ही कारखानों में काम करने वाले मजदूरों का शोषण किया। तीसरे इस देश को दिया जाने वाला सेल्स टैक्स और इन्कम टैक्स की चोरी की। ये 3 काम उसने हमारे देश में किए।

दूसरी तरफ इस देश के अन्दर जो किसान अपने खेत में गल्ला पैदा कर सकते हैं, उनको साधन और बिजली न मिलने के कारण, देश को विदेशों से लाखों टनों की तादाद में इम्पोर्ट करना पड़ा। इस देश का किसान इन परिस्थितियों में क्या कर सकता है। जब देश में हमारे माननीय लाल बहादुर शास्त्री ने "जय जवान जय किसान" का नारा लगाया था तो किसानों को प्रोत्साहन मिला था। एक ओर तो किसान का बच्चा बोर्डर पर खड़ा देश की रक्षा कर रहा था और दूसरी ओर किसान का ही बच्चा खेत में गल्ला पैदा कर रहा था। जब उन्होंने सोचा कि हमें प्रोत्साहन मिल रहा है तो बावजूद इसके कि उसे 14 प्रतिशत बिजली मिल रही है, और उसके अधिकतर अपने आबपाशी के जरिए बिजली से नहीं चलते हैं, देश में पैदावार बढ़ायी और एक साल ऐसा आ गया कि देश को बाहर से गल्ला मंगाने की आवश्यकता न पड़ी। इस देश में 2 प्रकार के वर्ग हैं। एक किसान वर्ग है और एक उद्योग में लगा हुआ है। जो वर्ग उद्योग में लगा हुआ था उसने देश के साथ कुठाराघात किया और दूसरा वर्ग जो किसान है, गरीब है, तादाद में भी ज्यादा है, जिसको रियायत भी कोई नहीं दी, उसने अपने बच्चों को भी फ्रंट पर भेजा, खेत में भी अन्न पैदा किया और सारे देश को भी गल्ला खिलाया।

उद्योगों को भी कम करने से काम नहीं चलेगा, मैं मानता हूं। जो बड़े-बड़े उद्योग हैं, उनको बिजली मिलनी चाहिए। सवाल यह है कि अगर आप हिन्डाल्को को बिजली देने पर उतारू ही हैं तो बेशक दीजिए लेकिन क्या आप इस सुझाब को मान कर चलेंगे कि और जितने कारखाने हैं, जिनमें हैवी इन्डस्ट्रीज हैं, उनकी बिजली खत्म कर दी जाय? बहुत से लोग जूता बनाने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में लगे हुए हैं, जिनके कारण, यदि वे बन्द हो जाते हैं तो, लाखों मजदूर बेकार हो जाते हैं और जो कपड़ा बनाने में लगे हुए हैं, जिनमें कि लाखों की तादाद में अन्सारी भाई बेकार हो गये, बेरोजगारी बढ़ी है तो उस सनत की बिजली को काट दिया जाय और दे दिया जाय हिन्डालको को और हैवी इन्डस्ट्रीज को। लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब मुल्क को गर्व इस बात का है कि यह एग्रीकल्चरल कन्ट्री है, कृषि प्रधान देश है और इसके अन्दर कृषि को 14–15 फीसदी बिजली मिले और इन्डस्ट्री को साठ फीसदी मिले और बची खुची डोमेस्टिक यूज में जाय।

मेरी समझ में एक बात आती है। हमारी आवश्यकता है पहले अन्न। अन्न उगाने वाले तबके को बिजली देने के लिये कुर्बानी कर देनी चाहिये। कपड़ा बनाने वाले के इन्टरेस्ट से लेकिन यह नहीं है। इसी कारण जब हम इस बात को ध्यान में रखते हैं हम कन्ट्री का डेवलपमेंट चाहते हैं लेकिन कन्ट्री का डेवलपमेंट इस तरीके से नहीं होगा। वह इस तरीके पर होगा कि जो समाज का 84 फीसदी आदमी है उसको बिजली दें। उसको देने के लिये तो आप पाबन्दी लगाना चाहते हैं कि वह डिपाजिट में, कार्मशियल स्कीम में या नार्मल स्कीम में पैसा लगायेगा तो उसको बिजली देंगे लेकिन जो उद्योगपति हैं अगर वे बिजली लेना चाहते हैं तो सिर्फ एक बात देखी जाती है कि उसकी पहुंच कितनी है। अगर उसकी पहुंच अच्छी है तो न डिपाजिट, न कार्मशियल स्कीम और न ही नार्मल स्कीम की पाबन्दी रह जाती है। अगर किसी के पास सोर्स नहीं है तो चाहे चक्कर काटता रहे।

बिजली देने की पालिसी में आप को इस चीज को सोचना होगा। आखिर जब मुल्क आजाद हुआ तो उसके अन्दर हुकूमत करने वाले आई0 सी0 एस0 लोग थे और उनके जानिशां अब आई0 ए0 एस0 हो गये हैं। हम प्लानिंग के दौर पर जा रहे हैं। हम देश को ऊपर उठाना चाहते हैं। क्या आई0 सी0 एस0 के जानशीन आई0 ए0 एस0 इस देश को ऊपर उठायेंगे। इंजीनियर जिन्होंने शारदा प्राजेक्ट आदि बनाये हैं वे ही देश को ऊपर उठायेंगे। आई0 ए0 एस0 हुकूमत भले ही कर सकते हैं लेकिन देश के उद्धार के लिये कार-आमद इंजीनियर तबका ही है। इसलिये सोचना होगा कि क्या बिजली बोर्ड के अन्दर सारी शक्ति आई0 ए0 एस0 के हाथ में ही रहे क्या इंजीनियर्स उनके गुलाम बने रहें। इंजीनियर के पास अधिकार नहीं हैं कि वे मस्टर रोल्स में मजदूर लगा सकें उनके पास मोटर नहीं हैं। जब कि आई0 ए0 एस0 आफिसर्स को हर तरह की सुविधा मिली हुई है। फील्ड में ऐसी ऐसी जगहें हैं जहां इंजीनियर्स को खम्भा खुद उठा कर ले जाना पड़ता है उसको आई0 ए0 एस0 कंट्रोल करता है अगर आप चाहते हैं कि बिजली का विकास हो तो आपको इन सब बातों पर भी सोचना होगा।

*श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने विद्युत् परिषद् के वार्षिक विवरण 1971–72 पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का समय दिया। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश एक ऐसा सौभाग्यशाली प्रान्त है जिसके उत्तर में पूरा हिमालय है, गंगा-यमुना का मैदान है। इस हिमालय से आप की गंगा--यमुना, भागीरथी, अलखनन्दा, घाघरा चम्बल आदि सभी नदियां निकलती हैं। लेकिन यहां भी ऐसे लोगों के हाथ में शासन-सूत्र रहा कि जि होंने विद्युत् विकास के लिये ध्यान नहीं दिया। आज यहां इतनी नदियां होते हुए भी जो बिजली पैदा होती है वह थर्मल सिस्टम से अधिक होती है। तो इसका कारण क्या था। इन कारणों को मद्दे नजर रखते हुए यहां पर एक परिषद् बनाई गई और सोचा यह गया था कि इस परिषद् को काम देने से बिजली ज्यादा पैदा होगी। सरकार जो हानि उठा रही है उससे भी वह बच जायगी। लेकिन जो विवरण दिया गया है उसमें यदि देखें तो 59–60 में खाली 62 लाख का घाटा था और 69–70 में वह 6 करोड़ 86 लाख हो गया। इस तरह से एक तरफ तो राजस्व की हानि हुई और दूसरी तरफ इनकी उत्पादन क्षमता भी नहीं बढ़ी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री इन्द्र मणि]

जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, इतना समय तो नहीं है कि हरेक प्रोजेक्ट की बाबत कहा जाय, जिनको 69–70 या 70–71 में पूरे होने थे वे आज तक पूरे नहीं हुए चाहे रामगंगा प्रोजेक्ट हो या मनेरी प्रोजेक्ट हो। एक बात और है। हम परिषद् को यह दोष जरूर देते हैं कि इसने ठीक काम नहीं किया और यह घाटे पर है। लेकिन इसकी भी हालत बहुत खराब है। जब हम कहते हैं कि बिजली का गलत काम हो रहा है तो उस समय हमारे मंत्री जी अपने बचाव के लिए कहते हैं कि यह तो विद्युत् परिषद् का काम है लेकिन विद्युत् परिषद् में कोई भी काम बिना मंत्री जी की आज्ञा के नहीं होता। तो यह कैसा स्वायत्त शासन परिषद् का है, समझ में नहीं आता।

यह जो परिषद् बनायी गयी या निगम बनाये गये तो इनमें मंत्रियों का पूरा हाथ है। यह जो गलत काम करते हैं उनसे बचने के लिये इस तरह के निगम या परिषद् बना दिये गये हैं। मंत्री लोगों ने अपनी ताकत को कम नहीं किया है। मंत्री लोग डायरेक्ट या इंडायरेक्ट तरीके से इतना हस्तक्षेप करते हैं कि परिषद् वालों के लिए काम करना कठिन हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि इनकी उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ी तो इन्होंने स्वयं भी कई कारण दिये हैं कि क्यों हम घाटे पर रहे। उन कारणों की ओर भी आप देखें। जैसा कि अभी हमारे एक भाई ने कहा, इनके वितरण का तरीका भी उचित नहीं रहा।

घाटे का एक कारण इन्होंने यह बताया है कि परिषद् को अपनी आय में से पूंजीगत कार्यों पर जो प्रगति पर हैं और पिछले कुछ वर्षों में द्रुत विकास के कारण अप्रत्याशित रूप से बढ़ी भी है, का भी ब्याज भार का भुगतान करना पड़ा है। यह कहते हैं कि जो रुपया मिला उस पर ब्याज देते हैं। यह बिना ब्याज के काम करना चाहते हैं। अगर यह बिजली के प्रोजेक्ट्स को पूरा कर दिये होते तो इतना घाटा न होता। अगर आप इससे पहले के विवरणों को भी देखें तो उनमें भी यही लाइन लिखी हैं। जब यह स्वयं इस कमी को महसूस करते हैं तो इन्होंने उसको दूर करने की कोशिश क्यों नहीं की ?

दूसरा कारण घाटे का यह बतलाते हैं नवीन ग्रामांचलों एवं पर्वतीय योजनाओं का विद्युतीकरण आदि को हाथ में ले लेना। लेकिन आप देखें कि इन्होंने गांव वालों पर टयूबवेल आदि पर तो टैक्स बढ़ा दिया लेकिन हिंडालको पर नहीं बढ़ाया। तो आप स्वयं सोचिये कि यह भार गांव पर बढ़े और इन्डस्ट्रीज पर न बढ़े तो ठीक नहीं है। एक बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि पर्वतीय जन जीवन के बारे में गलत ख्याल इन लोगों का है। मैं बतला दूं कि मसूरी और देहरादून के बीच में अंग्रेजों द्वारा छोटे प्रोजेक्ट बने और उनसे करोड़ों रुपये पैदा हुये लेकिन अब यह कहते हैं कि यह ठीक नहीं है।

पर्वतीय क्षेत्र में कठिनाई के कारण ग्रिड बनाना कठिन है और यह विद्युत् की आवश्यकतायें इतनी कम हैं कि यहां पर होने वाला व्यय आर्थिक दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता है। जहां यह दृष्टिकोण हो वहां लघु उद्योग तरक्की नहीं कर सकते हैं। मेरा उत्तर प्रदेश विधान सभा के सभी सदस्यों से निवेदन है कि पर्वतीय जिलों में अगर जंगल कट गये तो उत्तर प्रदेश ही नहीं बंगाल तक बाढ़ से खतम हो जावेगा। तो इनको चाहिये था कि पर्वतीय जिलों में छोटी छोटी योजनायें चलाने के लिये सस्ते दर पर बिजली देते ताकि जंगल न कटें। यह जहां बिजली पैदा करते हैं वहां उसको न ले जाकर जहां सुविधा होती है वहां ले जाते हैं। यह बिजली गांव में नहीं ले जायेंगे कि लोगों को सुविधा हो। मेरा निवेदन है कि आपका आदेश हो कि पर्वतीय जिलों में बिजली ज्यादा से ज्यादा और सस्ते दर पर दी जाय। दूसरी बात यह है कि आज चाहे इन्डस्ट्री हो, चाहे खेती हो, कोई भी काम बिना बिजली के नहीं हो सकता है। बिजली उत्तर प्रदेश में इतनी पैदा हो सकती है कि हम इसे दूसरे प्रदेशों को भी दे सकते हैं। मेरे जिले में 8 बजे तक बिजली नहीं आती है। उसके बाद जब लोग सो जाते हैं तो बिजली आती है, तो इस परिस्थिति को ठीक किया जाय। बिजली अधिक से अधिक पैदा करन का प्रयास किया जाना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता

श्री महराम सिंह आप 5 मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)

अधिष्ठाता महोदय, विद्युत् के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि वर्तमान सरकार ने बिजली के लिये बड़ा प्रयास किया है और वह सराहनीय है। यह सही है कि विद्युत् की कमी है। आज के विज्ञान के युग में बिजली न होने से संकट उत्पन्न हो जाता है और शहर ही में नहीं देहात का भी जन जीवन वगैर इसके अस्त व्यस्त हो जाता है। इस कारण इसमें छोटी सी भी त्रुटि होने पर बड़ी मालूम होती है।

शरीर में कहीं भी कोई चोट लगती है तो भारी दर्द मालूम होता है; दीवार में लगती तो नहीं। विद्युत् की आवश्यकता जन-जीवन के लिये उसी प्रकार से है जैसे शरीर के लिये दवा की जरूरत हैं, भोजन की जरूरत है। इसलिये इसकी जरा सी कमी भारी कमी मानी जाती है। हमारे माननीय विद्युत मंत्री जी, तिवारी जी, कभी-कभी वार्ता होने पर इतने चिन्तित दिखाई देते हैं और अपनी योग्यता के द्वारा जितना सम्भव प्रयास है, करते हैं लेकिन उसके बावजूद जो त्रुटियां होती हैं,वह सरकारी मशीन से उन्हीं के कारण असावधानी होती है : हमें किसी की नियत पर शक नहीं। लेकिन कुछ ऐसे मसले है जिनसे मैं भी संतुष्ट नहीं हूं। माननीय मंत्री जी और सरकार के ध्यान को मैं अपने क्षेत्र सब-स्टेशन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो 1971 में मंजूर किया गया और यह आदेश विभाग को दिये गये कि इसका तुरन्त कार्य प्रारम्भ कर दिया जाय। इसका रुपया भी एलाट कर दिया गया। फर्रुखाबाद का राजेपुर क्षेत्र है। आप ताज्जुब करेंगे, आदेश के बावजूद और रुपये एलाट करने के बाद भी विभाग के अधिकारियों ने उसका कार्य प्रारम्भ नहीं कर पाया और यह बता नहीं सके कि उसमें क्या-क्या कठिनाइयां हैं और इतने दिन कार्य क्यों नहीं हो पाया। तो यह चूंकि शिकायत है और इस प्रकार की शिकायतों की जिम्मेदारी सारे उन अच्छे कार्य करने वाले मन्त्रियों और सरकार पर डाली जाती हैं, तो ये कैसे दूर हों। मैं मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार करें।

(इस समय 4 बजकर 3 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

कुछ दिन पहले एक कमेटी की बैठक में विचार हो रहा था तो मैंने अपने विचार दिये कि किसानों को रात में बिजली देने से और खास कर आलू की खेती करने वाले किसानों को, रात की सिंचाई में बड़ी दिक्कत होती है। यदि आलू में पानी अधिक लग जाय तो आलू खराब हो जाता है। किसानों को अंधेरे में, जब उंजाली रात भी न हो, तो सिंचाई करना कठिन होता है। अतः किसानों को दिन में और उद्योगों को रात्रि में बिजली देने की व्यवस्था की जाय। मुझे ताज्जुब हुआ और मैं हैरान रह गया यह सुनकर कि जब हमारे एक बड़े अधिकारी ने यह कहा कि खेतों में बड़े पावर के बल्ब लगा दिये जायें और उनसे देख कर सिंचाई की जाय तो क्या हर्ज होगा? मैं आज तक यह नहीं सोच पाया कि बावजूद इतनी प्रगति के अभी हम सारे गांवों में बिजली नहीं दे पाये हैं। जब किसानों को खेती में इस तरह से बड़े बल्ब की रोशनी दें देंगे तो हमारा हिन्दुस्तान अमरीका से आगे होगा।

मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की गैर-जानकारी के कारण इस प्रकार की असावधानी होती है। यदि कहीं ऐसा आदेश चला जाता और सरकार से सलाह न ली जाती तो मामूली आदमी इस आदेश की उपेक्षा करता और ताज्जुब मानता। वह आदेश सरकार का आदेश कहा जाता। मैं माननीय मंत्री जी और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि असावधानियों की जांच करायी जानी चाहिये और यदि इस प्रकार की असावधानियां अधि-

[श्री महराम सिंह]

कारियों की हो सकती है और उनको उसमें कम जानकारी है तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि जानकार लोगों के हाथ में वह काम दें और किसानों व उद्योगों को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके।

मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही करें यदि कहीं कोई काम स्वीकार कर दिया जाता है, तो उसको पूरा करने के भरसक प्रयास किये जाय। फर्रुखाबाद जिले का राजेपुर सब स्टेशन मंजूर हो गया और उसके लिए रुपया एलाट कर दिया गया परन्तु सन् 1971–73 तक काम शुरू नहीं हुआ। अगर यह उदासीनता और ढिलाई है तो सरकार को इस पर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। इन शब्दों के साथ में सरकार की नीति और सरकार के द्वारा प्रगति के उठाये गये कदमों की सराहना करता हूं।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य विद्युत परिषद् के सन् 1971–72 के आय-व्ययक पर अगर नजर डाली जाए तो दो विचार पत्थर की तरह मत्थे पर लगते है। नम्बर 1—जो संख्या 15 अगस्त, 1947 के पहले क्रान्तिकारी थी, आजादी की लड़ाई लड़ने वाली थी वह बदल कर उद्देश्यहीन, विलासी राजनीति, भ्रष्ट नौकरशाही और अनस्क्रुपलस पूंजीपतियों के गठबन्धन की पार्टी हो गयी है—उनकी ही रक्षक बन गयी है। दूसरी बात यह है कि मौजूदा विद्युत परिषद् की जो शक्ल है और उसकी जो गतिविधि है उसको देखते हुए न तो कुशलता, मितव्ययता और बिजली की पैदावार हो सकती है और न तो पूर्ति और वितरण ही किया जा सकता है। ये दो चीजें साफ-साफ नजर आतीं है। मान्यवर, मिसाल के लिए विकास भी देखा जाए। यह जो आपने आय व्ययक प्रस्तुत किया है उसको देखने से ऐसा लगता है कि परिषद की ऋण व्यवस्था बराबर बढ़ती जा रही है—साल व साल बराबर बढ़ती जा रही है। यह बताया गया है कि इस वक्त विकास के बहुत से कार्य उन्होंने हाथ में ले रखे है जिनके लिए कर्ज लेना पड़ता है और ऋण की अदायगी करनी पड़ती है।

अभी प्रतिनिहित विधायन समिति के चेयरमैन ने रिपोर्ट पेश की। उसमें बताया गया कि बड़े पूंजीपतियों को सस्ते दर पर बिजली देनी पड़ती है और इसलिए घाटा होता है। आप अगर छानबीन करें तो इस नतीजे पर पहुंचते है कि आखिर यह सौदा किस-किस ने किया है? एक सौदा हुआ था 1959 में और दूसरा हुआ है 1963 में। हिन्डालको का रेट कान्ट्रक्ट है 1.9 पैसे प्रति यूनिट। मान्यवर, एक दूसरा कारखाना है कनोरिया केमिकल्स का। उसके रेट को देखा जाए। जो हिसाब पेश किया गया है उसमें कास्ट आफ प्रोडक्शन 2.49 पैसे प्रति यूनिट है। इसमें 1 प्रतिशत नफा भी शामिल था। इसको आधार मान कर गवर्नमेंट ने 2.5 पैसे प्रति यूनिट का उनको रेट दे दिया और यह रेट कान्ट्रेक्ट तय हो गया। लेकिन सचमुच कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जो वास्तविक रेट आता है वह है 4.63 पैसे प्रति यूनिट। जब रेट 4.63 पैसे प्रति यूनिट था तो उसको 2.49 पैसे प्रति यूनिट किन अफसरों ने बताया। अगर इस चीज को अच्छी तरह से इस वक्त भी पकड़ लें और जो भी बड़े आदमी हों उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकें तो शायद आगे मामला सुधर जाए, मगर मैं समझता हूं यह कार्यवाही आप करेंगे नहीं। इतना जबरदस्त धोखा है। गवर्नमेंट को बिल्कुल डार्क में रखा गया है।

यह चीज इस वक्त आपके सामने आ रही है और यह मामला सदन की कमेटी की रिपोर्ट के रूप में आ रहा है। फिर आपका ध्यान उस तरफ क्यों नहीं जाता है? अगर वे अधिकारी अब भी मौजूद हों चाहें जिस पद पर हों तो उनको पकड़ा जाना चाहिए और उनके खिलाफ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। और इससे एक अन्दाजा मैं और निकालता हूं। इनको मालूम है, उस रपट में नहीं है कि जब बिरला के हिंडालको के साथ आपने कंट्रक्ट किया है उस वक्त जो रेट गवर्नमेंट के प्रोडक्शन का रखा गया होगा उसमें भी भारी कमी रही होगी तभी 1.9 पैसे बिजली की दर का कंट्रेक्ट बन गया। जैसा कि बाद में पता चला कि वास्तविकता कुछ और थी, वैसे ही मुझे यकीन है कि वास्तविकता कुछ और रही होगी और फिरउन्हों ने बताया है कि किस तरह से हर साल बराबर नुक्सान गवर्नमेंट को और विद्युत् परिषद् को बढ़ता चला जा रहा है। बराबर नुक्सान हो रहा है और यहां बताया है कि अगर कंट्रक्ट की अवधि पूरी की जायगी तो एक अरब रुपये का घाटा हो जायगा। यह खाली एक उद्योगपति को खुश करने के लिए या रिआयत देने के लिए किया गया।

आप कह सकते हैं कि यहां पर इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने के लिए, उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया, लेकिन उसमें भी तो विचार किया जाता। मान लीजिये कोई प्राइवेट कंसर्न होता तो क्या वह इस तरह का सौदा करता ? कोई भी बिला कास्ट आफ प्रोडक्शन नहीं कर सकता। आपकी भी नीयत नहीं है, क्योंकि इन लोगों के अलावा जितने भी उद्योग हैं खासकर छोटे छोटे लघु उद्योग और कृषि के लिए जो बिजली खर्च होती हैं जो सचमुच आपकी उदारता के मुस्तहक थे उनके साथ आपने उदारता नहीं दिखाई और जो लोग अफोर्ड कर सकते थे जिस व्यक्ति की इजारेदारी दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है और जिसके बारे में आपके कांस्टीट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लेड डाउन है कि शक्ति को, धन को एक जगह केन्द्रित होने से रोका जायगा तो उसको रोका जा सकता था। आपके ऊपर लाजिम था, कानून के जरिये से रोक सकते लेकिन ऐसा न करके इजारेदारी को और मजबूत किया और उसके हित साधन की साधना की।

इस समय प्रतिनिहित विधायन समिति ने सुझाव किया है कि माननीय सदन सक्षम है कि कोई दूसरा फ्रेश लेजिस्लेशन करके उस कंट्रेक्ट को रद्द कर सकता है। अगर इस पर ध्यान चला जाय तो प्रदेश का भला हो सकता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि वर्ष 69–70 के घाटे की जो तस्वीर परिषद् का आय-व्ययक होती है वह 6,86 लाख रुपये की है उसी साल अकेले कनौरिया केमिकल्स और हिंडालको से जो घाटा आता है वह है 3,32 लाख। तो जितना कुल घाटा परिषद् को हो रहा है उसका आधा घाटा बिरला के साथ जो आपने काट्रेक्ट किया है--कनौरिया केमिकल्स और हिंडालको का--उसके कारण आता है। जब आपके सामने यह उपाय आ गया है तो आपसे अपेक्षा करता है यह सदन कि यह जो सुझाव रखे गये हैं, उनको अर्जित कर लीजिये या तत्काल लेजिस्लशन बना करके उसका अनुपालन ऐग्जक्यूशन आप रोक दीजिये। यह दो सुझाव आपके सामने हैं, दो रास्ते हैं और में चाहूंगा जब आप बोलेंगे तो इन पर अपना निश्चित रूप से उत्तर देने की कृपा करेंगे कि आप इसके लिये तैयार हैं या नहीं ? अगर यह उत्तर आपका आता हैं "हां" में या "ना" में तो असली शक्ल आपकी मालूम हो सकेगी, वरना यह समाजवाद का नारा आपका बेमतलब हो जाता है और सदन को पता चल जायगा कि आपका असली ध्येय क्या है। यह आपकी परख होने जा रहा है। इसलिए "हां" "ना" में जवाब चाहूंगा।

दूसरी चीज, जहां तक बिजली पैदा करने का सवाल है, उसको अगर देखें तो खुद कुछ दस पहले जो एक रपट आपने यहां पर दी थी उसके मुताबिक जो पंच वर्षीय योजना चल रही है, इसमें आपने 2,800 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा था और उसमें यह भी कहा गया था कि जब चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई और तीसरी खत्म हुई तो 1,310 मेगावाट से आपने आरम्भ किया और 2,800 तक लक्ष्य था। लेकिन फिर, आपको मैं दोहराना चाहता हूं कि राज्य का दीवालियापन आड़े आ गया और जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसमें कमी करनी पड़ी जो कि 525 करोड़ का एस्टीमेट था वह सवा सौ या डेढ़ सौ करोड़ की थी। नतीजा यह हुआ कि 2800 मेगावाट को घटा कर आप 2100 पर आ गये।

[श्री अनन्त राम जायसवाल]

पहले 2,480 पर आये और अब यह कहा जा रहा है कि 2100 मेगावाट बिजली बना सकेंगे। इसमें जो बेईमानी और चोरी हो रही है उसकी फिर सफाई करने में ये इतने बड़े पास्ट मास्टर हो गये हैं कि दुनियां में कोई दूसरा इनका सानी नहीं है। आपने कह दिया कि चूंकि थर्मल और हाइडिल, दोनों का कोआर्डिनेट सिस्टम चलता है इसलिये जितनी बिजली पैदा होती है उसका केवल 70 प्रतिशत हमारे कन्जम्शन के लिये काम आता है और बाकी सब वेस्ट हो जाता है। इस तरह की फिलासफी आप की सभी दस्तावेजों में मिल जाती है और जितनी चोरी और बेईमानी है उस पर सब पर पर्दा डाल देते हैं। पैदा करेंगे 21 सौ मेगावाट और मिलेगी केवल 17 सौ मेगावाट। तो जितने से हमने शुरू किया था 1310 से, उसी के आस-पास आज भी हम हैं, जरा भी प्रोडक्शन की तरफ आगे बढ़े नहीं हैं। तो जिस प्रयोजन के लिये इस बोर्ड का जन्म हुआ था वह प्रयोजन ही पूरा नहीं हो रहा है। फिर इसकी उपयोगिता क्या रह गयी? इसको क्यों न भंग कर दिया जाय।

दूसरे, इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हालत क्या है? रोज कोई न कोई झगड़ा वहां पर खड़ा होता है। अभी सबार्डिनेट सर्विसेज के लोगों की स्ट्राइक हुई। उसमें आपका करीब करीब सारा काम ठप्प हो गया था जिसकी वजह से बिजली की पैदावार में काफी नुक्सान उठाना पड़ा। यह हकीकत है लेकिन आपने अपनी पिछली रिपोर्ट में यह नहीं बताया। इस वक्त भी जो इंजीनियर हैं, उनकी तादाद जो भी हो, वह सब के सब आन्दोलन के रास्ते पर जा रहे हैं। वे अपने असन्तोष का कारण क्या बताते हैं? वे कहते हैं कि हम एक्सपर्ट हैं अपने विषय के और हमारे ऊपर इस तरह के बोर्ड के कायदे कानून लागू नहीं किये जा सकते। मान लीजिये कहीं किसी कारखाने में एक पुर्जा टूट गया। उसको तुरन्त बदलने की आवश्यकता होती है। लेकिन आप की जो लिखा पढ़ी चलती है उसके कारण समय पर उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। नतीजा यह होता है कि कारखाना ठप्प हो जाता है। उनका कहना है कि हमारे ऊपर आई० ए० एस० अफसरों को बिठा दिया गया। उनका कहना है कि दुनियां के दूसरे देशों में जो प्राविधिक काम करने वाले लोग हैं उनको दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा तनख्वाह मिलती है, उनके ज्यादा अख्तियार होते हैं, लेकिन यहां पर आपने हर जगह आई० ए० एस० लोगों को बिठा दिया। इसको ये कह देंगे ज्वाइंट सेक्टर। अगर डेमोक्रेसी का कोई मतलब होता है तो इस तरह के कारपोरेशन वगैरह बनाने का मतलब होता है वन स्टेप बैकवर्ड।

आपने इस असेम्बली की शक्ति को भी क्षीण किया है। मैंने एक सवाल किया था कि क्या यह सही है कि तांबे के तार जो बेंचे गये उनका कोई टेन्डर इन्वाइट किये बगैरह एक उद्योगपति को उन्हें दे दिया गया? पहले वह तार लघु उद्योग को देनेवाले थे और दिल्ली के किसी व्यापारी को वह तार बेंचा गया। जिस आदमी ने उसे खरीदा उसने उसे उठाया तक नहीं, दूसरे आदमियों को एक करोड़ का फायदा ले कर उसने बेंच दिया। इस तरह के काम आप के यहां हो रहे हैं।

इसको कौन देखेगा? सात आदमियों का जो यह बोर्ड बना है इसमें एक तो चेयरमैन साहब हैं। वह भी आई० ए० एस० हैं। एक ला सेक्रेटरी हैं। उनको जज कह लीजिये, जुडिशियरी साइड के। एक फाइनेन्स सेक्रेटरी हैं, वह भी आई० ए० एस० अफसर हैं। जो इसके मेम्बर और वित्त सचिव हैं ये भी आई० ए० एस० हैं। केवल एक इंजीनियर है। तो, तो यह हालत है इस बोर्ड की। कोई भी सवाल यहां पर कर नहीं सकते, कह दिया जाता है कि वह स्वायत्त संस्था है। इन कारपोरेशन्स से प्रदेश के चुने हुये लोगों की यह संस्था बराबर क्षीण होती चली जा रही है। वहां मनमाना काम हो रहा है। किसी का काम में कोई जी नहीं लग रहा है।

आज ही सबेरे प्रश्न किया गया था कि विद्युत् विभाग ने वातानुकूलित कार किस लिये खरीदी? माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जवाब दिया कि हमने अपने लिये खरीदी। इस

तरह का उत्तर देकर वे इस विधान सभा के सदस्यों को भले ही चुप कर दें । मगर मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह से प्रदेश का विकास कैसे आप कर पायेंगे ? आप विद्युत् भवन में चले जाइये तो ऐसा प्रतीत होगा उसे देख कर जैसे कि यह हिन्दुस्तान जैसे गरीब देश का दफ्तर है ही नहीं । वहां आप को बढ़िया बढ़िया कालीन व फर्नीचर मिलेगा जो जगह जगह बिछा हुआ है । मैं पूछना चाहता हूं कि यह सब फिजूल खर्ची की क्या जरूरत है ? पहले पी० डब्लू० डी० और सिंचाई विभाग ही बदनाम थ, अब इस विभाग ने उन सब को मात दे दी है । जो भी खरीद फरोख्त होती है उसमें नीचे एक इंजीनियर से लेकर आप के स्तर तक के लोग उसमें शामिल होते हैं ।

मैं पूछना चाहता हूं कि आपका ध्यान बिजली की पैदावार बढ़ाने की तरफ है कहां ? क्या रोस्टरिंग करके आप बिजली की कमी को पूरा कर पायेंगे ? मैं देहात और शहरों का झगड़ा खड़ा नहीं करना चाहता, मगर आज ही एक सवाल के उत्तर में आपने बताया कि उद्योगों को मिलने वाली बिजली में कमी नहीं की जायेगी । किसानों के लिये आपने कोई एलान नहीं किया । अब भी पंजाब सरकार ने अक्टूबर के महीने में अपने कैबीनेट में निर्णय लिया था कि किसानों को पम्पिग सेटों के लिये जो बिजली दी जाती है उसमें कोई कटौती नहीं की जायेगी। आपने अपने किसानों के लिये कोई निर्णय नहीं लिया । आप नारा अवश्य किसानों की हमदर्दी का लगाते हैं, पर करते कुछ नहीं । बिजली की कमी अगर रहेगी तो किसान और शहर वालों को, उद्योग वालों को सभी को सफर करना पड़ेगा । इसलिये आप इसके प्रोडक्शन की तरफ ध्यान दीजिये ।

बिड़ला जी के साथ जो समझौता हुआ उसमें एक यह शर्त थी कि अगर बिजली कम पैदा होगी तो उनको कम खर्च करना पड़ेगी, मगर पिछली बार जब सूखा पड़ा और बिजली कम पैदा हुई तो आपने उनको केवल इतना ही लिख दिया कि बिजली कम खर्च कीजिये उन्होंने इस वर्ष अन्य वर्षों के मुकाबले अधिक बिजली खर्च की, बजाय कम खर्च करने के । तो केवल हिदायत देने से काम नहीं चलता । आपको तो निश्चित तौर पर कटौती करनी चाहिये थी । मगर वह आपने नहीं की । परिषद् के अधिकारियों ने केवल इतना ही कह दिया कि बिजली कम खर्च कीजिये । इसे क्या लाभ है ? आपने नियन्त्रण क्यों नहीं रखा ? बिजली की कटौती क्यों नहीं की जब बिजली कम पैदा हुई ? उन्हीं के ऊपर आपने क्यों छोड़ दिया ?

अभी, माननीय, हमारे मन्त्री जी मिलने के लिये केन्द्रीय मंत्री श्री के० एल० राव के पास गये । मुझको सुनने में आया कि यह पनकी और ओबरा का एक्सटेंशन करना चाहते हैं । तो इस पर उनका जवाब मिला आपको तो हमने अरबों रुपया विकास के लिये दिया है, उसको आप खर्च नहीं कर पाये तो अतिरिक्त हम आपको कसे दें । तो लौटकर उसी की झोंक में आ कर उन्होंने औरैया में 400 मेगावट का उद्घाटन किया है । आप वहां कह आए थे कि जनवरी में हम उदघाटन नहीं कर देंगे तो रिजाइन कर देंगे । दबाव डालकर आपने उसका उदघाटन दिया है उसकी कोई तैयारी वहां नहीं थी यह ग्रिड-लाइन बना रहे हैं, जिससे ओबरा की बिजली यहां आ सके । मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह के नाटक से लाभ क्या ? आपको इससे शिक्षा लेनी चाहिये । मैंने जैसा कहा है वह बिलकुल सच है पूंजीवादियों और अफसरशाहों का एक नापाक गठबन्धन है । यदि नहीं है तो जो चीजें हमने उठाई हैं उनका जवाब दीजिये । इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो उद्देश्य था वह पूरा नहीं हुआ है उसके रहते हुए विधान सभा की शक्ति क्षीण हुई है, उसका दखल उसकी पहुंच वहां कम हुई है । आप उसको पुनः पहले की ही तरह रखिये । नित्य प्रति की बाटों को जैसे हम पहले उठा सकते थे, वही व्यवस्था फिर होनी चाहिये । वहां बड़ा गोलमाल बड़ा गड़बड़ घोटला होता

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

है, कोई देखने वाला नहीं है कभी-कभी ही लीकेज खुल जाता है, उसे हम जब उठाते हैं तो हमारे पास लिखकर आ जाता है कि यह स्वायत्तशासी संस्था है, इसलिये ऐसा नहीं हो सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष---

ऐक्ट में तो यह लिखा है कि जो उसकी आलोचनायें होंगी, उन पर यह विचार करेगी ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मेरी मजबूरी है कि हम जो सवाल देते हैं.....

श्री उपाध्यक्ष---

वह तो ठीक ही है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

फिर यह मौका तो बजट के समय साल में केवल एक बार अयेगा, 10 मिनट का समय मिलेगा और वह इतनी जल्दी गुजरता है.....

श्री उपाध्यक्ष---

दो बार बजट आता है, एक बार पूरा और एक बार अनुपूरक ।

(मंत्री जी का नाम पुकारने पर)

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)--

हमें भी इस पर समय चाहिये, आप इस पर समय बढ़ा दीजिये। पहले जो पीठासीन थे उन्होंने कहा था कि सबको समय मिलेगा, मुझे भी देने को कहा था।

(व्यवधान)

श्री राजितराम पान्डेय (जिला इलाहाबाद)---

आप किसानों को दिन में बिजली दीजिये। और उद्योगों को रात्रि में जाने कितने काश्तकार तेज ठंड के कारण रात में मर गये हैं जो खाद उन्होंने डाली थी, पानी की वजह से वह सारी फसल समाप्त हो गई है। मुख्य मंत्री जी इलाहाबाद गये थे।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल--

तो मान्यवर, जब साल में यह मौका आया है, तो मैं मन्त्री जी से निश्चित रूप से कहूंगा कि आखिर क्या वजह है, इस पर प्रकाश डालेंगे कि विद्युत् जनन जहां का तहां क्यों रुका हुआ है दूसरा यह है कि आई० ए० एस० और नान आई० ए० एस० का द्वन्द चल रहा है। इसको रोकने के लिये क्या करने जा रहे हैं। अगर यह नहीं रुकेगा तो बिजली का और संकट पैदा होगा। तीसरे, जो कुछ पैसा जाना चाहिए, प्रोडक्शन में, उसकी जगह पर फिजूलखर्ची और विलासिटी में क्यों जा रहा है ?

(व्यवधान)

भाभा अटामिक सेंटर बम्बई के अन्दर है। वहां के बागों और सड़कों को सजाने पर जितना पैसा खर्च हो रहा है। उसका पता देखने से लगता है जैसे इन लोगों को दर्द नहीं रह गया है, यह विलासिटी, फिजूलखर्ची, चोरी इसको कैसे रोकेंगे ? बिजली का जो संकट उपस्थित हो गया है यह 1974 तक क्या अगले दस सालों तक शायद दूर न हो सके। या तो आप चले जायं या बोर्ड चला जाय इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है।

श्री शिवकुमार पांडेय--

इतना समय तो आपने इन्हीं को दे दिया दोबारा। हमको भी समय दे दीजिये। मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि दो बात सुन लें। बिजली की वजह से हम लोगों को मार कर निकाल दिया जायगा। सुधार कर सकें न कर सकें खाद्य चौपट हो जाय, लेकिन बात तो सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--

यह सारे प्रश्न आप अपने दल की मीटिंग में उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रभान शर्मा--

पांडेय जी इधर आ जाइये।

श्री बांकेलाल--

इनके नेता बोलने के लिये खड़े हुये हैं तो इनको बोलने की जरूरत क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप कहते हैं कि समय बढ़ा दीजिये। अगर आप बोलेंगे, पांच बजे के बाद समाचार-पत्र के बंधु चले जायंगे। तब आप कहेंगे क्यों चले गये। इस लिये पांच बजे तक सीमित रखिये।

श्री शिव कुमार पांडेय--

आपने एक सदस्य को दोबारा मौका दिया दूसरे सदस्य को नहीं मौका दिया। यहां पर एतराज है। आप के पीठासीन अधिकारी ने तय कर दिया था कि पांच पांच मिनट सब बोलेंगे।

श्री बांकेलाल--

उस दल के किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। जब वह लोग हाथ ही उठाना जानते हैं तो बोलने से क्या फायदा ? उनको समय मत दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

आप के मंत्री जी खड़े हो गये। आप को उनको देखना चाहिये। या तो वह बैठ जायं, समय बढ़ाने का प्रस्ताव कर दें। लेकिन सदन की मर्यादा यह है। आपको मुझसे कहने की आवश्यता नहीं है।

*वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)--

श्रीमन्, मैं उन सब माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने इस 1971–72 के राज्य विद्युत् परिषद् के वार्षिक वित्तीय विवरण पर अपने विचार व्यक्त किये। मैं इस बात को प्रारम्भ में स्वीकार करता हूं कि बिजली की कमी से जो प्रदेश में पीड़ा है चाहे वह श्रमिक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

वर्ग में हो या किसान वर्ग में हो। और जो सम्मानित सदस्यों को अपने क्षेत्रों में के दौरों के अवसर पर सुनना पड़ता है उस का भी मुझे मार्मिक कष्ट है। मैं तो सदन से इस अवसर पर केवल यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि कृपया इस बिजली के संकट को कुछ सद्भावना और सहानुभूति से और कृपापूर्वक सहयोग की भावना से भी विचार करें।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

सद्भावना कैसे हो सकती है आप की विफलता पर ? उसके लिए चाबुक की जरूरत पड़ती है, और वह सद्भावना चाहते हैं।

श्री बांकेलाल--

सद्भावना से उनकी गलतियों को पूरा नहीं किया जा सकता है। एतराज करना पड़ेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि प्रदेश में आज जितनी बिजली की आवश्यकता है उतनी वह पैदा नहीं हो रही है। कुछ दिन हुए मैंने विस्तार के साथ इस पर प्रकाश डालने की चेष्टा की थी और एक विवरण पत्र सम्मानित सदन के सम्मुख उपस्थित किया था जिसमें बिजली के विकास का इतिहास तथा आज की समस्याओं के जन्म पर प्रकश डाला गया था। आज हम एक वर्ष 1971-72 से विवरण पत्र पर विचार कर रहे हैं। आज चौधरी साहब का भाषण सब से अधिक प्रसांगिक तथा तथ्यपूर्ण रहा जिसके लिये मैं उन को बधाई देता हूं। उन्होंने विद्युत् परिषद् के घाटे की बात कही और वह अवश्य घाटे पर है और यह घाटा कुछ वर्षों में बढ़ता रहा है और उस घाटे के कारण भी इस विवरण-पत्र में लिखी हुई है। मैं विनम्रता पूर्वक यह कहूंगा कि आगे आने वाले वर्षों में कोई भी सरकार आये विद्युत् में जो बड़ी धनराशि लगाने की जरूरत है उस को देखते हुये यह घाटा बना रहेगा। आज 25, 50 तो क्या 100 मेगावाट के स्टेशन भी पीछे पड़ गये हैं। आज तो 5 हजार मेगावाट के स्टेशनों की जरूरत है। अब 200 मेगावाट का सिंगिल यूनिट हो इसका काम ओबरा में कुछ महीनों में शुरू हो जायगा।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)--

इस घाटे को जब सरकार स्वीकार कर रही है तो क्या इसके लिये जुडीशियल इंक्वायरी बिठाने को वह तैयार हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मैं निवेदन करूं कि 785 करोड़ रुपये की आवश्यकता हर गांव तक बिजली पहुंचाने में पड़ेगी। इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के लिये विद्युत् परिषद् को कर्ज लेना होगा। विरोधी पक्ष के कुछ सदस्य मुझसे अधिक समय तक सरकार में रहे हैं और उनको इस बात का पूरा अनुभव है कि विद्युत् परिषद् एक कार्मशियल इकाई है और इसीलिये उसको अलग किया गया था ताकि कार्मशियल बेसिस पर यह चल सके और बैंक से, एल० आई० सी० से, वर्ल्ड बैंक से ऋण ले सके। उस ऋण पर हम को क्या ब्याज देना होगा। बैंकों में जनता का रुपया जमा है और उस पर हम ब्याज न दें यह नहीं हो सकता। बहुत से राज्यों में ब्याज की दर 11 परसेंट तक है और उनका कहना है कि किसी भी भाव पर बिजली उपलब्ध की जाय। अगर हमारा राज्य सावधान नहीं रहा और बिजली देने में पिछड़ता गया और बिजली के विकास तथा इंवेस्टमेंट में पीछे रहा तो खेती तथा उद्योग में हम बहुत पीछे रह जायंगे। हमें किसान को सब्सिडी देनी है।

मान्यवर, हमें किसान को आज सब्सिडी देनी होगी। मान्यवर, इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारी नारमल योजनायें हैं उनके अन्तर्गत 10 हार्स पावर की 6 फर्लांग के हिसाब से मुफ्त लाइन दी जाय। पिछले वर्षों में 11 करोड़ रुपये की लागत से मुफ्त लाइन देनी पड़ी। श्रीमन्, किसी दूसरे प्रदेश में इतनी सब्सिडी नहीं दी गई और इस प्रदेश में हमको यह सब्सिडी देगी पड़ेगी क्योंकि हमारा पिछड़ा हुआ प्रदेश है, गरीब लोग हैं। तो इसकी पालिसी गवर्नमेंट ने तय की जिसमें कि दूसरी सरकारों का भी सहयोग रहेगा। इस प्रकार लगभग 11 करोड़ का घाटा विद्युत परिषद् को पिछले वर्षों में हुआ।

श्रीमन्, उद्योग धन्धों की बात कही गई। एक तरफ प्रदेशों में कम्पटीशन हो रहा है कि कौन प्रदेश अपने यहां ज्यादा सुविधायें दे ताकि प्राइवेट सेक्टर ही नहीं बल्कि पब्लिक सेक्टर के उद्योग धंधे भी वहां हों। दिल्ली में हमसे यह बात कहीं जाती है कि उत्तर प्रदेश इसलिये पिछड़ा है क्योंकि वह कम कन्सेशन दे रहा है। दूसरे प्रदेशों की सरकारों ने भूमि अध्याप्ति से लेकर सेल्स-टैक्स तक की छूट पांच-चार साल के उद्योग धंधे लगाने की दी है। उत्तर प्रदेश की नीति तो पहले से ही ऐसी रही है। अन्य सरकारों ने भी इस चीज को स्वीकार किया है कि हम भी छूट देंगे। तो हम आज एग्रीमेंट में बंधे हुये हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया हिन्डालको और कन्होरिया का एग्रीमेंट जो है उस पर हम विचार कर रहे हैं और उस पर कानूनी सलाह ली गई है कि इसको समाप्त किया जाय या नहीं। इस पर हमारा पत्र-व्यवहार हो रहा है।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

यह बात तो आप बहुत पहले से कहते चले आये हैं कि विचार कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई विचार हुआ या नहीं?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

प्रतिनिहित विधायन समिति ने तो इसके बारे में कांक्रीट सजेसन दिया है उस पर अपने विचार व्यक्त करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं अपने सम्मानित सदस्य का बड़ा आदर करता हूं। मैंने उनकी बात ध्यान से सुनी इसलिये कृपा करके वे मुझे भी सुन लें। मैं उनकी प्रत्येक बात का उत्तर दूंगा। मैं यह निवेदन कर रहा था कि कन्होरिया केमिकल्स की रिपोर्ट आई है उस पर विचार कर लिया जायेगा। हिन्डालको के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट आई है उसके एग्रीमेंट और रिवीजन के बारे में हम कानूनी सलाह ले रहे हैं। हमने उनके साथ कोई ऐग्रीमेंट इस तरह का नहीं किया है।

श्री बांकेलाल—

मान्यवर, जो प्रश्न किया जाता है उसका उचित उत्तर नहीं दिया जाता है। भाषण करने से कोई लाभ नहीं है। हिन्डालको की बिजली क्यों नहीं काटी गई। दो करोड़ रुपया जो इधर-उधर हुआ उसके बारे में आप बतायें कि आपने क्या कार्यवाही की?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उसके लिये डिसकनेक्शन आर्डर गया। मैंने पहले भी इस सदन में यह बात कही थी कि यह मामला हाई कोर्ट में गया और उसने रोक रखा है।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

आप हाईकोर्ट में क्या पैरवी कर रहे हैं।

श्री बांके लाल—

आप क्या पैरवी कर रहे हैं। आज 4 साल हो गये और बिड़ला से 2 करोड़ रुपया आप वसूल नहीं कर पाये हैं जबकि उसके लिये आम जनता को तबाह कर देते हैं।

[श्री नारायणदत्त तिवारी—]

माननीय सदस्य, इलाहाबाद ने जो बात कही कि 5.3 पैसा प्रति यूनिट की दर से हिन्डालको को बिजली देने का सरकार ने फिर एग्रीमेन्ट कर लिया है, यह बिल्कुल सत्य से परे बात है। हिन्डालको से हमने कोई एग्रीमेन्ट नहीं किया है। जैसा कि मैंने सदन में पहले भी प्रश्नोत्तर के बारे में कह चुका हूं कि इसके एक्सपेन्शान के लिये लाइसेन्स भारत सरकार से उनको मिल चुका था, अल्युमिनियम की देश को आवश्यकता है, डिफेंस के लिये आवश्यकता है और अल्युमिनियम के उत्पादन के लिये बिजली की आवश्यकता है, इसलिये भारत सरकार ने उनको लाइसेन्स दिया। उस लाइसेन्स के आधार पर उनको यह भी अधिकार दिया कि वे अपना बिजली घर भी लगा लें और रेणुकूट या रेणुसागर में उसकी क्षमता बढ़ाने की उनको इजाजत दे दी।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह कोई नयी बात नहीं है। आपने उनको बिजलीघर लगाने की इजाजत दे दी लेकिन जब आप इतनी सस्ती दर पर उनको बिजली दे रहे हैं तो वे बेवकूफ हैं जो अपना बिजलीघर लगायेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैंने निवेदन किया कि भारत सरकार ने एक्पेंशन का लाइसेन्स उनको दिया और रेणु-सागर में जो उनका बिजली घर है उसकी क्षमता बढ़ाने की भी इजाजत दे दी। इसके लिये उन्होंने यूगोस्लाविया को आर्डर भी दे रखा है नये बिजलीघर के लिये मशीनों वगैरह के लिये। दो चार साल में वे आने वाली हैं। एक्सपेंशन का आर्डर हो चुका है, मशीनें वगैरह लगा रखी हैं और अब हमसे कहा जा रहा है कि चूंकि मशीनें लग चुकी हैं, देश को अल्युमिनियम की जरूरत है, उसके लिये बिजली दें। हम उनसे और भारत सरकार से कह चुके हैं कि हम तब तक बिजली नहीं दे सकते जब तक कि सूखा है। जुलाई में बरसात होने के बाद हम आपको बिजली देंगे। जबकि आप कास्ट आफ जेनरेशन के आधार पर बिजली लें और ओबरा से लें। उन्होंने कहा है कि हम कास्ट आफ जेनरेशन के आधार पर बिजली नहीं लेंगे क्योंकि अल्युमिनियम की कीमत भारत सरकार तय करती है इसलिये हम बढ़े हुए रेट पर बिजली नहीं ले सकते।

भारत सरकार एक अल्युमिनियम टैरिफ कमीशन बनाने वाली है। हमने कोई एग्रीमेन्ट नहीं किया है। आजकल तो मजदूरों की छटनी भी हो गयी है। हमारे पास सैकड़ों, हजारों मजदूरों के छटनी होने की सूचना आयी है और कहा जा रहा है कि आप क्यों बिजली नहीं देते हैं। एक तरफ तो सवाल है कि अल्युमिनियम फैक्टरी के एक्सपेंशन का लाइसेन्स मिल गया, मशीनें लग चुकी और सस्ते रेट पर बिजली नहीं देते हैं और दूसरी तरफ से यह कहा जाता है कि उनको कंसेशनल रेट पर बिजली दें। कंसेशनल रेट पर बिजली देने की कोई बात तय नहीं हुई है और न हमारा उनसे कोई एसा ऐग्रीमेन्ट ही हुआ है। भारत सरकार ने अल्युमिनियम के लिये एक टैरिफ कमेटी बनायी है और उसके जरिये ही जो कुछ टैरिफ तय होगा उस पर विचार होगा।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर उन्होंने बिजली लेना पसन्द किया तो उनको कास्ट आफ जेनरेशन के आधार पर आप जुलाई से बिजली देंगे चाहे जितनी बिजली आपको चाहिये उतनी आपके पास हो या न हो।

श्री नारायणदत्त तिवारी

मैंने आपसे निवेदन किया कि दो तीन साल के लिये उनको बिजली की जरूरत है। अगर कास्ट आफ जेनरेशन के आधार पर रेट देने को तैयार होंगे तो हम जुलाई से बिजली देंगे। जहां तक दूसरे और प्रश्न हैं—जैसे घाटे का सवाल है, इंजीनियर्स और आई0 ए0 एस0 का सवाल

है, जायसवाल जी ने यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है और अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा है माननीय रियासत हुसैन साहब ने भी इस प्रश्न का उल्लेख किया कि जो इंजीनियर्स वर्ग है उसकी कुछ और शिकायतें हैं जिस पर उनके एसोसियेशन में विचार हुआ और उन्होंने लिखित आवेदन भी दिया है, उन पर सहानुभूतिपूर्ण विचार हो रहा है। जहां तक बोनस और एरियर्स व अन्य सुविधाओं की बात है वह पहले ही दे रखी है। एक विशष पे-कमीशन बैठा हुआ है जिसके अध्यक्ष हाई कोर्ट के एक भूतपूर्व अध्यक्ष हैं। एक सदस्यीय कमीशन है जिसकी रिपोर्ट 15 जनवरी तक आजायगी। और उसके जितने वेतन,भत्ते आदि के प्रश्न हैं, जितनी उनकी शिकायतें हैं, उनके सम्बन्ध में दो तीन दिन के अन्दर ही घोषणा कर दी जायगी। अब केवल दो चार दिन रह गये हैं। पे कमीशन जो कुछ भी सिफारिश करेगा, पंजाब, हरियाना, जैसे प्रदेशों के मुकाबले में हम उन सब को बिल्कुल पूरा का पूरा स्वीकार कर लेंगे, जो भी पे कमीशन कहेगा। यह विद्युत परिषद् के अधिकारियों ने भी घोषणा की है।

श्रीमन्, मैं सदन के सहयोग की अपेक्षा करूंगा कि इंजीनियर्स वर्ग जिसके साथ में बिजली का संचालन है, वह इस सम्बन्ध में कोई आन्दोलनात्मक कदम न उठाये क्योंकि कुछ दिनों में घोषणा होने वाली है और सब सम्मानित सदस्य, जो चुनौती है उसका सामना करने के लिये हमको योगदान देने की कृपा करें। मैं माननीय जायसवाल जी, रियासत हुसैन जी और सम्मनित सदन को विश्वास दिलाता हूं कि इंजीनियरों की जो प्रतिष्ठा है और मर्यादा है वह सबको मालूम है। इसमें कैडर का कोई झगड़ा नहीं डालना चाहिये। आई0 ए0 एस0 कैडर अपनी जगह पर है, उसका अलग महत्व है, इसलिये इस झगड़े को बीच में नहीं डालना चाहिये। सबके समन्वय और सहयोग की आवश्यकता है। कैडर का झगड़ा डालने से कुछ होने वाला नहीं है। मुझे आशा है कि सदन की सदभावना मुझे अवश्य प्राप्त होगी। चौधरी साहब ने लाइन लौसेज का एक प्रश्न उठाया था उन्होंने कुछ आंकड़े दिये कि हमारे प्रदेश में लाइन लौसेज 22.1 परसेन्ट है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं इससे पहले कि वे चौधरी साहब की तरफ देखें रेट की गड़बड़ी हुई है 2.49 और 4.63। जिन लोगों ने इस तरह से गवर्नमेन्ट को डिसीव किया है उसके विरुद्ध आप कोई कार्यवाही करेंगे या नहीं?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मुझे अभी रिपोर्ट मिली नहीं है। अगर ऐसी बात हुई है तो अवश्य जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करेंगे। लेकिन क्या तथ्य है यह मालूम हो जाने चाहिये। रिपोर्ट आज ही पेश हुई है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

इसमें अगर मगर का सवाल कुछ नहीं है क्योंकि प्रतिनिहित विधायन समिति ने परिषद् के अधिकारियों को सुनने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसलिये इसमें अगर मगर का मामला नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

हम तो अगर मगर न करके डगर डगर सीधे चलते जाते हैं। लाइन लौसेज के बारे में बताया गया है कि हमारे प्रदेश में 22.1 परसेन्ट है। पंजाब में 34.4 परसेंट है, हरियाना में 29.1 परसेंट है, आंध्र में 25.4 परसेन्ट है,बिहार में 19.7 परसेन्ट है और तामिलनाडू में 18 परसेंट है तो ऐसी बात नहीं है कि दूसरे प्रदेशों में लाइन लौसेज नहीं हो रहे हैं। हमारे यहां 1 लाख 45 हजार किलोमीटर लम्बी लाइन है। किसानों को 14 परसेंट बिजली मिलती है लेकिन वास्तविकता यह है कि जो किसान को सैंकशन्ड बिजली मिलती है वह 33 या 34 परसेंट

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

है उस हिसाब से जो बिजली एलाटेड होती है। लोड फैक्टर के हिसाब से 33/34 परसेंट मिलती है लेकिन कंज्यूमर्स इनर्जी के हिसाब से 14 परसेंट है। कारण यह है कि ट्यूबवेल हमेशा नहीं चल सकते हैं। कभी दो घंटे चलता है, कभी एक घंटे चलता है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आपने बिजली बन्द कर रखी है इसलिये वे पूरा नहीं चला पाते हैं।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मान्यवर, इंजीनियर्स किसानों को बहुत तंग कर रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं आप लोगों की बात का बहुत आदर करता हूं। लोड फैक्टर के आधार पर किसानों को 33/34 परसेंट बिजली एलाटेड है। ऐसे ही है जैसे एक बल्ब हमारे यहां लगा हुआ है, चाह हम उसको कितनी ही देर के लिये जलायें।

श्री मुस्तफा कामिल किदवई (जिला बाराबंकी)—

मैं एक बात जानना चाहूंगा कि आप हिन्डालको को जुलाई तक बिजली देने को कहते हैं लेकिन उनके ऊपर जो यह 4 करोड़ रुपया बकाया है उसकी वसूली की क्या सूरत होगी और क्या जब तक इस रकम की अदायगी नहीं होगी आप उन को बिजली नहीं देंगे?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं निवेदन करूंगा कि वह मामला अभी हाई कोर्ट में जेरगौर है और हम उम्मीद करते हैं कि हाईकोर्ट हमारे हक में ही फैसला करेगा और अगर ऐसा हुआ तो पूरी रकम उनको अदा करनी होगी।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

यह कब से जेरेगौर है ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

कोई पैरवी भी आपकी तरफ से हो रही है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि हाईकोर्ट के स्टे आर्डर को वेकेन्ट कराने की कोई कार्यवाही की गई ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

पूरी पैरवी हो रही है, हमारे एडवोकेट जनरल हैं, पूरी कोशिश है।

(व्यवधान)

श्री बांकेलाल—

कब हुई ? किस तारीख को कौन सी कार्यवाही किसने की ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

इस वक्त जो रोस्टरिंग उद्योग या कृषि दोनों क्षेत्रों में चल रही है उसका सब से बड़ा कारण बिजली के जेनरेशन की कमी है और दूसरे जो 400 मेगावाट प्लानिंग कमीशन ने किया

था उसकी बात यह है कि हम ओबरा में तीन चार साल में 15 सौ मेगावाट उत्पादन बिजली का करने वाले हैं। लेकिन जहां हमारी बिजली की खपत होती है, खेतों खलिहानों और कारखानों में उसको वहां तक ले जाने के लिये आपके साधन क्या हैं। हमारे यहां 400 मेगावाट की ओबरा सुल्तानपुर लाइन का प्रोपोजल है उसके टेंडर हो चुके हैं। प्लानिंग कमीशन ने कहा कि आप ओबरा से सुल्तानपुर तक और आगे मुरादनगर तक अगर 400 मेगावाट की लाइन लगा देंगे तो बिजली पहुंच सकेगी लेकिन हमने कहा कि अगर आप हमें उसके लिये आवश्यक इम्पोर्टेड स्टील की व्यवस्था कर देंगे तो हम 1500 मेगावाट बिजली कानपुर, लखनऊ, मुरादनगर, मेरठ तक बिजली पहुंचा सकेंगे। वह सेक्शन है, जल्द हम बनाना चाहते हैं ताकि ओबरा का 1500 मेगावाट का विद्युत-गृह बन सके और जहां-जहां हमारे लोड सेन्टर हैं वहां हम बिजली पहुंचा सकें।

हमने प्लानिंग कमीशन को आश्वासन दिया है कि अगर यह इम्पोर्टेड स्टील की व्यवस्था हो जायगी तो हम 76 तक सेन्टर तैयार कर देंगे। आप सबकी आज्ञा पर और सदन की मनोभावना को देखते हुए सदन की आज्ञा को पूरा करने का सरकार का बराबर प्रयास है और आशा है कि भविष्य में आप का सहयोग हमें मिलता रहेगा। यह 1971–72 का परिषद् का बजट प्रस्तुत है। केवल चर्चा का इसके लिये प्राविधान है। मैं आप से आग्रह करूंगा कि आज परिषद् को तमाम कठिनाइयों और कमियों के बीच से गुजरना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में जितनी भी आपकी सद्भावना और सहयोग मिल सके उसकी आवश्यकता है।

श्री बांकेलाल—

मन्त्री जी भी कठिनाई से गुजर रहे हैं लेकिन मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि किसानों को रात में बिजली न दी जाय, दिन में दी जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इन शब्दों के साथ मैं आग्रह करूंगा कि इस चर्चा के आधार पर भविष्य में भी हमें विद्युत् योजनाओं को संचालित करने के लिये सदन का सहयोग मिलता रहे।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 6 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। एक यह सर्वश्री त्रिलोक चन्द्र मोहम्मद असरार अहमद, चन्द्रभान शर्मा, सईद मुर्तजा और सच्चिदानन्द गुप्त की है जिला जौनपुर के ग्राम रानीमऊ में साम्प्रदायिक दंगे से उत्पन्न स्थिति के बारे में यह स्वीकृति करने योग्य नहीं है। इसमें जितना लिखा है सब कार्यवाही सरकार द्वारा की गयी है, उसके बारे में लिखा है। इसमें लिखा है कि थानेदार को मौअत्तल किया गया, दफा 144 लगायी गयी। करफ्यू लगा दिया गया। सूचना से ही ज्ञात है कि सरकार द्वारा कार्यवाही की गयी है। यह स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार जनता में रोष है। इसलिये इसको स्वीकार नहीं किया गया है।

दूसरी सूचना माननीय सुरेन्द्र विक्रम और माननीय हरिदत्त कांडपाल जी की है जो रानी खेत तहसील के अन्तर्गत द्वाराहाट में मिट्टी के तेल के अभाव से सम्बन्धित है। इस पर आप प्रश्न कर लें। यह सूचना स्वीकार नहीं की गयी है।

श्री हरिदत्त कांडपाल (जिला अल्मोड़ा)—

श्रीमन्, इस पर आप वक्तव्य ही दिला दें। यह मिट्टी के तेल के अभाव के सम्बन्ध में है। वहां पर बहुत दिनों से मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर वक्तव्य नहीं हो सकता है। इसमें कोई अविलम्बनीयता का प्रश्न निहित नहीं है। प्रश्न द्वारा आप इसकी जानकारी हासिल कर लें।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

आप इन्हें अल्पसूचित करने की ही आज्ञा दे दें?

श्री उपाध्यक्ष—

एक सूचना माननीय माधवप्रसाद त्रिपाठी, माननीय हिम्मत सिंह और माननीय शचीन्द्र नाथ बख्शी की है। इसको स्वीकार किया गया है।

एक श्री गोविन्द सिंह नेगी की लखनऊ चारबाग स्टेशन के सामने पीलीभीत जिले के एक सौ पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों का सर्दी में पड़े रहने के सम्बन्ध में है। इसे सरकार को भेज दिया जायगा।

एक माननीय शम्भूनाथ चौधरी और माननीय मोहम्मद असरार अहमद की है जिसमें उन्होंने कहा है कि बलिया नगरपालिका द्वारा भवनकर एक मुश्त वसूली करने के कारण नागरिकों में असंतोष व्याप्त है। नगरपालिका 7–8 साल का भवनकर लगा रहे हैं। सरकार का राजस्व विभाग वसूल अवश्य करता है इसलिये इसका सरकार से सीधा सम्बन्ध नहीं है।

एक सूचना माननीय अनन्तराम जायसवाल, शिवदास व अवधेश सिन्हा की है कि जिला मिर्जापुर के थाना पिपरी के अन्तर्गत कस्बा रेणुकोट में दुकानदारों के मकानों व दुकानों के गिराये जाने के कारण यह दैनिक प्रशासन से संबंधित है। यदि वहां पर मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो इसका उपचार न्यायालय है और उसका सहारा लिया जा सकता है। यह सदन क्या कर सकता है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, जब से माननीय लोकपति जी का इस सदन में शुभागमन हुआ है तब से मिर्जापुर का जिलाधीश कमिश्नर से भी बड़ा हो गया है। उसने कमिश्नर के स्थगन आदेश का भी उल्लंघन कराकर पूरे मकानों और दुकानों को ढेर करवा दिया है। इतना बड़ा अन्याय किया है कि कल्पना भी नहीं की जा सकती है और आप चाहते हैं कि हम न्यायालय में जायें?

श्री उपाध्यक्ष—

तो यह भी अवमान हुआ है।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

श्रीमन्, इसमें अवमान का प्रश्न नहीं है। कमिश्नर का एक्जीक्युटिव आर्डर था, जिसकी जिलाधीश ने अवहेलना की है। दुकानों को और मकानों को गिरा दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

इससे जनता किस प्रकार उत्तेजित है और उनमें कैसे रोष व्याप्त है। यह भी अवलम्बनीय महत्व का प्रश्न नहीं है।

श्री अनन्त राम जायसवाल

कहावत है कि जबरिया मारे और रोये भी न दे। उनके मकानों और दुकानों को गिरा दिया और जब क्षोभ प्रकट करने के लिये वे इकट्ठे होते हैं तो वक्ताओं को गिरफ्तार करवा लिया गया। यदि इस पर भी आप चर्चा का मौका नहीं देंगे तो फिर किस वक्त आयेगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

अगर मौलिक अधिकारों का हनन जहां कहीं भी जिस रूप में हुआ है ।.....

श्री अनन्तराम जायसवाल--

इस सदन को क्या आप तानाशाह बनने देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह न्यायालय है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, वहां दुकानें गिरा रहे हैं, मकान गिरा रहे हैं.....

श्री लोकपति (जिला मिर्जापुर)---

मान्यवर, मैं इस संबंध में अनुरोध कर दूं । आपके जिले में और हर जिले में जिला परिषद् है । और एक सलाहकार समिति है । उसमें रामनिहोर जी और सूबेदार जी भी बैठे हुए हैं, रामप्यारे भी वहां के विधायक हैं । जब माननीय गुप्ता जी यहां के मुख्य मंत्री थे सन् 69 में उस समय यह चल रहा था कि मिर्जापुर से पिपरी जो रोड जाती है वहां से स्लम क्लिअरेंस करके दूकाने बना दी जांय और जो दूकानदार हैं उन्हीं को जगह दे दी जाय । मा0 गुप्ता जी जब पिपरी गये हुए थे तब यह अनुरोध उन्होंने हिन्डालको से और लोगों से किया था । यह बात चलती रही । हिन्डालको ने बनाने से इंकार कर दिया । जिला परिषद सलाहकार समिति ने यह निर्णय किया कि वहां पर जिला परिषद के माध्यम से उन भवनों का निर्माण करा दिया जाय । और जो दुकानदार जहां बसे हुए हैं उन्हीं को दुकानें दी जायं किसी बाहरी को न दी जायं । मेरे आने से या जिलाधिकारी के कमिश्नर का काम करने से या न्यायालय की अवहेलना करने का जो माननीय सदस्य का आरोप है वह अनुचित है । हम लोग विधायक हैं और उस दल के हैं जो अनुशासन में रहते हैं । हम कभी कलक्टर से नहीं कहेंगे कि ऐसा करो ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, आपको आभास हो गया होगा कि मामला कहां से कहां तक पहुंचा है । जिला परिषद का अध्यक्ष डी0 एम0 ही होता है । अगर जिला परिषद स्लम क्लीअरेंस के लिय सचमुच दिलचस्पी रखता था तो यह तरीका नहीं है कि दुकानों को अवैध रूप अख्तियार करके इस तरह की बर्बरता से गिरा दिया जाय । दकानें-दूकाने समझ कर हटाई जाती ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह हमारी और आपकी बात है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

यह सदन की बात है, मान्यवर ।

[× × ×]

[×××] श्री उपाध्यक्ष की आज्ञानुसार निकाल दिया गया ।

गौरी शंकर, निवासी पुखरायां, कानपुर को पुलिस द्वारा डकैती के केस में फंसाये जाने और पीटे जाने से मृत्यु होने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

पुलिस रेकार्ड के अनुसार दिनांक 1–10–72 को पुलिस चौकी पुखरायां, कानपुर के सब-इन्सपेक्टर ब्रह्मदेवसिंह तथा 5 कांस्टेबिलों ने गौरीशंकर को थाना मंगलपुर की दो डकैतियों के मुकदमों के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया। पुलिस पार्टी के अनुसार गिरफ्तारी के समय गौरीशंकर के पास से एक देशी तमंचा व दो भरे हुए कारतूस बरामद हुए। गौरी शंकर को थाना भोगनीपुर ले जाया गया जहां उसके विरुद्ध धारा 25 आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत एक मुकदमा अपराध संख्या 294 पर दर्ज किया गया।

पुलिस का कथन है कि गौरीशंकर को पकड़ने के बाद मारा पीटा नहीं गया और उसके शरीर पर चोटें गिरफ्तारी के दौरान आईं।

दिनांक 2–10–72 को 9.30 बजे रात्रि में गौरी शंकर के चाचा ने थाना भोगनीपुर पर सब इंसपेक्टर ब्रह्मदेवसिंह व तीन कांस्टेबिलों तथा 3 अज्ञात पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध एक रिपोर्ट लिखाई जिसके आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 294–ए अंकित किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार गौरीशंकर को गिरफ्तारी के समय और चौकी तथा थाने पर मारा पीटा गया। गौरी शंकर की दिनांक 4–10–72 को उर्सला मेमोरियल हास्पिटल, कानपुर में मृत्यु हो गई।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में सब नामांकित इंसपेक्टर तथा तीनों कांस्टेबिलों तथा वादी द्वारा जांच के दौरान बताये गये एक अन्य सब इंसपेक्टर को 3–10–72 को लाइन हाजिर किया गया और 4–10–72 को निलंबित भी कर दिया गया। थानाध्यक्ष भोगनीपुर को भी 8–10–72 को पुलिस लाइन स्थानान्तरित कर दिया गया।

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्र तथा क्षेत्राधिकारी को जबानी ऐसी शिकायत मिली कि पुलिस वाले गवाहों पर जोर डाल रहे हैं। किन्तु क्षेत्राधिकारी ने जांच करने पर आरोप निराधार पाया।

गौरीशंकर की मृत्यु के संबंध में एस0 डी0 एम0 भोगनीपुर द्वारा मैजिस्ट्रीरियल जांच की गई। एस0 डी0 एम0 इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि गौरी शंकर क्षय रोग का मरीज था उसकी गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने असाधारण बल का प्रयोग किया जिस के फलस्वरूप आई चोटों के सदमें तथा बीमारी के कारण गौरी शंकर की मृत्यु हो गई। उन्होंने यह भी पाया कि पुलिस ने गौरी शंकर का इलाज करवाने में लापरवाही की।

उपरोक्त दोनों मुकदमों की तथा इस मामले के संबंध में पुलिस के आचरण तथा उसके विरुद्ध शिकायतों की अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा है। क्या उन्हें क्षय रोग था ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो इसमें लिखा है। एस0 डी0 एम0 की रिपोर्ट में है।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

काज आफ डेथ में लिखा है 'डेथ वाज ड्यु टु शाक एण्ड असाल्ट आफ दि मल्टीपुल इंजरीज'। यह इसमें है।

श्री हरिनाथ तिवारी—

क्षय रोग इसमें नहीं लिखा है।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मैजिस्टीरियल इंक्वायरी में यह बतलाया गया कि वह क्षय रोग से पीड़ित था। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि मृत्यु का कारण चोंटें थीं।

श्री हरिनाथ तिवारी—

दोनों में विरोधाभास है।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

जैसा कि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट से विदित है कि चोंटें लगी हुई थीं तो क्या दवा दारू का भी प्रबन्ध किया गया या नहीं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, जैसे ही उसको थाने पर लाया गया वह बेहोशी में था। मंगलपुर के डाक्टर से इलाज कराया गया और इसके अतिरिक्त वहां जो एक प्राइवट डाक्टर एम0 बी0 बी0 एस0 थे उनको बुलाकर भी उपचार कराया गया।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

मंत्री जी ने उत्तर में बतलाया है कि काज आफ डेथ मल्टीपुल इंजरीज था और जो उन्होंने आगे पढ़ा वह सुनाई नहीं पड़ा। लेकिन इसके बाद आपने फरमाया कि एस0 डी0 एम0 की रिपोर्ट से मालूम होता था कि वह क्षय रोग का रोगी था। मैं जानना चाहता हूं कि एस0 डी0 एम0 की रिपोर्ट किस आधार पर थी। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट जुडिशियल रिपोर्ट मानी जाती है और उसमें काज आफ डेथ मल्टीपुल इंजरीज था।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका प्रश्न क्या है ?

श्री जगदम्बा प्रसाद—

प्रश्न यह है कि एस0 डी0 एम0 की रिपोर्ट में है कि वह क्षय रोग से पीड़ित था तो उसका आधार क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह कैसे बतलायेंगे, यह तो मैजिस्टीरियल इंक्वायरी में आया है।

आप दूसरा प्रश्न करें।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

मान्यवर, मृतक के बारे में थाने पर रिपोर्ट लिखी गई है। उसमें यह लिखा है कि पुलिस ने हिरासत में ले जाने के बाद उसको मारा और थाने में भी मारा। इसके आधार पर थाने पर कोई मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं और हुआ तो किस दफा में हुआ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

जैसे ही यह रिपोर्ट लिखाई गई कि उसको थाने में मारा गया है तो उसी दिन छान-बीन हुई और मुकदमें को 304 में परिवर्तित कर दिया गया।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

जो रिपोर्ट है उसमें पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट से पता लगता है कि उसके बहुत सी चोटें लगी थीं जिससे सदमे के कारण उसकी मृत्यु हो गई। यह 304 और 302 का जुर्म हुआ, तो उस थाने के जो पुलिस अधिकारी दोषी हैं उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और जेल क्यों नहीं भेजा गया है?

श्री उपाध्यक्ष---

निलंबित तो किया गया है और लाइन हाजिर हुये हैं। आप का मतलब है कि उनको निकाला क्यों नहीं गया है?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

जो सूचना आयी थी उसकी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट से पता लगता है कि पुलिस कर्मचारी दोषी हैं, तो उनको जेल क्यों नहीं भेजा गया है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

3 कांन्सटेबुल जिनके खिलाफ मुकदमा था, उन्होंने आत्म समर्पण किया, जेल गये और जमानत हुई है।

श्री हरिनाथ तिवारी---

दरोगा जी गौरी शंकर को गिरफ्तार करने गये, तो क्या उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट थी, वह क्यों गिरफ्तार करने गये ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, उसके विरुद्ध कानपुर में पड़े एक डाके के बारे में इन्दराज था जिसके आधार पर उसको पकड़ने गये थे और उसको गिरफ्तार किया गया था।

श्री हरिनाथ तिवारी---

जो रिपोर्ट आपके पास मौजूद है उसमें तो ऐसा नहीं है।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, उसका नाम नहीं था लेकिन प्राप्त सूचना के आधार पर उसका नाम आया था और इसलिये उसको पकड़ने गये थे।

श्री उपाध्यक्ष---

अब तो मुकदमा चल रहा है।

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)---

किस प्राप्त सूचना के आधार पर गौरी शंकर का नाम डकैती में आया था ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

महराजगंज थाने में जो कानपुर में है वहां एक डकैती में इसका नाम आया था। इसकी सूचना भोगनीपुर में थी, उसके आधार पर यह कार्यवाही हुई।

श्री ज्वाला प्रसाद कुरील (जिला कानपुर)—

गौरीशंकर को थाने पर कब लाया गया और पुखरायां से कानपुर हास्पिटल कब ले जाया गया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, जब उसको थाने पर मारा गया और जब हास्पिटल में ले जा रहे थे तो माब ने घेर लिया था और उसको कानपुर ले जाने की इजाजत नहीं दी। जब वहां जिले के हेडक्वार्टर्स से अधिकारी आये तो ले जा सके ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

गौरी शंकर का जिस डकैती में नाम आया था, वह जनरल डायरी में भी आया या नहीं ? नं0 (2)—जो पुलिस पकड़ने गयी थी, उसके पास कोई रिकार्ड था या नहीं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जब इनवेस्टीगेशन में उसका नाम आया, तभी पकड़ा गया ।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

जिस पुलिस ने पकड़ा उसके रिकार्ड में है या दूसरे पुलिस वालों के रिकार्ड में था ? इन-रायटिंग पकड़ने की सूचना थी, या ऐसे ही पकड़ लिया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

कानपुर का जो थाना भोगनीपुर है, उसके आधार पर जो सूचना थी, उसी पर पकड़ा गया।

श्री जगदम्बा प्रसाद—

दफा 56 का वारंट आया था कि नहीं ? श्री गौरी शंकर को गिरफ्तार करने के लिये ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री गौरी शंकर जो कि हरिजन है, उनकी मृत्यू सरकार जो कारण आज बता रही है, बीमारी के कारण नहीं हुयी । तो मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तथ्य क्या है ? क्या उसकी मृत्य पिटायी से हुई ?

श्री उपाध्यक्ष—

अब वह तो केस न्यायालय के सामने है।

अब हम उठते हैं । कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 20 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
10 जनवरी, 1973

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 5 पर ।)

परिशिष्ट 'क'

जिलास्तर पर गठित जिला रजत जयंती सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची :

1—जिलाधिकारी (अध्यक्ष)
2—पुलिस अधीक्षक (उपाध्यक्ष)
3—सिविल सर्जन ,,
4—जिला नियोजन, अधिकारी, सामान्य सचिव
5—जिला विद्यालय निरीक्षक, उप सामान्य सचिव
6—अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (उप सामान्य सचिव)
7—अधिशासी अभियंता, जल विद्युत् ,,
8—अधिशासी अभियंता, सिंचाई ,,
9—जिला स्वास्थ्य अधिकारी ,,
10—श्री राजदेव सिंह सदस्य, लोक सभा, क्षेत्र परामर्शदाता
11—श्री नागेश्वर द्विवेदी ,, ,,
12—श्री राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे सदस्य विधान सभा, क्षेत्रीय परामर्शदाता
13—श्री उमा नाथ सिंह, ,, ,,
14—श्री सूर्यनाथ उपाध्याक्ष, ,, ,,
15—श्री मोतीलाल यादव, ,, ,,
16—श्री राम शिरोमणि दुबे, ,, ,,
17—प्रेसिडेन्टबार एसोसिएशन, कलेक्ट्रेट, जौनपुर ।
18—प्रमुख क्षेत्र समिति (विकास खंड) तहसील जौनपुर ।
19—प्रमुख विकास खंड, मड़ियाहूं ।
20—प्रमुख विकास खंड, केराकत
21—प्रमुख विकास खंड, शाहगंज
22—प्रमुख विकास खंड, मछलीशहर
23—श्री चन्द्रेज मिश्र, प्रतिनिधि "आज"
24—श्री पुरुषोत्तम सिंह सदस्य, प्रतिनिधि "भारत"
25—श्री रमाशंकर लाल, सदस्य प्रतिनिधि "नार्दन इंडिया पत्रिका"
26—जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 24 पर)

राज्य स्तर पर 1,050 सहायक कृषि प्रसार निरीक्षक नियुक्त किये गये हैं, जिनमें 861 सामान्य वर्ग एवं 189 हरिजन वर्ग के अभ्यर्थी हैं। इन अभ्यर्थियों का प्रतिस्थापन मंडल के अधीक्षक अभियन्ताओं द्वारा खंडवार किया गया है। सिंचाई विभाग के खंडों की सीमा जिलों की सीमा के अनुसार नहीं है। नियुक्त किये गये सहायक कृषि प्रसार निरीक्षकों का मंडलीय विवरण निम्न प्रकार है :—

मंडल का नाम	अनुसूचित जाति	अन्य	योग
नलकूप मंडल, मेरठ ..	62	128	190
नलकूप मंडल, बरेली ..	5	46	51
नलकूप मंडल, मैनपुरी ..	30	124	154
नलकूप मंडल, वाराणसी ..	21	149	170
सिंचाई कार्य मंडल, गोरखपुर	15	95	110
सिंचाई कार्य मंडल, फजाबाद	9	201	210
लिफ्ट सिंचाई मंडल, वाराणसी	22	68	90
सिंचाई यांत्रिक मंडल, इलाहाबाद	25	50	75
कुल योग ..	189	861	1,050

सहायक कृषि प्रसार निरीक्षक का वेतन-क्रम—120—6—150—द0 रो0—6—180—द0 रो0—8—220 रु0 है।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 26 पर)

विवरण

हड़ताल प्रारम्भ करने तक श्रमिकों ने कोई मांग प्रस्तुत नहीं की थी । 23 अक्तूबर, 1972 को अपरान्ह चार बजे श्रमिकों के संघ के अध्यक्ष द्वारा उनको मांग-पत्र प्राप्त हुआ । उसमें निम्नलिखित मांगें थीं :—

1—वर्कशाप कर्मचारी की सेवायें केन्द्रीय कर्मचारियों के समान की जायं ।

2—मेरठ वर्कशाप के कर्मचारियों को भी रुड़की तथा झांसी वर्कशाप के कर्मचारियों के अनुसार वर्ष 1970-71 का अनुग्रह भुगतान किया जाय।

3—मेरठ वर्कशाप के कर्मचारियों को भी प्रतिवर्ष बोनस तथा न्यूनतम बोनस 8.33 प्रतिशत के हिसाब से वितरण किया जाय।

4—कर्मचारियों को उनके वेतन का 20 प्रतिशत गृह भत्ता दिया जाय।

5—रात्रि में काम करने वाले कर्मचारियों को रात्रि भत्ता दिया जाय।

6—6 मास से अधिक निरन्तर कार्य करने वाले कर्मचारियों को स्थाई किया जाय ।

7—दिनांक 8 सितम्बर, 1972 को अवैधानिक रूप से हुए वर्कशाप में तालाबन्दी के परिणाम स्वरूप तालाबन्दी का कर्मचारियों को एक दिन का पूर्ण वेतन दिया जाय।

8—कार्यशाला में नियुक्ति सीधी न करके रोजगार दफ्तर के माध्यम से की जाय।

9—50 रु० मासिक अंतरिम सहायता के रूप में दिये जायें।

10—स्पेशल ग्रेड खोले जायं।

मांगों को पूरा करने के संबंध में स्थिति निम्न प्रकार है:—

1—वर्कशाप में कर्मचारियों की सेवायें, "औद्योगिक सेवा योजन (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946" के अन्तर्गत प्रमाणित स्थाई आदेश के अनुसार नियमित होती है। यह स्थाई आदेश उक्त अधिनियम के अन्तर्गत त्रिदलीय समझौता के फलस्वरूप लागू है और कर्मचारी उस समझौते से अनुबद्ध है। अतः इस मांग का औचित्य नहीं है ।

2—सिंचाई कार्यशालाओं को अनुग्रह भुगतान कुछ प्रतिबन्धों के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है जिसमें प्रमुख शर्त है उत्पादन लक्ष्य को पूरा करना। मेरठ कार्यशाला उन प्रतिबन्धों को पूर्ण नहीं करती, अतः वहां के कर्मचारी अनुग्रह भुगतान पाने के अधिकारी नहीं हैं।

3—बोनस अधिनियम विभागीय कार्यशालाओं पर लागू नहीं है। अतः बोनस देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

4 व 5—कार्यशाला के कर्मचारियों की वेतन दरें संहत वेतन है। अतः इन पर पृथक् रूप से कोई भत्ता देय नहीं है।

6—सिंचाई कार्यशाला मंडल की समस्त कार्यशालायें कार्यकारी कार्यशालायें हैं। इस स्थिति में श्रमिकों की मात्रा में आवश्यकतानुसार घटा बढ़ी होती रहती है। अतः थोड़ी अवधि के श्रमिकों को स्थायित्व देना सम्भव नहीं है।

7--दिनांक 8 सितम्बर, 1972 को कोई तालाबन्दी नहीं हुई। श्रमिकों ने ही स्थाई आदेशों के प्राविधानों का उल्लंघन करते हुए अपना कार्य नहीं किया जिसके फलस्वरूप वे उस दिन का वेतन अर्जित नहीं कर सके।

8--कार्यशाला में भर्ती रोजगार दफ्तर के माध्यम से ही की जाती है। अति-आवश्यक स्थिति में अकुशल श्रमिकों को जो रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड होते हैं सीधे भी भर्ती कर लिया जाता है। यथा साध्य ऐसा काम ही किया जाता है।

9--श्रमिकों के वेतन में 1-8-1972 से 60 पैसे से 90 पैसे प्रति दिन अथवा 15 रु० से 22.50 मासिक वृद्धि कर दी गई है। चूंकि श्रमिकों का वेतन संहत है इसलिये अंतरिम सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता।

10—श्रमिकों का वेतन मान भी दिनांक 1-8-1972 से पुनरीक्षित कर दिया गया है। अतः स्पेशल ग्रेड खोलने की आवश्यकता नहीं है।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 22 का उत्तर पीछे पृष्ठ 27 पर)

सूची 'क'

उन व्यक्तियों की सूची जिनको माननीय राज्य मन्त्री, परिवहन द्वारा 55 बजाज स्कूटरों का आवंटन किया गया है :—

1—श्री रमापति त्रिपाठी, एम० एल० ए०, इलाहाबाद
2—श्री सईदुल हसन, एम० एल० सी०, बुलन्दशहर
3—श्री मोहम्मद हसन खां, एम० एल० ए०, मुरादाबाद
4—श्री महीरजध्वज सिंह, एम० एल० ए०, बांदा
5—श्री कन्हैयालाल, एम० एल० ए०, मथुरा
6—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, एम० एल० ए०, रामपुर
7—श्रीमती मोहसिना किदवई, एम० एल० सी, बाराबंकी
8—श्री कृष्ण गोयल, एम० एल० सी०, बदायूं
9—श्री राजबहादुर चन्द, एम० एल० ए०, बस्ती
10—श्री सजीवन लाल, एम० एल० ए०, उन्नाव
11—श्री यादवेन्द्र दत्त, एम० एल० ए०, जौनपुर
12—श्री रामलाल भाई, एम० एल० ए०, गोरखपुर
13—श्री जगन्नाथ राव, एम० एल० ए०, जौनपुर
14—श्री मोती लाल देहलवी, एम० एल० ए०, कानपुर
15—श्री राम रतन प्रसाद, एम० एल० ए०, बलिया
16—श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी, एम० एल० ए०
17—श्री नवाब सिंह यादव, एम० एल० ए०
18—श्री लक्ष्मी रमण आचार्य, एम० एल० ए०
19—श्री एम० के० किदवई, एम० एल० ए०, बाराबंकी
20—श्री डी० पी० बोरा, एम० एल० ए०, लखनऊ
21—श्री यशपाल सिंह, एम० एल० सी०, सहारनपुर
22—श्री विश्वनाथ टन्डन, चेयरमैन, प्रेस रिपोर्टर, शाहजहांपुर
23—श्री करुणा शंकर सक्सेना, स्टाफ रिपोर्टर, नेशनल हेराल्ड, लखनऊ
24—श्री मोहम्मद नोमान, प्रेसीडेन्ट, कांग्रेस कमेटी, आजमगढ़
25—श्री वृजेन्द्र नाथ शुक्ला, विशेष सहायक, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, आगरा
26—डाक्टर वीरेन्द्र गर्ग, डेन्टल सर्जेन्ट, बुलन्दशहर
27—श्री रमेश चन्द्र गुप्ता, आगरा
28—श्री एस० के० शिवदर, लखनऊ
29—श्री पी० सी० मित्तल, रजिस्ट्रार, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
30—डाक्टर रोशन सिंह सिरोही, आगरा
31—श्री दया चन्द्र जैन, 162, न्यू आगरा
32—श्री वी० के० गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता, एवं पी० ए०, चीफ इन्जीनियर, एल० एस० जी० ई० डी०, लखनऊ
33—श्री राम चन्द्र सिन्हा, निजी सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, लखनऊ
34—श्री गंगा सिंह भदौरिया, सब-इन्सपेक्टर, सी० आई० डी० कालोनी, लखनऊ
35—श्री राम चन्द्र टन्डन, निजी सचिव, राज्य मन्त्री समाज कल्याण. लखन
36—श्री श्रीनाथ गुप्ता, प्लानिंग आफिसर, कानपुर

37—श्री जगदीश प्रसाद वर्मा, निजी सचिव, वित्त मंत्री, लखनऊ
38—श्री एस० पी० गुप्ता, उप सचिव, प्लानिंग , लखनऊ
39—श्री सन्त सरन मिश्रा, मार्शल , विधान सभा ,लखनऊ
40—श्री आर० एन० सिन्हा, सिविल जज, लखनऊ
41—कैप्टन मिसेज वीना शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी, एन० सी० सी०, देहरादून
42—श्री अविनाश चन्द्र, इलाहाबाद,
43—श्री बाबू सिंह चौहान, प्रवर वर्ग सहायक, सचिवालय, लखनऊ
44—श्री बी० एफ० क्लेव, डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट, लखनऊ
45—श्री कैलाश नाथ खन्ना, पी० ए०, उप सचिव, वन, लखनऊ
46—श्री ओम प्रकाश, 154 यहियागंज, लखनऊ
47—श्री प्रभुदयाल सेठ, आगरा
48—श्री सुरेन्द्र भारतद्वाज, स्टाफ कारस्पाडेन्ट, अमर उजाला, आगरा
49—श्री सुधीर चन्द्र वर्मा, रिसर्च असिस्टेन्ट, बाटनिकल गार्डन, लखनऊ
50—श्री श्याम मुरारी गोयल, पी० ए० चेयरमैन, सचिवालय, लखनऊ
51—श्री गुर प्रसाद दीक्षित, सरजेन्ट, एयर फोर्स, कानपुर
52—डाक्टर के० एन० दुबे, सरजरी डिपार्टमेंट, एल० एल० आर० एम० मेडिकल कालेज, मेरठ।
53—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी, राज्य मन्त्री।
54—श्री एस० एस० आई० आब्दी, प्रवक्ता, गवर्नमेंट कालेज, गाजीपुर
55—श्री प्रेम सक्सेना, प्रेस रिपोर्टर, लखनऊ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 23 का उत्तर पीछे पृष्ठ 27 पर)

सूची "ख"

वर्ष 1972 में जिन माननीय विधायकों को स्कूटर आवंटित किये गये हैं, उनकी सूची:

1— श्री रूपराम, शाहजहांपुर
2— ,, उदय प्रताप सिंह, सुल्तानपुर
3— ,, नगीना सिंह
4— ,, उपेंद्र नाथ दीक्षित, कानपुर
5— ,, सूबेदार प्रसाद, मिर्जापुर
6— ,, हिम्मत सिंह, बुलन्दशहर
7— ,, कल्याण सिंह, अलीगढ़
8— ,, राम रतन प्रसाद, बलिया
9— ,, शिवदास तिवारी
10— ,, सूरज लाल गुप्ता, गोंडा
11— ,, कन्हैयालाल, मथुरा
12— ,, मोहन लाल, हमीरपुर
13— ,, हरबन्स सहाय,
14— ,, शिव कैलाश, बाराबंकी
15— ,, माखन लाल, लखीमपुर, खीरी
16— ,, शफीक अहमद खां, बरेली
17— ,, बैजनाथ प्रसाद
18— ,, राम प्यारे, मिर्जापुर
19— ,, राम हर्ष मिश्रा, बहराइच
20— ,, रामधारी शास्त्री, देवरिया
21— ,, शिवराज सिंह, लखनऊ
22— ,, लीलाधर, आगरा
23— ,, राजाराम यादव, आगरा
24— ,, जगमोहन वर्मा, झांसी
25— ,, इन्द्रलाल, हल्द्वानी
26— ,, जयराम यादव, प्रतापगढ़
27— ,, इन्द्रमणि बड़ोनी, गढ़वाल
28— ,, रघुबीर सिंह
29— ,, शांति चरण पिंडारा, मथुरा
30— ,, संतराम गोंडा
31— ,, राजा यादवेंद्र दत्त दुबे, जौनपुर
32— ,, विजय बहादुर सिंह
33— ,, नौनिहाल सिंह
34— ,, राजा छतर सिंह, जालौन
35—श्रीमती आशा सिंह, हरदोई
36— श्री केशव चन्द्र सिंह
37— ,, दुर्जन भाई

38—श्री सुखलाल, इटावा
39— ,, नेतराम सिंह,
40— ,, ओम प्रकाश सिंह
41—श्रीमती मोहसिना किदवई
42— श्री मथुरा प्रसाद पांडे
43— ,, प्रेम सुन्दर नारायण, हापुड़
44— ,, चन्द्र भान शर्मा, मुजफ्फरनगर
45— ,, सूर्यनाथ उपाध्याय, जौनपुर
46— ,, जीतेन्द्रपाल सिंह, मुरादाबाद
47—श्रीमती संतोष कुमारी पाठक, बदायूं
48— श्री जगदीश्वर दयाल अग्निहोत्री, लखनऊ
49— ,, हरी सिंह विष्ट, अल्मोड़ा
50— ,, श्याम सुन्दर लाल गुप्ता, सीतापुर
51— ,, लालसा प्रसाद मिश्रा, बस्ती
52— ,, शेर अली खां, मेरठ
53— ,, सेवाराम, खीरी
54— ,, परमाई लाल, हरदोई
55— ,, रघुनाथ सिंह वर्मा, मैनपुरी
56— ,, राम चरन, आगरा
57— ,, राम किशोर शुक्ला, इलाहाबाद
58— ,, छेदी लाल साथी
59— ,, विजय पाल सिंह, बुलन्दशहर
60—,, भीमा प्रसाद, आजमगढ़
61— ,, नोरोत्तम सिंह, बदायूं
62— ,, कृष्ण गोयल
63— ,, रवींद्र वर्मा
64— ,, केशवराम, बरेली
65— ,, राम देव दुबे, प्रतापगढ़
66— ,, जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव
67— ,, शिवनाथ सिंह
68— ,, कैलाश प्रकाश, लखनऊ
69— ,, चन्द्र नारायण सिंह, हमीरपुर
70— ,, राम प्रसाद, रायबरेली
71— ,, प्रभु नारायण सिंह, एम0 एल0 सी0
72— ,, राज बहादुर चन्द, बस्ती
73— ,, दुलारे लाल
74— ,, जगन्नाथ खन्ना
75— ,, राम लखन सिंह, बस्ती
76— ,, सजीवन लाल, उन्नाव
77— ,, श्री यशपाल सिंह आजाद एम0 एल0 सी0
78— ,, हरमोहन सिंह
79— ,, बंशीधर मिश्रा, लखीमपुर खीरी
80— ,, मलिखान सिंह, मैनपुरी
81—डा0 भगवत दयाल, झांसी

82—श्री कुंवर गुरु नारायण सिंह
83— ,, बलबीर सिंह, बांदा
84— ,, आर0 एन0 ठकुराई, एम0 एल0 सी0
85— ,, रितुराज सिंह, रायबरेली
85(अ)— ,, पारस नाथ सिंह, एम0 एल0 सी0
86— ,, रामलाल भाई, गोरखपुर
87—श्रीमती प्यारी देवी, गोरखपुर
88—श्री कृष्ण कान्त अवस्थी, सीतापुर
89— ,, दयानन्द व्यास, एम0एल0 सी0
90— ,, चौधरी मुलतान सिंह, आगरा
91— ,, हुकुम सिंह परिहार, आगरा
92— ,, कृपा दयाल, सीतापुर
93— ,, जगन्नाथ राव, जौनपुर
94— ,, केदार नाथ मालविया, इलाहाबाद
95— ,, भगवती प्रसाद, लखनऊ
96— ,, विजय पाल सिंह, गोंडा
97— ,, हीरा सिंह बोरा, पिथौरागढ़
98— ,, रघुनाथ सिंह, खुर्जा
99— ,,मोती लाल देहलवी, कानपुर
100— ,, तिरमल सिंह, एटा
101— ,, मेहरबान सिंह, गढ़वाल
102— ,, महेश्वर दत्त सिंह, गोंडा
103— ,, चन्द्र मोहन सिंह नेगी, गढ़वाल
104— ,, राम कुंवर सिंह, आजमगढ़
105— ,, रमापति त्रिपाठी, इलाहाबाद
106— ,, सईदुल हसन, बुलन्दशहर
107— ,, मुहम्मद हसन खां, मुरादाबाद
108— ,, महीरजध्वज सिंह, बांदा
109— ,, राजेन्द्र कुमार शर्मा, रामपुर
110— ,, राम नगीना मिश्रा, देवरिया
111— ,, राम अवतार दुबे, एम0 एल0 सी0
112— ,, यशपाल सिंह, एम0 एल0 सी0, सहारनपुर
113— ,, डी0 पी0 बोरा, लखनऊ
114— ,, एम0 के0 किदवई, बाराबंकी
115— ,, लक्ष्मी रमण आचार्य, लखनऊ
116— ,, नबाब सिंह यादव
117— ,, जगन्नाथ चौधरी, बलिया
118— ,, राम गोपाल, एम0 एल0 सी0
119— ,, केशवराम, बदायूं
120— ,, राम सिंह, एम0 एल0 सी0, सहारनपुर
121— ,, नरेन्द्र सिंह भंडारी, राज्य मंत्री
122— ,, सुल्तान सिंह भंडारी, एम0 एल0 सी0, बिजनौर

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर)

जिला		वर्ष 1972-73 में अब तक स्वीकृत राजकीय नलकूपों की संख्या	वर्ष 72-73 में लगाये गये नलकूपों की संख्या
जौनपुर	..	35	18
बलिया	...	35	10
वाराणसी	..	65	43
गाजीपुर	..	35	22

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37 पर)

नलकूप मंडल, वाराणसी के कूप चौकीदार व अन्य वर्कचार्ज पदों पर वर्ष 1971–72 तथा 1972–73 में नियुक्त हुए व्यक्तियों से सम्बन्धित सूचना

क्रम सं0	पदों का विवरण	नियुक्त हुए कर्मचारियों की संख्या			
		1971–72		1972–73	
		कुल	अनुसूचित जाति	कुल	अनुसूचित जाति
1	कूप चौकीदार	170	22	151	24
2	अन्य	647	87	882	139

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ 65–66 पर)

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1973

संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1973 कहलायेगा।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 1, 1939 की धारा 7 का निकाला जाना

2—संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 7 निकाल दी जाय।

धारा 10 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना।

3—मूल अधिनियम की धारा 10 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"10—(1) राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अधिकृत कोई अधिकारी—

(क) किसी ऐसे भवन, जलयान, गाड़ी अथवा स्थान में, जिसमें या जिस पर, उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई मोटर स्प्रिट या डीजल आयल बेचा जाता है अथवा बेचे जाने के लिये रखा जाता है, प्रवेश कर सकता है तथा उसकी तलाशी ले सकता है अथवा किसी व्यक्ति की, जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि उसने इस अधिनियम के अधीन कोई दंडनीय अपराध किया है, तलाशी ले सकता है;

(ख) किसी मोटर स्प्रिट अथवा डीजल आयल और उसके आधार को, जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो इस अधिनियम की धारा 6 अथवा किसी अन्य उपबन्ध के अधीन कोई दंडनीय अपराध किया गया है अभिगृहीत कर सकता है तथा हटा सकता है अथवा निरुद्ध कर सकता है;

(ग) किसी व्यक्ति को, जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि उसने इस अधिनियम के अधीन कोई दंडनीय अपराध किया है, बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है;

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई दंडनीय अपराध करने का दोष लगाया गया हो अथवा जिसके संबंध में ऐसा अपराध करने का युक्ति युक्तसंदेह हो, और जो पूछने पर अपना नाम बताने तथा निवास स्थान का पता देने से इंकार करे या जो अपना ऐसा नाम या निवास स्थान बताये जिसके संबंध में ऐसे अधिकारी को उसके मिथ्या होने का विश्वास करने का कारण हो, उसका नाम तथा निवास स्थान सुनिश्चित कर सकने के लिये बिना वारन्ट गिरफ्तार कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन ली जाने वाली कोई तलाशी तथा खंड (ग) अथवा खंड (घ) के अधीन की जाने वाली कोई गिरफ्तारी, दंड प्रक्रिया संहिता 1898 के क्रमशः तलाशी लेने तथा गिरफ्तार करने से संबंधित उपबन्धों के अनुसार की जायगी।"

नयी धारा 10—क, 10-ख तथा 10-ग का बढ़ाया जाना।

4—मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात्—

गिरफ्तार करने की प्रक्रिया

"10—क—इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किये गये प्रत्येक व्यक्ति को अविलम्ब निकटतम थाने के प्रभारी अधिकारी अथवा धारा 10—ख के अधीन अधिकृत किसी आबकारी अधिकारी के पास ले जाया जायगा जो या तो उसे अधिकारितायुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने के लिये जमानत पर छोड़ देगा, अथवा जमानत के अभाव में उसे अभिरक्षा में ऐसे मजिस्ट्रेट को भेज देगा।

अन्वेषण करने की शक्ति

10—ख (1) कोई पुलिस अधिकारी, जो किसी थाने के प्रभारी अधिकारी से नीचे के पद का न हो, अथवा कोई आबकारी अधिकारी जो ऐसे पद से नीचे का न हो जैसा राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निदेश दे, अपनी अधिकारिता की सीमा के भीतर इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी दंडनीय अपराध के संबंध में अन्वेषण कर सकता है।

(2) कोई ऐसा अधिकारी उसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और उसी उपबन्ध के अधीन होगा जैसा कि थाने का प्रभारी अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अधीन किसी संज्ञेय मामले का अन्वेषण करते समय शक्ति का प्रयोग करता है और उसके उपबन्धों के अधीन होता है।

स्पष्टीकरण:—पद "आबकारी अधिकारी" का वही अर्थ है जो उसके लिये यू0पी0 एक्साइज ऐक्ट, 1910 में दिया गया है।

क्षोभकारी तलाशी, अभिग्रहण इत्यादि

10—ग (1) इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले आबकारी अथवा अन्य अधिकारी को, जो—

(क) संदेह होने के युक्तियुक्त कारणों के बिना किसी भवन, जलयान, गाड़ी अथवा स्थान की तलाशी लेता है अथवा तलाशी कराता है, अथवा

(ख) किसी व्यक्ति को क्षोभकारी ढंग से तथा अनावश्यक रूप से रोकता है, उसकी तलाशी लेता है अथवा गिरफ्तार करता है; अथवा

(ग) किसी ऐसी वस्तु को, जिसके संबंध में इस अधिधियम के अधीन अपराध किया गया है, अभिगृहीत अथवा तलाश करने के बहाने किसी व्यक्ति को जंगम सम्पत्ति को क्षोभकारी ढंग से तथा अनावश्यक रूप से अभिगृहीत करता है; अथवा

(घ) ऐसे अधिकारी के रूप में कोई ऐसा अन्य कार्य जिससे किसी व्यक्ति को क्षति हो, बिना इस बात का विश्वास किये कि ऐसा कार्य उसके कर्त्तव्य के निष्पादन के लिये अपेक्षित है, करता है,

ऐसे प्रत्येक अपराध के लिये अर्थ दंड दिया जायगा जो दो हजार रुपये तक हो सकता है ।

(2) ऐसे किसी व्यक्ति को जो जानबूझकर तथा विद्वेषतः असत्य सूचना देता है और इस प्रकार इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तारी अथवा अभिग्रहण कराता है, अर्थदंड दिया जायगा जो दो हजार रुपये तक हो सकता है अथवा कारावास का दंड दिया जायगा जो दो वर्ष तक हो सकता है अथवा दोनों दंड दिये जायेंगे ।"

धारा 11 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

5—मूल अधिनियम की धारा 11 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :—

समपहरण का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति

"11—इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध पर विचार करने वाला कोई न्यायालय किसी मोटर स्प्रिट अथवा डीजल आयल को, जिसके संबंध में न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, सरकार के पक्ष में समपहरण किये जाने का आदेश दे सकता है, तथा किसी बर्तन, बंडल अथवा आवरण को जिसमें वह रखा हो और उसे ले जाने में प्रयुक्त पशुओं, गाड़ियों, जलयानों अथवा अन्य वाहनों को समपहृत करने का भी आदेश दे सकता है ।"

धारा 12 के स्थान पर नके धारा का रखा जाना

6—मूल अधिनियम की धारा 12 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :—

अपराध तथा शास्तियां

"12—जो कोई भी निम्नलिखित कोई अपराध करता है, अर्थात् :—

(क) धारा 6 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है;

अथवा

(ख) इस अधिनियम के अधीन देय किसी कर के भुगतान में अपवंचन करता है; अथवा

(ग) कोई ऐसी सूचना देने में चूक करता है जिसकी उससे इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षा की जाय, अथवा असत्य सूचना देता है (जब तक कि वे उसे सकारण विश्वास न हो कि उसके द्वारा प्रदत्त सूचना सत्य है, जिसे सिद्ध करने का भार उसी पर होगा) अथवा

(घ) खंड (क) तथा (ख) में उल्लिखित अपराधों में से कोई अपराध करने का प्रयास करता है, अथवा उन्हें करने के निमित्त दुष्प्रेरित करता है;

तो उसे, प्रत्येक ऐसे अपराध के निमित्त ऐसी अवधि के लिये कारावास का दंड दिया जायगा जो छः माह तक हो सकता है, अथवा अर्थ-दंड दिया जायगा (जो दो हजार रुपये तक अथवा धारा 6 के उपबन्धों के उल्लंघन में ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई किसी बिक्री के संबंध में इस अधिनियम के अधीन देय कर की धनराशि की दुगुनी धनराशि अथवा जैसी भी दशा हो, अपवंचित कर की दुगुनी धनराशि जो भी अधिक हो, तक हो सकता है) अथवा दोनों दंड दिये जायेंगे।"

धारा 14 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 14 में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार की विशेष स्वीकृति से उक्त छः मास की अवधि समाप्त होने के पश्चात् मुकदमा संस्थित किया जा सकता है।"

नयी धारा 14—क तथा 14—ख का बढ़ाया जाना

8—मूल अधिनियम की धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायं, अर्थात्:—

आबकारी अधिकारियों को कतिपय शक्तियां प्रदान करना।

"14-क—यदि राज्य सरकार किसी आबकारी अधिकारी को धारा 13 तथा धारा 14 के खंड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के निमित्त अधिकृत करती है तो उन उपबन्धों में जिला मजिस्ट्रेट के अभिदेशों का यह अर्थ लगाया जायगा कि उसके अन्तर्गत ऐसे आबकारी अधिकारी का अभिदेश भी है।

पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् दंड में वृद्धि

14-ख—यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिये तत्पूर्व सिद्ध-दोष होने के पश्चात् पुनः, इस अधिनियम के अधीन कोई दंडनीय अपराध करता है और सिद्ध दोष होता है तो उसे ऐसी अवधि के लिये कारावास का दंड दिया जायगा जो एक वर्ष तक हो सकती है किन्तु तीन मास से कम नहीं होगी और दो हजार रुपये का अर्थ दंड भी दिया जायगा :

1898 का अधिनियम संख्या, 5

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात किसी ऐसे अपराध पर, जिस पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अध्याय 22 के अधीन सरसरी तौर पर अन्यथा विचारण किया जाता, इस प्रकार विचारण करने से नहीं रोकेगी।"

धारा 17 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 17 में—

(1) उपधारा (3) निकाल दी जाय;

(2) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(5) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त जो एक सत्र में या आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकता है,

रखे जायेंगे और यदि उक्त अवधि के दौरान दोनों सदन नियम में कोई परिष्कार करने के लिये सहमत हों अथवा दोनों सदन इस बात पर सहमत हों कि उक्त नियम नहीं बनाया जाना चाहिये तो उक्त नियम, तत्पश्चात् यथास्थिति, केवल ऐसे परिष्कृत रूप में प्रभावी होगा, अथवा प्रभावहीन हो जायगा, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन तद्धीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।"

उद्देश्य और कारण

संयुक्त प्रांत मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 के अधीन मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल की बिक्री पर बिक्री कर वसूल किया जाता है । ऐसा देखा गया है कि उपर्युक्त माल के व्यापारी बहुधा बिक्री-कर देने से बचाव कर लेते हैं । अतएव, यह प्रस्ताव है कि अधिनियम के विरुद्ध अपराधों के लिये कारावास का दंड देने और आबकारी अधिकारियों को भी शमन करने, तलाशी लेने, अभिग्रहण तथा गिरफ्तार करने आदि के लिये शक्तियां प्रदान करने की व्यवस्था की जाय । इन संशोधनों और प्रक्रियात्मक प्रकार के कतिपय अन्य संशोधन करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) बिधेयक, 1973 पुरःस्थापित किया जाता है ।

स्वामी प्रसाद सिंह,
आबकारी मंत्री ।

प्रेस प्रति

बी0 एस0 यू0 पी0--ए0 पी0 299 एल0 ए0--1973--835 ।